





विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट वर्ष 2016-17 का वार्षिक लेखा और लेखापरीक्षा रिपोर्ट

विषय सूची

1.	विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट की वर्ष 2016-17 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट	1
2.	वर्ष 2016-17 का वार्षिक लेखा	10
3.	लेखा पर टिप्पणी	30
4.	लेखा टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई	44
5.	वर्ष 2016-17 में वि.पो.टू. की वार्षिक लेखा और लेखापरीक्षा रिपोर्ट को पूरा करने में शामिल होने वाली विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाने वाली विवरणिका।	46

विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखपट्टणम 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट ।

- महा पत्तन न्या अधिनियम 1963 की धारा 102 के साथ पिठत यंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सेवा के कर्तव्य अधिकार एवं नियम) अधिनियम 1971 की धारा 19 (2) के अंतर्गत हमने विशाखप्टणम पोर्ट ट्रस्ट (वीपीटी) के 31 मार्च 2017 तक के संलग्न तुलन पत्र की तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि लेखा की लेखापरीक्षा की है । ये वित्तीय विवरण तैयार कराने की जिम्मेदारी पोर्ट प्रबंधन की है । लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय / विचार अभिव्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है ।
- 2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखाकरण के तरीके पर नियंत्रक एवं भारत के महा लेखापरीक्ष्क (सीएजी) की वर्गीकरण, उक्त लेखाकरण पद्धित के साथ समानुरूपता लेखाकरण मानक तथा प्रकटन प्रतिमानक आदि से संबंधित टिप्पणियाँ ही शामिल है । विधि के अनुपालन नियम, विनियम (औचित्य और नियमितता) तथा दक्षता सह-निष्पादन पक्ष से संबंधित वित्तीय संचालन पर लेखापरीक्षा आपित्तयाँ, यदि हैं तो, अलग से निरीक्षण रिपोर्ट / सी ए जी की लेखापरीक्षा रिपों के माध्यम से रिपोर्ट की गई हैं ।
- 3. हमने अपने लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा मानकों के अनुरूप की हे । इन मानकों की अपेक्षानुसार वित्तीय विवरण आर्थिक गलत बयानी से मुक्त है या नहीं इसका उचित आश्वासन प्राप्त कने के लिए हम लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन करते हैं । लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधारपर रकम के समर्थन और वित्तीय विवरण के प्रकटन के साक्ष्य की जाँच आदि शामिल होते हैं । लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धानों का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा तैयार किये गये विशिष्ट प्राक्कलन, साथ ही वित्तीय विवरण एवं समस्त प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है । हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी विचार के लिए उचित आधार पर तैयार करता है ।
- 4. लेखापरीक्षा के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :
- i) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रयोजनार्थ सभी सूचनायें और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं जो हमारी जानकारी और विवरण के अनुसार आवश्यक है ।
- ii) इस रिपोर्ट द्वारा बनाया गया तुलनपत्र और लाभ तथा हानि लेखा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित फार्म में तैयार किया गया है ।
- iii) हमारी राय में लेखा की उचित पुस्तके और अन्य तर्क संगत रिकार्ड वीपीटी, विशाखपट्टणम द्वारा अनुरक्षित रखे गये हैं जो इस प्रकार की पुस्तकों की जांच से पता चला है ।
- iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

क. लेखा का संशोधन

पोर्ट ट्रस्ट ने लेखापरीक्षा अवलोकनों के आधार पर अपने लेखों का संशोधन किया । परिणाम रूप में कर से पूर्व लाभ रू. 14.95 करोड़ तक वृद्धि हुई अर्थात रू. 30.37 करोड़ लाभ से रू. 45.32 करोड़ लाभ हुई तथा कर के बाद लाभ रू. 10.99 करोड़ तक वृद्धि हुई अर्थात रू. 12.05 करोड़ की लाभ से रू. 23.04 करोड़ की वृद्धि हुई ।

ख. तुलनपत्र

निधियों का श्रोत आरक्षण एवं अधिशेष (अनुसूची 1.1) पूँजी परिसंपत्तियों का प्रतिस्थापना आरक्षण रू. 444.05 करोड़ विकास, ऋणों की अदायगी तथा आकस्मिकताओं के लिए आरक्षण रू. 523 करोड़ नोट नंबर 6 पर ध्यान दिया गया जिसमें यह निकाला गया है कि पर्याप्त अधिशेष उपलब्ध नहीं होने के कारण, सांविधक आरक्षण के लिए विनियोजन अर्थात पूँजी पिरसंपत्तियों का प्रतिस्थापना, पुर्नावास तथा आधुनिकीकरण के लिए निधि, और पूँजी नियोजन के लिए 3% तक विकास, ऋणों की पुर्नभुगतान एवं आकस्मिकताओं के लिए निधि - जो क्रमशः रू. 114 करोड़ (2014-15 से 2015-16) और रू. 75.46 करोड़ (2015-16 से 2016-17) की व्यवस्था नहीं किया गया । लेखापरीक्षा ने नोट किया कि वर्ष के अंत तक विनियोजन के लिए रू. 21.82 करोड़ उपलब्ध था, जो उक्त सांविधक आरक्षणों में विनियोजन करने के बजाय सामान्य आरक्षण में स्थानांतिरत किया गया, जो पोर्टों के लिए लागू वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु रहे कामन फ्रेम वर्क में निहित पद्धित के अनुसार अधिशेषों का आबंटन से संबंधित प्रावधानों के खिलाफ है ।

2. निधियों का विनियोजन

क. नियत पूँजी परिसंपत्ति (शुद्ध ब्लॉक)

डॉक, सीवाल्स, पियर्स और नौसंचालन सुविधाएँ रू. 286.44 करोड़

उपर्युक्त में जुलाई 2005 में रू. 38.38 करोड़ की पूँजी लागत पर 75 वर्षों की अनुमानित उपयोगिता अविध के साथ निर्मित एवं प्रारंभ किया गया डब्ल्यूक्यू 7 घाट की मूल्यहासित मूल्य रू. 28.45 करोड़ शामिल है । यह घाट सितंबर 2005 में भारी वर्षा के दौरान द्ववंस हुआ, जो फरवरी 2007 तक बिगाड गया और यह घाट को परिचालन मे लाने के लिए किये गये प्रयास असफल होने के कारण यह घाट को बंद किया गया । यह संरचना का कुछ भाग विखंडित किया गया और कुछ भाग अन्य परिसंपत्तियों में जोड़ दिया गया । खैर वीपीटी ने विखंडित / परिसंपत्तियों में एक भाग के रूप में जोड़ दिया गया । खैर वीपीटी ने समायोजित किया न ही शुद्ध बुक वेल्यू के नीचे और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य के रूप में परिसंपत्ति का बाकी भाग को नहीं दिखाया, जो लेखा मानक 10 - नियत परिसंपत्तियों का लेखाकरण के प्रावधानों के विरुद्ध है ।

ख. निवेश

सामान्य आरक्षण निधि का निवेश रू. 58.80 करोड़

वर्ष 2014-15 और 2015-16 के पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्टों में पूछे जाने पर भी पोर्ट - मेसर्स सेतु समुद्रम कार्पोरेशन लि., (एसएससीएल) चेन्ने में की गई रू. 30.00 करोड़ निवेश का निर्धारण नहीं किया और निवेश में हास का व्यवस्था भी नहीं किया, क्यों कि सच यह है कि वर्ष 2009 में ही एसएससीएल परियोजना का प्रचालन निलंबित किया गया । यह लेखा मानक 13 - निवेशों का लेखाकरण के प्रावधानों के विरूद्ध है ।

ग. लाभ एवं हानि लेखा

क. प्रचालन व्यय

रेल्वे कार्यचालन

स्टेशन्स, याड्स और साईडिंग्स का प्रचालन, अनुरक्षण एवं प्रशासनिक व्यय रू. 0.13 करोड़

इसमें, रेल्वे एवं वीपीटी के बीच पारस्परिक करारनामा 1998 के लाईन में अप्रैल 2003 से मार्च 2017 तक अयस्क एक्वेंजिंग यार्ड के लिए रेल्वे लेन, साईडिंग्स आदि का अनुरक्षण और नवीकरण हेतु रेल्वे को चुकाये जानेवाले वार्षिक अनुरक्षण प्रभारों में भिन्नता रू. 26.53 करोड़ शामिल नहीं है । रेल्वे को चुकाये जानेवाले वार्षिक अनुरक्षण प्रभारों का प्रावधान नहीं करने के परिणाम रूप में परिचालन व्यय एवं चालू दायिताओं में रू. 26.53 करोड़ कमी दिखाई दिया तत्पश्चात यही रकम कर से पूर्व लाभ में ज्यादा दिखाई दिया ।

वित्त एवं विविध व्यय ख.

वसूल नहीं करने वाले एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान

31 मार्च 2017 को रू. 533.11 करोड़ फूटकर देनदारों में से रू. 78.69 करोड़ (14.76 %) और रू. 36.03 करोड़ (6.76%) क्रमशः तीन और पाँच वर्षों के ज्यादा समय से बकाया है । वर्ष 2011-12 से प्रति वर्ष आश्वासन देने पर भी वीपीटी इन ऋणों की समीक्षा करते हुए उपयुक्त प्रावधान तैयार करने के लिए कोई भी कार्रवाई नही की ।

प्रबंधन पत्र घ.

लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किये गये किमयों को सुधारने की कार्रवाई हेतु अलग से जारी किया गया प्रबंधन पत्र द्वारा वीपीटी के अध्यक्ष, विशाखपट्टणम के ध्यान में लाया गया ।

- पूर्व अनुच्छेदों में व्यक्त हमारे विचारों के आधार पर हम यह अभिलेख करते हैं कि इस रिपोर्ट के द्वारा देखे गये तुलनपत्र ٧. तथा लाभ एवं हानि लेखा, लेखा बहियों के अनुरूप है ।
- हमारी राय में और हमारी जानकारी में तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरणयाँ , लेखाकरण नीतियाँ vi. तथा लेखा पर नोट्स के साथ पिठत तथा उपरोक्त विशेष मामले तथा यह प्रत्येक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की अनुलग्नक-। में दिये गये अन्य मामलों की शर्त पर, भारत में प्रायः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों को पृष्टता में सही तथा स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तूत करती है ।
 - वीपीटी, विशाखपट्टणम के 31 मार्च 2017 तक के कार्यकलापों की स्थिति के तुलनपत्र के संबंध में और क.
 - उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ / हानि के लाभ लेखा के संबंध में । ख.
- 5. पिछले तीन वर्षों के पोर्ट के लाभ के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम दिखाने वाली लेखा की समीक्षा अनुलग्नक - ॥ में दी गई है ।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की तरफ से

(एल.तोच्चांग) वाणिज्य लेखापरीक्षा का महा निदेशक एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड हैदराबाद

स्थान : हैदराबाद

दिनांक 18 अक्तूबर 2017

अनुलग्नक - l

1. आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति की पर्याप्तता :

जून, 2014 से वीपीटी की आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य मेसर्स जी.आर. कुमार इंड कंपनी को दिया गया है और 30.09.2017 तक नवीकरण किया गया । चालू वर्ष के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा टीम ने अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017 तक मासिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट्स पोर्ट को प्रस्तुत किया । आंतरिक लेखापरीक्षा अधिदेश ने आंतरिक लेखापरीक्षा आदेश पत्र में प्रारूप लाभ एवं हानि लेखा, तुलनपत्र, अनुसूची, लेखा में में कुछ भागन बनने वाले नोट्स, विभिन्न किमयों का सत्यापन सिहत विभिन्न जांचों की व्यवस्था चालू वर्ष की लेखापरीक्षा के दौरान किया गया और लेखापरीक्षा के दौरान प्वाइंट आऊट किया गया जो, प्रबंधन द्वारा लेखों का संशोधन करते हुए काफी हद तक ठीक किया गया । यह स्थिति सूचित करती है कि आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धित की प्रभावशीलता में वृद्धि लाने की आवश्यकता है ।

2. आंतरिक नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता :

वीपीटी के आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त नहीं हैं । देनदार प्रबंधन से संबंधित कुछ क्षेत्रों को मज़बूत / वृद्धि करने की आवश्यकता है । इनका अनुपालन हेतु अलग से जारी किया गया प्रबंधन पत्र द्वारा वीपीटी के ध्यान में लाया गया । कुछ प्रधान मद इस प्रकार हैं :

- समयवार विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सरकारी पार्टियों से 1974-75 से और गैर सरकारी पार्टियों से 1990-91
 से व्यापार देय बकाया है । यह सूचित करता है कि समय पर वसूल करने के लिए विशेष प्रयास नहीं किया गया ।
- वीपीटी फुटकर देनदार को कस्टमर डिपाजिट लेखों के साथ असमाधान करने के कारण 335 पार्टियों से संबंधित फुटकर देनदारों के अंतर्गत रू. 86.61 करोड़ के बजाय (रू. 412.09 करोड़ रू. 325.47 करोड़) रू. 412.09 करोड़ दिखाया । यह आविधक वसूली की आवश्यकता को सूचित करता है ।
- इसी प्रकार, कस्टमर डिपाजिट बेलेन्स में ऋण शेष रू.9.95 करोड़ (फुटकर लेनदार) जो वर्ष 2012-2013 में फुटकर देनदार केलिए स्थानांतरित किया गया, उन्हें समाधान नहीं करने के कारण समायोजित नहीं किया गया ।
- सभी पोर्टों को अपने रिवाल्विंग डिपाजिट लेखों में न्यूनतम रू. 25,000 शेष रखना होगा । 1957 डिपाजिट लेखों में से 1239 डिपाजिट खातेदार आवश्यक न्यूनतम शेष का रखरखाव नहीं कर रहे हैं । आगे, 153 उपभोक्ताओं के डिपाजिट लेखें रू. 39.15 करोड़ ऋण शेष दिखाते हैं । यह मॉनिटरिंग मेकानिज़म का अपर्याप्तता सूचित करता है ।
- वर्ष 2002- 2003 से ही संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बनाने पर भी अभी भी पुस्तकों में हैं, और इन प्रावधानों को अंतिम रूप देने के लिए कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई ।
- देनदार से वसूल किया गया रकम (प्रधानत: 2004-05 से) बिलवार देयों के साथ समायोजित नहीं किया गया और परिणाम रूप में दोनों बिलवार देय एवं पार्टी से वसूल किए गए रकम ऋण शेष के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है । इस पद्धित से यह निर्धारण करना मुश्किल है कि जिन बिलों के खिलाफ देय बकाया है ।



3. नियत परिसंपत्तियों की भौतिक जांच की पद्धति :

वर्ष 2011-12 में करने वाले पंच वर्षीय नियत परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन 31-03-2013 तक समाप्त किया गया और भौतिक सत्यापन समिति ने अपना रिपोर्ट मार्च 2014 में प्रस्तृत किया । अधिक एवं कम परिसंपत्तियों पर उक्त समिति द्वारा उठाए गए प्वाइंटों का सत्यापन करने हेतु एक नया सिमति को नियोजित किया, यह भी अपना अंतिम रिपोर्ट मार्च 2015 में प्रस्तुत किया । समिति ने अंतिम निर्णय दिया कि 369 परिसंपत्तियों की कमी में से, 264 का मूल्य पूरा घट गया और बाकी 104 परिसंपत्तियों का मूल्य 31-03-2015 के अंत त रू. 1.13 करोड़ (रू. 5.48 करोड़- रू. 4.35 करोड़) रहा । प्रबंधन ने न अवाश्यक समायोजन किया न ही अधिक / कम मात्रा से संबंधित उचित मात्रा दिखाया ।

वस्तुसूची की भौतिक जांच की पद्धति: 4.

प्रबंधन द्वारा नियमित रूप से वस्तुसूची की भौतिक जांच की जाती है ।

5. सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता :

वीपीटी ने नियत तिथियों के अंदर संबंधित संगठनों को सांविधक देयों का भुगतान किया ।

(एल. तोच्चांग) महा निदेशक

अनुलग्नक - II

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल लेखापरीक्षा अवलोकन / विचारों पर ध्यान न देते हुए लेखा की समीक्षा की गई है ।

1. परिचय

विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट (वीपीटी) के लेखों की लेखापरीक्षा महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 102 के साथ पिठत नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सेवा के कर्तव्य अधिकार एवं नियम) अधिनियम 1971 की धारा 19 (2) के अंतर्गत किया गया।

2. वित्तीय स्थिति :

वीपीटी की पिछले तीन वर्षों की वित्तीय स्थिति प्रति वर्ष के अंत तक बडे शीर्ष के तहत निम्नानुसार है :

(रूपया करोडों में)

	विवरण	2014-15	215-16	2016-17
1.क.	दायिताएँ :			
	(i) पूँजी आरक्षण	902.51	909.08	961.12
	(ii) अन्य आरक्षण	1052.07	1095.21	1066.26
	(iii) उधार पूँजी ऋण	100	93.51	70.53
	(iv) प्राप्त किये गये अनुदान	0	10.60	0.28
	(v) चालू दायिताएँ एवं प्रावधान अन्य दायिताएँ			
	(भविष्य निधि / पेंशन, उपदान निधि आदि)	1668.91	2211.05	2117.03
	(vi) अस्थागित कर दायित्व	0	0	0
	कुल	3723.49	4319.45	4215.22
ख.	(i) नियत परिसंपत्तियाँ (ग्रास ब्लॉक)	1543.58	1642.63	1970.83
	(ii) घटाईये : मूल्यहास	601.00	639.27	665.33
	(iii) शुद्ध नियत परिसंपत्तियाँ	942.58	1003.36	1305.50
	(vi) प्रगति पर कार्य	447.41	493.86	471.96
	(v) निवेश	174.12	190.21	198.68
	(vi) चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	2011.11	2459.37	2075.63
	(vii) विविध व्यय (डीआरई)	0	0	0
	अस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	148.27	172.65	163.45
	कुल	3723.49	4319.45	4215.22
ग.	कार्यचालन पूँजी ¹	342.20	248.32	-41.40
घ.	शुद्ध मूल्य ²	1954.58	2004.30	2027.38
च.	नियोजित पूँजी ³	1284.78	1251.68	1264.10
छ.	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत ⁴	7.13	4.00	1.82
ज.	नियोजित पूँजी (प्रगति पर रहे कार्य सहित)	1732.19	1745.55	1736.06
झ.	नियोजित पूँजी पर पर प्रतिलाभ का प्रतिशत			
	(प्रगति पर रहे कार्य सहित)	5.29	2.87	1.33

¹ कार्यचालन पूँजी - चालू परिसंपत्तियां माईनेस चालू दायिताओं को दर्शाता है ।

² शुद्ध मूल्य - पूँजी आरक्षण एवं अन्य आरक्षण तथा संचित अधिशेष, घाटा-संचित कमी को दर्शाता है ।

³ पूँजी नियोजन - शुद्ध नियत परिसंपत्ति एवं कार्यचालन पूँजी को दर्शाता है ।

रैंट ऑफ रिटर्न - पूँजी नियोजन के लिए शुद्ध अधिशेष का प्रतिशत (विनियोजन से पहले) को दर्शाता है ।



कार्यचालन परिणाम का सारांश : 3.

31 मार्च 2017 को समाप्त वीपीटी के कार्यचालन परिणाम पिछले दो वर्ष 31 मार्च 2015 और 2016 की तुलना के साथ नीचे दिये गये हैं:

	विवरण	2014-15	215-16	2016-17
П	राजस्व :			
क.	आय			
	परिचालन आय	809.85	907.53	917.58
	गैर परिचालन आय	152.37	341.91	122.63
	कुल	962.22	1249.44	1040.21
ख.	व्यय			
	परिचालन व्यय	493.84	551.69	531.64
	गैर परिचालन व्यय	365.01	672.07	463.25
	कुल	858.85	1223.76	994.89
ग.	विनियोजन से पूर्व शुद्ध अधिशेष / कमी / कर से पूर्व लाभ	103.37	25.68	45.32
	घटाईए : कर के लिए प्रावधान			
	पिछले वर्ष	0.00	0.00	0.00
	चालू वर्ष	25.18	0.00	13.09
	फ्रिंज लाभ कर	0.00	0.00	0.00
	आस्थगित कर	-13.47	-24.38	9.19
	कर के बाद लाभ	91.67	50.06	23.04
घ.	घटाईएः मैनडेटरी विनियोजन / आरक्षण निधि में अंतरण (शुद्ध लाभ)	77.27	38.27	1.22
च.	सामान्य आरक्षण निधि में स्थानांतरित अधिशेष (शुद्ध लाभ)	14.40	11.40	21.82
छ.	निम्न के लिए शुद्ध अधिशेष का प्रतिशत			
	परिचालन आय	1.78	5.52	2.51
	शुद्ध नियत परिसंपत्तियाँ	1.53	4.99	1.76
	शुद्ध मूल्य	0.74	2.50	1.14

4. अनुपात विश्लेषण (परिसमापन और शोध क्षमता) :

- (क) चालू दायिताओं के लिए चालू परिसंपत्तियों का प्रतिशत वर्ष 2015-16 में 111.23 से घटकर वर्ष 2016-17 में 98.04 हुआ ।
- (ख) चालू दायिताओं के लिए तत्काल परिसंपत्तियों का प्रतिशत वर्ष 2015-16 में 77.04 से घटकर वर्ष 2016-17 में 63.88 हुआ ।
- (ग) परिचालन आय के लिए फुटकर देनदार का प्रतिशत वर्ष 2015-16 का 38.62 से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 58.10 हुआ ।
- (घ) ऋण / पूँजी आरक्षण एवं अन्य आरक्षण का अनुपात वर्ष 2015-16 का 4.67 से घटकर वर्ष 2016-17 में 3.48 हुई।
- (च) कुल परिसंपत्तियों के लिए चालू परिसंपत्तियों का प्रतिशत वर्ष 2015-16 में 56.94 घटकर वर्ष 2016-17 में 49.24 हुई ।
- (छ) परिचालन आय के लिए व्यय का प्रतिशत वर्ष 2015-16 में 60.79 से घटकर वर्ष 2016-17 में 57.94 हुई ।

(एल. तोच्चांग)

महा निदेशक



वार्षिक लेखा

31 मार्च	i 2017 को तुलनपत्र की अनुसूची	31 मार्च 2017	⁷ को समाप्त राजस्व लेखा की अनुसूची
अनुसूची 1.1	आरक्षण एवं अधिशेष	अनुसूची आर 1	कार्गो संभलाई और भंडारण प्रभार
अनुसूची 1.2	ऋण निधि	अनुसूची आर 2	पोर्ट एवं डाक प्रभार
अनुसूची 1.3	ग्रांट की प्राप्ति	अनुसूची आर 3	रेल्वे आमदनी
0 0,	आस्थगित कर	अनुसूची आर 4	संपदा किराया
अनुसूची 1.4		अनुसूची आर 5	कार्गो संभलाई और भंडारण
अनुसूची 2.1	नियत पूँजी परिसंपत्तियाँ	अनुसूची आर 6	पोर्ट एवं डाक सुविधाएं
अनुसूची 2.2	निवेश	अनुसूची आर 7	रेल्वे कार्यचालन
अनुसूची 2.3	चालू परिसंपत्तियाँ ऋण एवं अग्रिम	अनुसूची आर 8	किराये योग्य भूमि और भवन
अनुसूची 2.4	चालू दायितायें एवं प्रावधान	अनुसूची आर 9	प्रबंधन और सामान्य प्रशासन
अनुसूची 2.5	विविध व्यय	अनुसूची आर 10	वित्त और विविध आय
3% 2.0		अनुसूची आर 11	वित्त और विविध व्यय

٢	
तलन	ว

	अनु		31 मार्च 2017 को	को	3	31 मार्च 2016 को	को
निष्टेयों का स्त्रोत:							
आरक्षा और अधिशिषः	1.						
क. पूँजी आरक्षा			9,61,12,02,976			9,09,08,39,442	
छ।. राजस्व आरक्षा							
क) सामान्य आरक्षा निधि		92,80,00,000			1,22,04,57,588		
ख) कर्मवारी कत्याण निधि		0			0		
ग) कर्मवारी परिवार सुरक्षा निधि		6,41,33,162			6,11,91,608		
घ) उपस्कर संरक्षा निधि		0			0		
ड) देयताओं का आरक्षा निधि	•	0			0		
			99,21,33,162			1,28,16,49,196	
ग. सांविधिक आरक्षा							
क) पूँजी परिसंपतियों का प्रतिस्थापन, पुनर्वास और							
आधुनिकीकरण के लिए आरक्षा		4,44,04,95,097			4,44,04,95,097		
ख) ॠण एवं आकस्मिकताओं का पुर्नभुगतान, विकास के निए आरक्षा	•	5,22,99,89,153			5,22,99,89,153		
			9,67,04,84,250			9,67,04,84,250	
				20,27,38,20,388			20,04,29,72,888
अनुदान प्राप्तियाँ	1.3			27,72,750			10,60,06,055
ऋण निधियाँ:	1.2						
क. सुरक्षा ऋण			0			0	
ख. सरकारी ऋण			70,53,14,700			93,50,91,000	
ग. असुरक्षित ऋण			0			0	
				70,53,14,700			93,50,91,000
आस्थरित कर दायिताएँ:				0			0
निधियों के कुल संसाधन				20,98,19,07,838			21,08,40,69,943

33,12,18,245 33,12,18,245 73,881 5,08,19,51,085 48,92,88,474 1,17,64,66,712 2,86,44,45,171 20,33,77,502 24,24,57,618 24,24,57,618 24,24,57,618 28,80,00,000 58,80,00,000 33,97,03,444 30,00,000 0 33,97,03,444			र्वेख-	בן ב	,		((रूपयों में)
्रां 39,12,18,245 पूर्वे 1,45,53,24,742 अह.6,51,921 1,17,64,66,712 अभित्रमन की संस्थापन 2,22 अभित्रमन की संस्थापन 2,22 अभित्रक,00,000 0 33,97,03,444 अभित्रक,00,000 0 33,97,03,444 अभित्रक,00,000 1,17,746,12,413 2,16,14,597 1,777,46,12,413 2,16,14,597 1,777,46,12,413 2,16,14,597 1,777,46,12,413 2,8,80,00,000 0 33,97,03,444 30,00,000 0 33,97,03,444 30,00,0000 0		अनु		माचे 2017	को	.,,	माचे 2016	को
2.1 39,12,18,245 73,881 5,08,19,51,085 व्य,22,86,474 1,17,64,65,712 अनिशमन की संस्थापना 22,2 39,7,03,444 वर्षा 39,7,03,444 वर्षा 39,7,03,444 वर्षा 33,97,03,444								
अ9,12,18,245 39,12,18,245 संस्वनाएं 5,08,19,51,085 73,881 संस्वनाएं 1,45,53,24,742 1,45,53,24,742 अ,075,1921 1,17,64,66,712 1,17,64,62,74 स्पं एवं नीवालन सहयोग 2,86,44,45,171 2,86,44,45,171 प्राप्तिमासन की संस्थापना 17,76,42,465 13,05,49,97,816 2,81,78,14,910 प्राप्तिमासन की संस्थापना 17,76,42,465 13,05,49,97,816 26,30,46,465 प्राप्तिमासन की संस्थापना 17,76,42,465 13,05,49,97,816 21,62,39,224 प्राप्तिमासन की संस्थापना 3,97,03,444 3,97,03,444 प्राप्तिमासन की संस्थापना 3,97,03,444 3,97,03,444 प्राप्तिमासन की संस्थापना 30,00,00,000 33,97,03,444 प्राप्तिमासन 30,00,00,000 33,97,03,444	गैं: (शुद्ध ब्लाक)	5.1						
संचनाएं 5,08,19,51,085 47.4 41,23,21,156 41,23,21,156 41,23,21,156 41,23,21,156 41,23,21,156 41,23,21,156 41,23,21,166 41,23,21,167 41,23,21,156 41,23,21,176 41,65,712 41,177,64,65,712 41,177,64,65,712 41,177,64,65,712 41,177,64,65,712 41,177,64,65,712 41,177,64,2,465 41,277 41,176,42,465 41,277 41,196,14,597 41,790 58,80,00,000 58,80,00,000 58,80,00,0000 58,80,00,00000 68,80,00,00000 68,80,00,00000 68,80,00,000000 68,80,00,000000 68,80,00,0000000000			39,12,18,245			39,12,18,245		
संचनाएं 5,08,19,51,085 वर्स स्वास्तित्त सहयोग (48,92,88,474 वर्स नाएं 1,45,53,24,742 वर्स सहयोग (1,17,64,66,712 वर्स सहयोग (2,86,44,45,171 वर्स नोवातन सहयोग (2,86,44,45,171 वर्स नालंगित कर्म सहयोग (2,86,44,45,171 वर्स नालंगित वर्म नालंगित वर्			73,881			73,881		
संस्वनाएं स्व. 92,88,474 1,45,53,24,742 1,45,53,24,742 1,45,53,24,742 1,45,53,24,742 1,45,53,24,742 1,17,64,66,712 1,17,64,66,712 1,13,49,13,269 1,13,49,13,269 1,13,49,13,269 1,13,49,13,269 2,0,93,77,502 24,45,171 20,93,77,502 24,45,171 20,93,77,502 24,47,612,413 2,4,47,612,413 2,2,24,57,618 2,1,2,41,39,13,614 2,1,2,413 2,2,39,224 1,77,46,12,413 2,2,39,234 3,97,03,444 30,00,00,000 38,80,00,000 38,80,00,000 38,80,00,00,000 38,97,03,444 33,97,03,444 30,00,00,000 38,97,03,444 33,97,03,444 30,00,00,000 38,97,03,444 30,00,000 38,97,03,444 30,00,000 38,97,03,444 30,00,000 38,97,03,444 30,00,000 38,97,03,444 38,97,03,44			5,08,19,51,085			2,22,72,60,236		
ार्स एवं नौचालन सहयोग 1,45,53,24,742 11,13,49,13,289 1,17,64,66,712 20,93,77,502 24,24,57,618 22,81,78,14,910 20,93,77,502 24,24,57,618 17,76,42,465 13,05,49,97,816 21,62,39,224 24,76,42,465 13,05,49,97,816 21,62,39,224 24,77,46,12,413 22.2 28,80,00,000 56,80,00,000 58,80,00,000 58,80,00,000 58,80,00,000 58,80,00,000 33,97,03,444 30,00,000 000 33,97,03,444 000 000 000 000 000 000 000 000 000	गं अन्य संरवनाएं		48,92,88,474			41,23,21,156		
तथा अभिशासन की संस्थापना 2.2 प्राप्तियां 58,80,00,000 उउ.93,77,324 1,77,46,12,413 उठ.00,00,000 33,97,03,444	अहाते		1,45,53,24,742			1,21,97,44,224		
ार्ग एवं नीचालन सहयोग 2,86,44,45,171 2,86,46,712 2,81,78,14,910 2,81,78,14,910 2,93,77,502 24,24,57,618 2,81,78,14,910 28,97,44,760 24,24,57,618 17,76,42,465 13,05,49,97,816 21,62,39,224 4,71,96,14,597 17,746,12,413 2.2 58,80,00,000 58,80,00,000 58,80,00,000 33,97,03,444 30,00,00,000 33,97,03,444 30,00,00,000			96,67,51,921			1,06,12,66,274		
ाम एवं नीचालन सहयोग 2,86,44,45,171 2,86,44,45,171 2,81,78,14,910 20,93,77,502 24,24,57,618 24,24,57,618 27,44,760 26,30,46,465 वथा आग्निश्चमन की संस्थापना 17,76,42,465 13,05,49,97,816 21,62,39,224 4,71,96,14,597 17,746,12,413 2.2 58,80,00,000 58,80,00,000 58,80,00,000 58,80,00,000 33,97,03,444 30,00,000 0 33,97,03,444 30,00,000 0 33,97,03,444 0 0	ग स्टॉक		1,17,64,66,712			1,13,49,13,269		
तथा अग्निशमन की संस्थापना 2.2 प्राप्तिभूतियां प्राप्तिभूतियां 2.2 प्राप्तिभूतियां 2.2 प्राप्तिभूतियां 2.2 प्राप्तिभूतियां 2.2 58,80,00,000 0 3,97,03,444 30,00,000,000 0 33,97,03,444	वार, पीयर्स एवं नौचालन सहयोग		2,86,44,45,171			2,81,78,14,910		
तथा अग्निशमन की संस्थापना 17,76,42,465 13,05,49,97,816 26,30,46,465 17,76,42,465 13,05,49,97,816 21,62,39,224 4,71,96,14,597 17,77,46,12,413 2.2 58,80,00,000 58,80,00,000 58,80,00,000 58,80,00,000 33,97,03,444 30,00,000,000 33,97,03,444 0 33,97,03,444 0 33,97,03,444			20,93,77,502			28,97,44,760		
तथा अग्निशमन की संस्थापना 17,76,42,465 13,05,49,97,816 21,62,39,224 4,71,96,14,597 17,746,12,413 2.2 58,80,00,000 58,80,00,000 58,80,00,000 58,80,00,000 33,97,03,444 3,97,03,444 30,00,000 0 33,97,03,444 0 0	निसी		24,24,57,618			26,30,46,465		
2.2 58,80,00,000 58,80,00,000 58,80,00,000 58,80,00,000 39,7,03,444 30,00,000 0 33,97,03,444 0 0 33,97,03,444 0 0	ए संचार तथा अग्निशमन की संस्थापना		17,76,42,465	13,05,49,97,816		21,62,39,224	10,03,36,42,644	
2.2 58,80,00,000 58,80,00,000 58,80,00,000 58,80,00,000 ज्ञ,97,03,444 30,00,000 0 33,97,03,444 0 0 33,97,03,444 0 0	V			4,71,96,14,597	_	-	4,93,86,53,182	
7.2 58,80,00,000 58,80,80,80,80 58,80,80,80 58,80,80,80 58					17,77,46,12,413			14,97,22,95,826
58,80,00,000 58,80,00,000 58,80,00,000 58,80,00,000 58,80,00,000 58,80,00,000 33,97,03,444 30,00,000 00 33,97,03,444 0		2.2						
प्रतिभूतियां 3,97,03,444 3,97,03,444 30,00,00,00 स्म 33,97,03,444 0	ग निवेश		58,80,00,000	58,80,00,000		58,80,00,000	58,80,00,000	
प्रतिभूतियां 3,97,03,444 3,97,03,444 3,97,03,444 3,97,03,444 0	वेश							
30,00,00,000 0 33,97,03,444 0	न्यासी प्रतिभूतियां		3,97,03,444			3,97,03,444		
0 33,97,03,444 0	या बाँड्स		30,00,00,000			30,00,00,000		
			0	33,97,03,444		0	33,97,03,444	
	ग निवेश							
1,05,90,85,454 1,98,67,88,898 97,43,95,871			1,05,90,85,454	1,05,90,85,454	1,98,67,88,898	97,43,95,871	97,43,95,871	1,90,20,99,315



ł	7
	-
ı	T
ı	ट
ı	ご

2017 क) 31 HF型 2016 を 89,790 88,69,419 22,35,24,503 7,926 3,50,51,97,926 13,50,51,97,926 13,50,51,97,926 13,40,00,000 63,75,29,042 5,58,75,78,413 9,01,76,375 6,44,92,83,830 6,44,92,83,830) 1361	પુરાન વત્ર				(रूपयों में)
1. निर्माण पर्याप्ताला के प्राप्त के			अनु		मार्च 2017	को	(,)	मार्च 2016	को
मात्र प्रोपेक्पणीयां 1. क्षेत्रका प्रोपंत्रपणीयां 1. क्षेत्रका प्रोपंत्रपणीयां 1. क्षेत्रका प्रोपंत्रपणीयां 2. क्षेत्रका प्रापंत्रपणीयां 3. क्षेत्रका व्याव्यक्त के क्षेत्रपणीयां 3. क्षेत्रका के क्षेत्रपणीयां 3. क्षेत्रका व्याव्यक्त के क्षेत्रपणीयां 3. क्षेत्रपणीयां 4. क्षेत्रपणीयां 4. क्षेत्रपणीयां 4. क्षेत्रपणीयां 4. क्षेत्रपणीयां 5. क्षेत्रप	I alki i	पतियां, ऋण एवं अग्रिम :	2.3						
1. निक्री पर प्रोक्त्य व्याज्ञ 50,13,52,086 80,13,52,086 80,13,52,086 80,13,52,086 80,13,52,086 80,13,52,086 80,13,52,086 80,13,52,083 80,13,52,093 80,13,52,093 80,13,52,64,503 80,13,52,63,504 80,13,52,63,504 80,13,52,63,504 80,13,52,63,504 80,13,52,63,504 80,13,53,52,64 80,13,53,52,64 80,13,53,52,63 80,13,53,52,53,04 80,13,53,53 80,13,5		गू परिसंपत्तियां							
1. वर्ज सुवी 1.	-	निवेशों पर प्रोदभूत याज			50,13,52,086			88,68,69,419	
नत्तर से स्वार्थिक क्षेत्र कष्णेत्र क्षेत्र कष्णेत्र क्षेत्र कष्णेत्र कष्णेत्	=	वस्तु भूची			20,22,80,790			22,35,24,503	
स्य क्ष्रा क्रा क्ष्रा	≡	फुटकर देनदार							
हेर स्था से स	3			99,28,31,174			70,07,00,000		
क्षेत्र क्षेत	ন্ত্ৰ			0			0		
के संभ संग्रह साथ के साथ के साथ के साथ से स	न			4,33,82,73,854	5,33,11,05,028		2,80,44,97,926	3,50,51,97,926	
मंभ (हे. साथ व्रीक शोष के साथ व्रीक शोष कि साथ शोष के (6.52,93,02,844 (20.75,62,88,230) (6.52,93,02,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92	≥								
के साथ कैंक शेष 0 8,19,22,47,482 0 13,52,65,75,503 वे साथ कैंक शेष 0 8,19,22,47,482 0 13,52,65,75,503 वि साथ कैंक शेष 0 13,40,00,000 1	चे			12,41,900			22,55,330		
के साथ बैंक शेष 0 8,19,22,47,482 0 13,52,88,30,833 व 14,22,69,85,386	ন্ত্ৰ			8,19,10,05,582			13,52,65,75,503		
पोर्टा न्यास के लिए अग्रिम और ऋण 13,40,00,000 13,40,40,2,881 13,40,00,000 13,40,40,2,83,830 13,40,40,2,83,830 13,40,40,20,83,830 13,40,40,20,83,830 13,40,40,20,83,830 13,40,40,20,83,830 13,40,40,20,83,830 13,40,40,20,83,830 13,40,40,20,83,830 13,40,40,20,83,830 13,40,40,20,83,830 13,40,40,20,83,830 13,40,40,40,20,83,830 13,40,40,40,20,83,830 13,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,				0	8,19,22,47,482		0	13,52,88,30,833	
पोर्टा-चास के लिए आग्रेम और ऋण 13,40,00,000 69,43,84,423 69,43,84,423 63,75,29,042 63,75,29,042 वर आग्रेम 5,61,00,07,596 5,63,02,844 20,75,62,88,230 6,44,92,83,830					14,22,69,85,386			18,14,44,22,681	
सिहोडरी/पोर्ट/चास के लिए अग्रिम और ऋण प्राप्त करनेवाले मूल्य के लिए नगद अथवा वस्तु के रूप में वसूली योग्य अग्रिम सीमा झुल्क, उत्पाद शुल्क आयकर इत्यादि के साथ शेष उन्तर्भाति वर्ग करिन नगद अथवा वस्तु के रूप में वसूली योग्य अग्रिम सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क आयकर इत्यादि के साथ शेष वस्तु वर्ग अग्रिम सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क आयकर इत्यादि के साथ शेष वनम ह,561,00,07,596 9,09,10,825 वनम ह,52,93,02,844 20,75,62,88,230 ह,52,93,02,844 13,40,00,000 6,52,93,02,844 13,40,00,000 6,52,93,02,844 13,40,00,000 6,52,93,02,844 13,40,00,000 14,40,00,000 14,40,000	吳	ग और अग्रिम							
प्राप्त करनेवाले मूल्य के लिए नगद अथवा वस्तु के रूप में 69,43,84,423 63,75,29,042 वसूली योग्य अग्रिम वसूली योग्य अग्रिम सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क आयकर इत्यादि के साथ शेष 5,61,00,07,596 9,09,10,825 9,09,10,825 6,52,93,02,844 20,75,62,88,230 6,44,92,83,830	a			13,40,00,000			13,40,00,000		
भीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क आयकर इत्यादि के साथ शेष 5,61,00,07,596 9,09,10,825 9,09,10,825 9,09,10,825 6,52,93,02,844 20,75,62,88,230 6,44,92,83,830	ন্দ্ৰ			69,43,84,423			63,75,29,042		
энн 9,09,10,825 6,52,93,02,844 20,75,62,88,230 6,44,92,83,830	-			5,61,00,07,596			5,58,75,78,413		
20,75,62,88,230 6,44,92,83,830	্র			9,09,10,825			9,01,76,375		
					6,52,93,02,844	20,75,62,88,230		6,44,92,83,830	24,59,37,06,511

विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट VISAKHAPATNAM PORT TRUST

तुलन पत्र

		ည် ပြ	તુેલન પત્ર				(रूपयों में)
	अनु		31 मार्च 2017	को		31 मार्च 2016	को
घाटा : चालू दायिताएं और प्रावधान:	2.4						
क. बालू दायिताएं:							
।. ँ भविष्य निधि, पेंशन एवं उपदान निधियाँ							
क) भविष्य निधि		5,06,35,299			1,91,67,436		
ख) पेंशन निधि		4,67,08,01,855			4,55,77,03,528		
ग) उपदान निधि		-9,22,14,395	4,62,92,22,759		13,02,91,972	4,70,71,62,936	
॥. विविध लेनदार							
क) स्टोर्स के लिए लेनदार		5,12,94,416			5,32,70,590		
ख) गैर दावा वस्तुओं की असमायोजित बिक्री से आय		0			0		
-		0	5,12,94,416		0	5,32,70,590	
॥।. विविध लेनदार और ऋण शेष							
क) रेल्वे को देय विलंब/वैगन भाड़ा प्रभार		1,71,23,416			2,77,86,681		
ख) साविधिक भुगतान		43,60,90,522			42,92,37,793		
ग) ऍजी व्यय के प्रति दायितायें		2,12,72,455			2,12,72,455		
घ) अन्य		48,43,37,642			3,37,27,18,787		
		4,67,01,78,248	5,62,90,02,283		3,22,92,23,432	7,08,02,39,148	
।V. अग्रिम भुगतान तथा असमाप्त रियायते मूल्य अभी भी			4,42,59,55,375			4,02,63,55,350	
दिये जाने वाले हिस्से के लिए							
			3,17,38,55,408			3,11,53,86,660	
 ब्याज प्रोदभूत किया गया परंतु ऋण पर देय नहीं 			36,18,01,960			35,97,61,901	
			18,27,11,32,201			19,34,21,76,585	
덡							
क) कर के लिए प्रावधान		2,89,91,91,754			2,76,83,15,930		
ख) आकम्सिकताओं के लिए प्रावधान		0			0		
ग) अन्य प्रावधान		0			0		
			2,89,91,91,754	21,17,03,23,955		2,76,83,15,930	22,11,04,92,515
शुद्ध चालू परिसंपत्तियाँ				-41,40,35,723			2,48,32,13,996
विविध व्यय :	2.5			0			0
(नहीं लिखे गये अथवा समायोजित की सीमा तक)							
आस्थागित कर परिसंपतियाँ :	1.4			1,63,45,42,250			1,72,64,60,806
निधियों की कुल प्रयुक्ति				20,98,19,07,838			21,08,40,69,943
/ h					/ħ		

ह/-अध्यक्ष

आरक्षण और अधिशेष

तुलन पत्र की अनुसूची

	पूँजी आरक्षण		राजस्य आरक्षण		सांविधिक आरक्षण	आरक्षण
		सामान्य आरक्षण निधि	कर्मचारी परिवार सुरक्षा योजना	कर्मचारी कल्याण करी निधि	पूँजी परिसंपत्ति प्रतिरखापना आरक्षण	विकास, ऋृण तथा आकस्मिकताओं की अदायगी के लिए आरक्षण
	ંસ	ંસ	ંસ	ંસ	ંચ	ંસ
01.04.2016 को आदि शेष	9,09,08,39,442	1,22,04,57,588	6,11,91,608	0	4,44,04,95,097	5,22,99,89,153
जोद्ध:						
1. (क) राजस्व लेख लेखा से योगदान	0	0	53,63,871	25,00,000	0	0
(ख) अतिरिक्त मूत्यहास	0	0	0	0	0	0
2. राजस्य लेखा से अंतरण	52,03,63,534	21,82,46,116	0	0	0	0
3. (क) अन्य आरक्षाों से अंतरण	0	0	0	0	0	0
(ख) सामान्य आरक्षा निधि		0	0	0	0	0
४. अन्य अंतरण	0	0	0	0	0	0
	9,61,12,02,976	1,43,87,03,704	6,65,55,479	25,00,000	4,44,04,95,097	5,22,99,89,153
घटाव :						
1. आरक्षाों से अंतरण						
क) शुद्ध घाटा	0	0	0	0	0	0
ख) पूँजी आरक्षाों में अंतरण	0		0	0	0	0
ग) ऋणों की पुनर अदायगी	0	50,82,03,704	0	0	0	0
घ) संविधिक आरक्षों में अंतरण	0	0	0	0	0	0
2. अन्य अंतरण						
क) आरक्षा खाते से सथानांतरण	0	25,00,000	0		0	0
3. वर्ष के दौरान व्यय	0	0	24,22,317	25,00,000	0	0
31.03.2017 को अंत शेष	9,61,12,02,976	92,80,00,000	6,41,33,162	0	4,44,04,95,097	5,22,99,89,153

तुलन पत्र की अनुसूची अनुसूची - 1.2

ऋण निधियाँ

	सुरक्षित ऋण
	भारत सरकार से
	व्यवस्थित निधियाँ
	रू.
31.03.2016 तक शेष	93,50,91,000
वर्ष के दौरान प्राप्त	0
वर्ष के दौरान भुगतान	22,97,76,300
31-03-2017 तक शेष	70,53,14,700

तुलन पत्र की अनुसूची अनुसूची - 1.3

ग्रांट् का प्राप्ति

01-04-2016 तक शेष	10,60,06,055
वर्ष के दौरान प्राप्त	1,21,55,790
वर्ष के दौरान भुगतान	11,53,89,095
31-03-2017 तक शेष	27,72,750

तुलन पत्र की अनुसूची अनुसूची - 1.4

आस्थगित कर दायित्व

	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
	₹5.	रू.
आस्थगित कर दायिताएँ (परिसंपत्तियाँ) - आदिशेष :		
मूल्यहास के कारण समय में भिन्नता - डीटीएल	16,69,50,121	13,87,79,264
जोड ः अपफ्रंट ऋण चुकाना डीटीएल	65,24,53,210	0
घाटा : आई टी अधिनियम 1961 की धारा 43 (ख) के तहत नियोक्ता के रुप में चुकाई		
जानेवाली रकम के कारण समय में भिन्नता - डीटीए	2,54,58,64,137	1,62,14,35,963
आस्थगित कर दायिताएं (परिसंपत्तियाँ)	-1,72,64,60,806	-1,48,26,56,699
लेखा पर मूल्यहास के कारण समय में भिन्नता डीटीएल	19,91,34,495	16,69,50,121
घाटा : अपफ्रंट ऋण चुकाना डीटीए	2,73,59,473	65,24,53,210
घाटा : आई टी अधिनियम 1961 की धारा 43 (ख) के तहत नियोक्ता के रुप में चुकाई		
जानेवाली रकम के कारण समय में भिन्नता - डीटीए	1,80,63,17,271	2,54,58,64,137
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ - अंत शेष	-1634542250	-1,72,64,60,806
पी एवं एल खाते से शुद्ध आस्थगित कर देयता प्रभार	9,19,18,556	-24,38,04,107

ह/-

उपाध्यक्ष

नियत पूँजी परिसंपतियां

तुलन पत्र की अनुसूची

			कुल ब्लॉक	ओंक			मृत्य	मूल्यहास		मुद्ध ब्लॉक	诵
क्रसं	परिसंपतियों की श्रेणी	1 अप्रैल 2016 से	जोड्	डिलीभेन्स	31 मार्च 2017 को	1 अप्रैल 2016 को	वर्ष के दौरान मूल्यहास	मृत्यहास समायोजन	31/3/2017	1 अप्रैल 2016 को	31/03/2017
									को मूत्यहास		को शुद्ध ब्लॉक
		.सं	術.	術.	ক.	쨘.	. 원	两.	ক.	術.	쨘.
	भूमि	39,12,18,245	0	0	39,12,18,245	0	0		0	39,12,18,245	39,12,18,245
	पटटे का जमीन	73,881	0	0	73,881	0	0		0	73,881	73,881
2	पूँजी निकर्षण	2,65,68,67,432	2,99,34,82,367	8,49,46,762	5,56,54,03,036	42,96,07,195	5,38,44,755	0	48,34,51,951	2,22,72,60,236	5,08,19,51,085
3	भवन, शेड्स एवं अन्य संरचनाएं	74,74,37,368	9,70,78,750	1,13,208	84,44,02,910	33,51,16,211	2,00,58,611	60,385	35,51,14,436	41,23,21,157	48,92,88,474
4	वार्वस, सड़क वा सीमाए	1,62,42,60,625	29,05,28,849	85,71,679	1,90,62,17,795	40,45,16,405	4,63,81,206	4,558	45,08,93,053	1,21,97,44,220	1,45,53,24,742
	प्लावीयान	2,25,40,06,008	0	2,41,118	2,25,37,64,890	1,19,27,39,734	10,16,97,514	74,24,279	1,28,70,12,969	1,06,12,66,274	96,67,51,921
တ	रेत्वे तथा रोलिंग स्टॉक	1,88,84,47,138	8,11,56,586	0	1,96,96,03,724	75,35,33,870	3,96,08,090	4,947	79,31,37,013	1,13,49,13,268	1,17,64,66,712
7	डॉक, समुद्र दीवार, पीयर्स एवं नौवहन सहायता	3,64,41,20,961	10,19,33,226	39,08,541	3,74,21,45,645	82,63,06,051	5,13,95,427	1,003	87,77,00,474	2,81,78,14,910	2,86,44,45,171
33	क्रेन एवं वाहन	1,08,23,00,724	10,25,05,574	30,60,80,387	87,87,25,911	79,25,55,963	12,19,44,836	24,51,52,391	66,93,48,409	28,97,44,761	20,93,77,502
6	संयंत्र और मशीनरी	1,02,53,33,587	1,36,17,868	4,46,620	1,03,85,04,836	76,22,87,122	3,45,27,730	7,67,634	79,60,47,218	26,30,46,465	24,24,57,618
10	जल विद्युत, दूरसंचार तथा अग्निशमन की संस्थापना	1,11,23,06,004	82,53,882	23,39,436	1,11,82,20,451	89,60,66,779	4,65,24,717	20,13,510	94,05,77,986	21,62,39,225	17,76,42,465
	कुल	16,42,63,71,973	3,68,85,57,102	40,66,47,751	19,70,82,81,324	6,39,27,29,330	51,59,82,887	25,54,28,708	6,65,32,83,508	10,03,36,42,643	13,05,49,97,816
	प्रगति पर रहे पूँजी कार्य	4,93,86,53,181	3,52,24,99,388	3,74,15,37,972	4,71,96,14,597					4,71,96,14,597	4,71,96,14,597
	कुल पूँजी परिसंपत्तिया	21,36,50,25,154	7,21,10,56,490	4,14,81,85,723	24,42,78,95,921	6,39,27,29,330	51,59,82,887	25,54,28,708	6,65,32,83,508	14,75,32,57,240	17,77,46,12,413

ह⁄-उपाध्यक्ष

वार्षिक लेखा एवं लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2016-17

अनुसूची - 2.2



तुलनपत्र की अनुसूची

निवेश

		31 मार्च	2017 को	31 मार्च 2	31 मार्च 2016 को	
		लागत मूल्य	अंकित मूल्य	लागत मूल्य	अंकित मूल्य	
		₹.	₹.	₹.	₹.	
क.	सामान्य आरक्षा					
	चालू निवेश					
	दीर्घकालिक निवेश					
1.	सरकारी या न्यासी प्रतिभूतियाँ					
2.	शेयर्स, डिबेंयर्स या बाँड्स	58,80,00,000	58,80,00,000	58,80,00,000	58,80,00,000	
		58,80,00,000	58,80,00,000	58,80,00,000	58,80,00,000	
3.	अन्य निवेश					
		0	0	0	0	
	कुल (क)	58,80,00,000	58,80,00,000	58,80,00,000	58,80,00,000	
ख.	सांविधिक आरक्षा					
	चालू निवेश					
	दीर्घकालिक निवेश					
1.	सरकारी या न्यासी प्रतिभूतियाँ					
	सी जी 2034 @ 7.50%	2,01,70,333	2,00,00,000	2,01,70,333	2,00,00,000	
	सी जी 2035 @ 7.40%	1,95,33,111	2,00,00,000	1,95,33,111	2,00,00,000	
		3,97,03,444	4,00,00,000	3,97,03,444	4,00,00,000	
2.	शेयर्स, डिबेंयर्स या बाँड्स					
	ए पी पी एफ सी लिमिटेड पावर बांड्स					
	बैंक ऑफ महाराष्ट्री बांड्स	10,00,00,000	10,00,00,000	10,00,00,000	10,00,00,000	
	केनरा बैंक बांड्स	3,00,00,000	3,00,00,000	3,00,00,000	3,00,00,000	
	केनरा बैंक बांड्स	5,00,00,000	5,00,00,000	5,00,00,000	5,00,00,000	
	तमिलनाडु विद्युत बोर्ड बांड्स	2,00,00,000	2,00,00,000	2,00,00,000	2,00,00,000	
	यू बी आई बांड्स ईस्यू	0	0	0	0	
	डी सी आई कर छूट बांड्स-2013	10,00,00,000	10,00,00,000	10,00,00,000	10,00,00,000	
		30,00,00,000	30,00,00,000	30,00,00,000	30,00,00,000	

अनुसूची - 2.2

तुलनपत्र की अनुसूची

		31 मार्च	2017 को	31 मार्च 2016 को	
		लागत मूल्य	अंकित मूल्य	लागत मूल्य	अंकित मूल्य
		₹6.	₹5.	₹5.	₹0.
3.	अन्य निवेश				
	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के साथ टीडीआर @ 10.70%				
	आई. डी.बी.आई.बैंक के साथ टीडीआर @ 10.70%				
	आन्ध्र बैंक के साथ टीडीआर @ 9.00%				
	आन्ध्र बैंक के साथ टीडीआर @ 9.20%				
	आन्ध्र बैंक के साथ टीडीआर @ 9.10%				
	कार्पोरेशन बैंक के साथ टीडीआर @ 9.68%				
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ टीडीआर @ 9.00%				
	आन्ध्र बैंक के साथ टीडीआर @ 9.80%				
	इंडियन ओवरसीस बैंक के साथ टीडीआर @9.82%				
	विजया बैंक के साथ टीडीआर @9.23%				
		0	0		
	कुल (ख)	33,97,03,444	34,00,00,000	33,97,03,444	34,00,00,00
ग.	नकद अधिशोष निधि				
	भारतीय जीवन बीमा निगम अंतर्गत ग्रूप				
	अर्जित छुट्टी योजना	92,28,39,434	92,28,39,434	84,85,99,383	84,85,99,38
	बजाज एलियन्ज के अंतर्गत ग्रूप अर्जित छुट्टी योजना	3,77,13,412	3,77,13,412	3,46,64,271	3,46,64,27
	बजाज एलियन्ज के अंतर्गत ग्रूप परिवार सुरक्षा योजना	6,45,37,404	6,45,37,404	5,97,56,856	5,97,56,8
	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (लाईफ) के अंतर्गत ग्रूप				
	अर्जित छुट्टी योजना	3,39,95,204	3,39,95,204	3,13,75,361	3,13,75,36
	कुल (ग)	1,05,90,85,454	1,05,90,85,454	97,43,95,871	97,43,95,8
	कुल निवेश : (क+ख+ग)	1,98,67,88,898	1,98,70,85,454	1,90,20,99,315	1,90,23,95,8

निवेश

ह/-


उपाध्यक्ष



तुलनपत्र की अनुसूची

अनुसूची - 2.3 चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम

		31 मार्च 2	2017 को	31 मार्च 20	16 को
		₹.	₹5.	₹.	₹5.
चालू	परिसंपत्तियाँ				
i.	निवेशें पर संचित व्याज		50,13,52,086		88,68,69,419
ii.	संपत्ति सूची				
० नार्थ	सर्वीस स्टाँक एवं स्पेयर्स से कम की सामान सूची	19,99,44,404		22,13,78,112	
2 पर 2 वर्ष	ं से अधिक 3 वर्ष से कम की सामान सूची	7,64,418		5,08,370	
	ं से अधिक परंतु 10 वर्ष से कम की सामान सूची	17,18,411		19,25,589	
10 a	र्ष से अधिक परंतु 15 वर्ष से कम की सामान सूची	3,11,015		1,815	
15 व	र्ष से अधिक की सामान सूची	0		0	
,		20,27,38,248		22,38,13,886	
	ः नॉन मूर्विग संपत्ति सूची पर मूल्यहास	4,57,458	20,22,80,790	2,89,383	22,35,24,503
iii. —\	विविध देनदार				
क) 	शोध्य समझे जाने वाला अशोध्य ऋण कार्गो संबंधी देय	14,96,86,135		01 00 51 657	
क. ख.	कागा सबचा दय वाहक संबंधी देय	23,81,543		21,83,51,657 23,81,543	
ख. ग्.	पाहक सबया दय संपदा देय	4,61,85,81,611		2,82,41,96,630	
ਬ.	रेलवे देय	14,53,49,732		17,36,17,846	
ਹ. ਹ.	मत्सय बंदरगाह देय	30,64,70,162		17,35,98,227	
ਰ.	अन्य विविध देय	10,86,35,845		11,30,52,023	
			5,33,11,05,028		3,50,51,97,926
ख)	संदिग्ध या अशोध्य समझे जानेवाले ऋृण :				
क.	कार्गो संबंधी देय	2,29,27,786		2,29,27,786	
ख.	वाहक संबंधी देय	2,377		2,377	
ग .	संपदा देय	42,59,566		42,59,566	
घ. च.	रेलवे देय मत्सय बंदरगाह देय	4,08,79,049 50,26,643	7,30,95,421	4,08,79,049 50,26,643	7,30,95,421
ч.	नत्सय बदरगाह दय	30,20,043	5,40,42,00,449	50,20,045	3,57,82,93,347
घाटा	: संदिग्ध ॠणों के लिए प्रावधान		7,30,95,421		7,30,95,421
			5,33,11,05,028	_	3,50,51,97,926
iv.	रोकड़ एवं बैंक शेष				
क.	हस्तगत रकम		12,41,900		22,55,330
ख.	बैंकों में शेष :				
ग.	चालू/ बचत बैंक खातों में :	4 00 00 000			
	आंधा बैंक - पोर्ट शाखा एक्सिस बैंक	4,38,98,869		9,05,55,656	
	ए।क्सस बक बैंक ऑफ बरोडा	1,315 7,58,648		1,315 7,58,648	
	बैंक ऑफ इंडिया	7,30,040		7,56,646	
	केनरा बैंक	20,82,982		20,82,982	
	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	0		0	
	आई सी आई सी आई बैंक	0		0	
	इंडियन ओवरसीस बैंक	33,29,559		33,29,559	
	इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (आई डी बी झई)	15,16,183		15,16,183	
	ओ्रियंटल बैंक ऑफ कामर्स	11,08,696		11,08,696	
	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	0		0	
	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद सूर्याबाग शाखा	76,98,017		45,47,120	
	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - मुख्य शाखा	6,55,337		6,55,337	
	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - मुँख्य शाखा (एस्क्रो खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पोर्ट शाखा	14,13,958 4,31,50,393		14,13,958 4,63,97,525	
	स्टट बक आफ इंडिया - पाट शाखा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया - आरटीजीएस एसबी खाता 133641	49,91,625		4,63,97,525	
	यूनियन वर्ण आर्थ इन्डिया - आस्टाजार्ड्स एसवा खाता 155041 विजया बैंक	49,91,023		72,00,024	
		<u> </u>	11,06,05,582		15,65,75,503
			,,,		-,,,-



अनुसूची - 2.3

चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम

	31 मार्च	31 मार्च 2017 को		016 को
	₹.	₹5.	₹.	₹.
घ. जमा खाते में (टीडीआर एवं सीएलटीडी खाता) : आंघा बैंक स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	1,38,07,00,000		3,66,00,00,000	
केनरा बैंक बैंक ऑफ इंडिया आई डी बी आई	0 0 2,20,00,00,000		2,32,00,00,000 54,00,00,000	
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - पोर्ट शाखा विजया बैंक	0 22,97,00,000 3,57,00,00,000		2,39,00,00,000 2,00,00,000 2,86,00,00,000	
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर इंडियन ओवरसीस बैंक सिंडिकेट बैंक	70,00,00,000		50,00,00,000 1,08,00,00,000	
यूनियन बैंक के साथ टीडीआर @ 9.00% इंडियन ओवनसीस बैंक के साथ टीडीआर @ 9.25% विजया बैंक के साथ टीडीआर @ 8.90% बैंक ऑफ पटियाला के साथ टीडीआर @ 8.70% केनरा बैंक के साथ टीडीआर @ 9.25%				
THE TOTAL WITH CHOIGHT & C.EO.		8,08,04,00,000 8,19,22,47,482	13,37,00,00,000	13,37,00,00,000 13,52,88,30,833
कुल चालू परिसंपत्तियाँ		14,22,69,85,386		18,14,44,22,681
ऋण और अग्रिम 1. सब्यिडरी/पोर्टों / न्यासियों को अग्रिम एवं ऋण कागाी संभलाई प्रभाग द्वारा लिया गया भंडार इंटरकार्पोरेट ऋण पेशन निधि ट्रस्ट को अग्रिम उपदान निधि ट्रस्ट को अग्रिम	1,00,00,000		0 1,00,00,000	
विशाखपट्टणम पोर्ट सड़क कंपनी लि. को अधीनस्थ ऋण	12,40,00,000		12,40,00,000	40.40.00.000
 प्राप्त मूल्य रोकड़ या वस्तु के ऋण में प्राप्त अग्रिम ठेके कार्यों के लिए अग्रिम भंडार के खरीद के लिए अग्रिम कंप्यूटर अग्रिम गृह निर्माण अग्रिम मोटार कॉर/ साईकिल अग्रिम यात्रा/छुट्टी यात्रा रियायत अग्रिम अन्य 	40,54,51,959 6,54,03,240 51,65,598 58,70,675 32,43,257 55,72,297 20,42,81,796	13,40,00,000	32,13,57,727 6,45,84,688 71,30,556 77,52,559 41,74,805 53,10,685 22,78,22,421	13,40,00,000
घाटाः संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		69,49,88,822 6,04,399 69,43,84,423		63,81,33,441 6,04,399 63,75,29,042
 सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर आदि के पास शेष संचार निगम विभाग के पास स्वैचिछक जमा आयकर - टीडीएस, अग्रिम कर एवं सेवा कर 	30,550 5,60,99,77,046		30,550 5,58,75,47,863	
4. जमा आंध्र प्रदेश ट्रान्स्को में जमा जी वी एम सी के साथ जमा	5,41,63,343 3,67,47,482	5,61,00,07,596	5,34,28,893 3,67,47,482	5,58,75,78,413
,	5,07,17,102	9,09,10,825	5,57,17,102	9,01,76,375
* ऋण एवं अग्रिम शोध्य एवं आरक्षित समझा गया				
कुल ऋण एवं अग्रिम		6,52,93,02,844		6,44,92,83,831

ह/-

उपाध्यक्ष

तुलनपत्र की अनुसूची

अनुसूची - 2.4

चालू दायितायें एवं प्रावधान

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		017 को 31 मार्च 2016 को	
		₹5.	₹5.	ন্ড.	₹.
. भविष्य निधि, पेंशन निधि	रवं उपदान निधियाँ				
क) भविष्य निधि		5,06,35,299		1,91,67,436	
ख) पेंशन निधि		4,67,08,01,855		4,55,77,03,528	
ग) उपदान निधि		-9,22,14,395		13,02,91,972	
			4,62,92,22,759		4,70,71,62,93
l. विविध लेनदार					
क) भंडार के लिए ले	नदार	5,12,94,416		5,32,70,590	
	ो असमायोजित बिक्री से लाभ	0		0	
ग) अधिशेष सामाग्री	की असमायोजित बिक्री से लाभ	0	_	0	
			5,12,94,416		5,32,70,59
II. फुटकर लेनदार एवं जमा ६	ोष :				
क) रेल्वे को देय विल	म्ब शुल्क/वैगन भाडा प्रभार	1,71,23,416		2,77,86,681	
ख) संविधिक भुगतान		43,60,90,522		42,92,37,793	
ग) पूँजी व्यय के लिए	दायितायें	2,12,72,455		2,12,72,455	
घ) अन्य		48,43,37,642		3,37,27,18,787	
च) व्यापारी, ठेकेदार	एवं अन्य से जमा	4,67,01,78,248		3,22,92,23,432	
			5,62,90,02,283		7,08,02,39,14
V. अग्रिम भुगतान एवं असमाप	ान छूट				
उस भाग के लिए जिसके व	लेए अभी भी मूल्य दिया जाना है				
क) पहले चुकायी गर्य		12,38,34,934		21,30,84,235	
ख) परिशोध्य किये ज	ाने वाले अप-फ्रंट प्रीमियम	4,30,21,20,441		3,81,32,71,115	
ग) ट्रेड को अभी भी व	नूल्य में छूट दिया जाना है	0		0	
			4,42,59,55,375		4,02,63,55,35
/. अन्य देयतायें			3,17,38,55,408		3,11,53,86,66
/I. प्राप्त ब्याज लेकिन ऋणें प	र देय नहीं		36,18,01,960		35,97,61,90
ठ ल चालू देयेतायें			18,27,11,32,201		19,34,21,76,58
व्र. प्रावधान :					
l) कर के लिए प्रावध	न	2,89,91,91,754		2,76,83,15,930	
II) आकस्मिकताओं वे	त्र लिए प्रावधान	0		0	
III) अन्य प्रावधान		0		0	
व्रल प्रावधान			2,89,91,91,754		2,76,83,15,93
हुल चालू देयतायें एवं प्रावधान			21,17,03,23,955		22,11,04,92,51
_					

ह/-

उपाध्यक्ष

लाभ एवं हानि खाता

	अवधि	के अंत तक
	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
आय :	₹5.	₹.
कार्गो संभलाई एवं भंडारण प्रभार	3,02,57,17,671	3,84,47,22,100
पोर्ट एवं डॉक प्रभार	3,36,67,17,614	2,70,81,27,536
रेल्वे आमदी	1,24,71,41,007	1,53,78,78,515
संपत्ति किराया	1,53,62,35,596	98,46,11,054
कुल परिचालन आय	9,17,58,11,888	9,07,53,39,205
व्यय :		
पोर्ट एवं डॉक सुविधा	94,89,70,411	1,12,13,29,709
पोर्ट एवं डॉक सुविधा	1,17,54,83,025	1,26,97,95,581
रेल्वे कार्यचालन	84,79,57,962	84,15,72,890
किराये योग्य भूमि एवं भवा	46,17,12,605	44,74,87,084
प्रबंधा एवं सामाय प्रशासन व्यय	1,88,22,81,261	1,83,66,91,931
कुल परिचालन व्यय	5,31,64,05,264	5,51,68,77,195
प्रचालन अधिशेष :	3,85,94,06,624	3,55,84,62,010
जोड : वित्त एवं विविध आय	1,22,63,46,146	3,41,91,14,943
घाटा : वित्त एवं विविध व्यय	4,63,25,52,444	6,72,07,41,704
कर से पहले लाभ	45,32,00,326	25,68,35,249
घाटा : टैक्सेशन के लिए प्रावधान:		
पिछले वर्ष	0	0
चालू वर्ष	13,08,75,824	0
आस्थगित कर	9,19,18,556	-24,38,04,107
कर के बाद लाभ	23,04,05,946	50,06,39,356
घाटा : पूंजी परिसंपत्ति पर लाभ पूंजी आरक्षण के लिए अंतरण	1,21,59,830	11,73,089
विनियोजा के लिए उपलब्ध रकम	21,82,46,116	49,94,66,266
घाटा : विनियोजा		
विकास, ऋणों का पुार्भुगताा एवं आकसिमकताओं के लिए 11िध	0	38,54,34,000
प्रतिस्थापा, पुनर्वास तथा पूँजी परिसंपत्तियों के आधुनिकीकरण के लिए निधि	0	0
कुल विनियोजन	0	38,54,34,000
सामान्य आरक्षण में स्थानांतरित शेष	21,82,46,116	11,40,32,266

ह/-अध्यक्ष ह/-उपाध्यक्ष



, , 36	0.1	
+	अवधि के उ	
 	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
+	₹5.	₹.
अनुसूची - आर.1		
कार्गो संभलाई एवं भंडारण प्रभार		
साधारण कार्गो पर संभलाई और स्टोरेज प्रभार	1,22,95,03,662	1,74,87,41,246
वेयर हाउसों में माल का भंडारण	2,54,48,213	1,46,46,188
क्रेनेज	18,14,843	36,09,921
लाइटरेज	0	0
पी ओ एल तेल और लुब्रिकेंटस की संभलाई	66,12,77,596	53,80,79,125
सामान्य कार्गो पर विलंब शुल्क	9,58,12,327	46,96,93,976
बी ओ टी ठेके से सरायल्टी	97,76,09,140	1,05,74,98,651
विविध प्रभार	3,42,51,890	1,24,52,993
कुल	3,02,57,17,671	3,84,47,22,100
अनुसूची - आर.2		
पोर्ट एवं डॉक प्रभार		
टौविंग एवं मूरिंग शुल्क	5,56,02,087	8,44,22,350
डॉक देय	69,82,56,412	38,76,67,724
पोर्ट देय	88,97,35,625	73,73,35,737
पायलटेज शुल्क	1,68,58,53,021	1,46,69,96,743
ड्राई डॉकिंग प्रभार	1,34,30,730	57,28,707
नौवहन के लिए जल आपूर्ति	36,25,849	43,06,856
साल्वेज और जलगत मरम्मत	12,56,610	56,28,381
विविध प्रभार	1,89,57,280	1,60,41,038
कुल	3,36,67,17,614	2,70,81,27,536
अनुसूची - आर.3		
रेल्वे आमदनी :		
वैगन भाड़ा एवं दुलाई प्रभार	18,32,20,379	18,64,01,573
साइडिंग प्रभार	39,92,23,098	47,42,89,310
टर्मिनल प्रभार	49,97,69,292	64,91,28,657
विविध प्रभार	16,49,28,238	22,80,58,975
कुल	1,24,71,41,007	1,53,78,78,515

	अवधि के अं	त तक
अनुसूची - आर.4	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
संपदा किराया	₹5.	रू.
भूमि से किराया	1,37,64,68,746	74,34,19,437
भंडारण शेडों पर किराया	94,586	76,933
बाहरी कार्यालयों के लिए व्यवस्थित आवास से किराया	15,36,025	24,72,349
कलावाणी ऑडिटोरियम	1,05,24,982	1,17,47,500
पोर्ट ट्रस्ट क्वार्टरों से किराया	47,02,508	48,16,134
वसूली योग्य प्रभार	11,78,18,663	20,32,10,138
विविध आय	2,50,90,086	1,88,68,563
कुल	1,53,62,35,596	98,46,11,054
अनुसूची - आर.5		
कार्गो संभलाई एवं भंडारण :		
शेडों और गोदामों में सामान्य कार्गो की संभलाई और भंडारण	55,38,53,549	52,73,02,637
वेयर हाउँसिंग	48,30,721	0
आस्क संभलाई संयंत्र का प्रचालन और अनुरक्षण	4,84,35,200	22,69,84,893
लाईटरों और बार्जों का परिचालन और अनुरक्षण	3,95,486	1,45,214
वार्फ क्रेन और क्रेन वेसल्स का प्रचालन एवं अनुरक्षण	3,68,67,642	4,26,91,533
गोदियों में सामान्य सुविधाओं पर व्यय	2,27,37,460	2,28,31,364
प्रशासन एवं सामान्य व्यय	17,76,78,074	18,80,07,356
नए लघु कार्य	0	0
मूल्यहाँस	10,41,72,279	11,33,66,712
कुल	94,89,70,411	1,12,13,29,709

लाभ एवं हानि लेखा की अनुसूची

		'
अनुसूची - आर.6		
पोर्ट एवं डॉक सुविधाएं :		
टौविंग, बर्थिंग एवं मूरिंग	40,85,55,676	42,46,87,023
पाइलटेज	23,90,51,126	27,72,30,586
ड्राई डॉकिंग व्यय	4,47,53,526	3,70,65,104
नौवहन के लिए जल आपूर्ति	1,11,16,614	1,17,80,798
अग्नि शमन	4,54,43,987	4,55,62,471
निकर्षण एवं समुद्री सर्वेक्षण	16,88,09,750	23,10,65,389
नौचालन सहायताओं का प्रचालन एवं अनुरक्षण	1,20,90,493	1,19,00,193
साल्वेज और जलगत मरम्मत	7,21,241	7,38,190
गोदी एवं बंदरगाह दीवारों, समुद्री संरचनाओं आदि का अनुरक्षण	1,49,29,019	1,49,31,959
प्रशासन एवं सामान्य व्यय	2,29,18,497	2,23,35,909
नए लघु कार्य	0	0
मूल्यहास	20,70,93,096	19,24,97,961
कुल	1,17,54,83,025	1,26,97,95,581



	अवधि के उ	भंत तक
	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
	रू.	₹5.
अनुसूची - आर.7		
रेल्वे कार्यचालन:		
लोकोमोटिव, वैगन आदि का प्रचालन एवं अनुरक्षण	32,69,35,982	28,68,72,862
स्थाई वे प्रदर्शक और इंटर लाकिंग पद्धति का अनुरक्षण	13,59,03,774	11,21,39,606
स्टेशन, यार्ड और साईडिंग के प्रचालन अनुरक्षण और प्रशासन संबंधी व्यय	13,36,518	2,33,34,789
प्रशासन एवं सामान्य व्यय	34,12,89,338	37,03,81,143
नए लघु कार्य	0	(
मूल्यहास	4,24,92,350	4,88,44,490
कुल	84,79,57,962	84,15,72,890
अनुसूची - आर.8		
किराये योग्य भूमि और भवन :		
संपदा अनुरक्षण	39,97,06,227	40,31,57,96
भूमि मरम्मत और उद्धार	32,91,585	17,46,27
प्रशासन एवं सामान्य व्यय	39,96,230	13,81,89
नए लघु कार्य	0	(
मूल्यहास	5,47,18,563	4,12,00,94
कुल	46,17,12,605	44,74,87,084
अनुसूची - आर.9		
प्रबंध और सामान्य प्रशासन :		
प्रबंध और सचिवालयी व्यय	10,02,77,615	11,26,33,20
पोर्ट सुरक्षा (कें.ओं. सु. ब.)	37,79,52,365	33,99,95,76
कानूनी व्यय	28,35,157	33,72,87
श्रम और कल्याण व्यय	7,61,77,375	7,53,21,82
अनुसंधान और योजना एकक	5,79,11,241	5,70,41,44
चिकित्सा व्यय	32,74,04,299	32,42,96,30
भंडार पालन	4,99,05,253	5,16,55,14
लेखाकरण और लेखापरीक्षा	3,89,97,777	8,44,97,47
प्रधान कार्यालय भवन पर व्यय	0	(
दूरभाष	1,02,82,250	1,19,38,87
इंजीनियरिंग और कार्यशाला प्रशासन अतिरिक्त खर्च	66,31,29,785	68,99,47,217
फुटकर व्यय	15,87,32,668	6,69,84,33
नए लघु कार्य	0	1
मूल्यहास	1,86,75,476	1,90,07,46
	1	

	अवधि के अ	ांत तक
	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
अनुसूची - आर.10	₹.	₹5.
वित्त और विविध आय :		
सरकारी सुरक्षाओं पर ब्याज	0	C
दीर्घकाल एफडीआर पर ब्याज	0	C
आविधक निक्षेप एवं नकद शेष पर ब्याज	69,39,42,010	1,36,24,73,732
राजस्य लेखा पर ब्याज	1,75,06,674	1,24,82,566
निक्षेप खते पर ब्याज	35,97,953	41,65,583
आयकर वापसी पर ब्याज	2,41,63,095	5,00,01,461
विविध आय	32,27,09,722	13,92,92,845
फुटकर प्राप्तियाँ	3,55,78,042	1,85,83,13,240
पूँजी परिसंपत्तियों के निपटारे पर लाभ	1,32,54,052	22,58,443
सेन्टस प्रभार	63,135	32,292
निविदा दस्तावेजों की बिक्री	8,81,650	7,75,750
भंडार समायोजन (अतिरिक्त)	8,35,946	9,60,967
पिछले वर्ष से संबंधित मदें	11,38,13,867	-1,16,41,936
कुल	1,22,63,46,146	3,41,91,14,943
अनुसूची - आर.11		
वित्त और विविध व्यय :		
बैंक प्रभार	2,26,800	66,403
निम्न लिखित पर चुकाए जानेवाले व्याज :		
i) सरकार से ऋण	4,64,13,960	4,22,20,818
ii) अन्य एजन्सियों से ऋण	0	(
iii) अन्यों से ब्याज	4,08,298	2,60,84
सिक्का समायोजन	-20,916	-468
बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋण	0	(
संदिग्ध एवं अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान	0	(
संपत्ति कर	35,29,86,290	34,77,20,571
आय कर अपील आदि पर व्यय	2,000	2,000
पूँजी परिसंपत्तियों के निपटारे पर हानि	3,30,95,869	46,894
भंडार समायोजन	2,45,144	23,84,828
मास्टर लिस्ट अभ्यर्दियों को एक मुश्त भुगतान	0	4,55,000
सेवानिवृत्ति लाभ :		
i) सेवासनिवृत्ति उपदान	-20,97,35,437	17,70,26,000
ii) स्वैचिछक सेवानिवृत्ति योजना में अनुग्रहपूर्वक अदायगी	44,84,67,309	3,93,66,10°
iii) क) पेंशन भुगतान	1,85,68,15,917	1,81,31,12,228
ख) नए पेंशन योजना के लिए अंशदान (टाईर-I)	1,77,16,610	1,61,59,337
ग) पेंशन निधि के लिए अंशदान	1,71,45,46,000	4,04,57,00,000
घ) पेंशन का कमुटेशन	29,93,30,696	19,99,36,119
कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी निधि में अंशदान	1,50,19,181	2,74,99,827
भविष्य निधि में न्यासियों का अंशदान	98,454	88,322
पिछले अवधि से संबंधित व्यय	5,69,36,269	86,96,880
कुल	4,63,25,52,444	6,72,07,41,704

ह/-उपाध्यक्ष



लाभ और हानि की अतिरिक्त अनुसूची कुल व्यय (वित्त एवं विविध व्यय शामिल है)

	अवधि के अ	अवधि के अंत तक	
	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	
	रू.	₹.	
क. कर्मचारियों के लिए भुगतान और प्रावधान :			
1. वेतन, मजदूरी और बोनस आदि			
i. वेतन और मजदूरी	2,72,69,14,147	2,73,46,32,383	
ii. बोनस	10,04,44,012	2,45,78,648	
	2,82,73,58,159	2,75,92,11,031	
2. भविष्य निधि और अन्य निधियों में चंदा	, , , ,		
i. भविष्य निधि में न्यासियों के अंशदान	98,454	88,322	
ii. पेंशन निधि के अंशदान	1,71,45,46,000	4,04,57,00,000	
iii. पेंशन की कम्युटेशन सहित पेंशन भुगतान	2,17,38,63,223	2,02,92,07,684	
3 . 3	3,88,85,07,677	6,07,49,96,006	
3. उपदान:	-20,97,35,437	17,70,26,000	
4. कर्मकार एवं स्टॉफ कल्याण :		<u> </u>	
i. छुट्टी यात्रा व्यय	15,21,853	15,63,755	
ii. चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय	13,40,59,220	10,03,59,604	
iii. आंतरिक रोगियों के लिए पौष्टिकता	3,64,614	4,15,415	
iv. भंडार (औषध)	5,07,69,643	7,15,03,713	
v. भंडार (सर्जिककल)	14,99,045	15,60,992	
vi. कामगार काम्पनशेषन अधानियम के अंतर्गत भुगतान	0	0	
vii. पासेस एवं पी टी ओ	0	0	
viii. छात्रवृत्ति, पुरस्कार एवं अवार्ड	62,000	77,200	
ix. स्वैचिछक सेवानिन्ति योजना में अनुग्रहपूर्वक भुगतान	44,84,67,309	3,98,21,101	
• • •	63,67,43,684	21,53,01,781	
কুল (ক)	7,14,28,74,083	9,22,65,34,817	
ख. प्रचालनं व्यय :			
1. भंडार और अतिरिक्त पुर्जो आदि का उपभोग	11,32,19,952	7,10,24,088	
2. प्लांट और मशीनरी (यांत्रिक) की मरम्मत	22,81,92,860	19,58,72,862	
3. भवन और सिविल संरचनाओं की मरम्मत	17,82,69,951	25,68,33,486	
4. अन्य मरम्मत			
i. विशेष मरम्मत	0	0	
ii. प्राक्कलन द्वारा पूरित विशेष मरम्मत	3,85,14,173	4,29,14,711	
iii. आाफस मशीनों का किराया एवं सेवा प्रभार	3,42,56,261	3,35,14,519	
	7,27,70,434	7,64,29,230	
5. उपभुक्त भंडार			
i. सामान्य भंडार	3,38,92,247	3,99,34,915	
	3,38,92,247	3,99,34,915	
	•		

लाभ और हानि की अतिरिक्त अनुसूची कुल व्यय (वित्त एवं विविध व्यय शामिल है)

	अवधि के अं	त तक
	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
	₹5.	₹5.
6. विद्युत, फ्यूयल, लुबिकेट्स आदि		
i. भंडार (प्रचालन)	26,51,76,342	31,64,91,976
ii. विद्युत शक्ति	6,17,94,162	21,54,37,187
3	32,69,70,504	53,19,29,163
7. नए लघु कार्य	0	0
8. अन्य परिचालन व्यय		
i. रेल्वे को क्षति और कमियों के लिए चुकाए जानेवाले भुगतान	1,12,37,478	3,74,54,653
ii. वैगन किराया प्रभार	0	1,52,40,379
iii. फ्लोटिंग क्राफ्ट्स के लिए किराया प्रभार	1,02,04,755	1,34,10,363
iv. वाहन के लिए किराया प्रभार	4,12,73,764	3,93,77,989
v. प्राईवेट टग्स के लिए किराया प्रभार	9,79,18,360	12,61,81,849
vi. अग्नि प्रभार	0	0
vii. फुटकर व्यय परिचालन	2,95,29,761	1,39,16,463
viii. किराया तथा संभलाई प्रभार	44,192	8,31,718
ix. सुरक्षा	0	0
x. सुरक्षा प्रभार	37,34,79,012	34,54,94,884
xi. निकर्षण प्रभार 	11,62,88,751	17,12,24,531
xii. मूल्यहास	42,71,51,764	41,49,17,572
	1,10,71,27,837	1,17,80,50,400
कुल (ख)	2,06,04,43,786	2,35,00,74,144
ग. सामान्य व्यय :		
i. किराया, दर एवं कर	9,76,707	1,12,482
ii. लेखा परीक्षा शुल्क 	-2,51,64,915	1,56,29,759
iii. जल प्रभार	9,91,63,636	7,45,93,566
iv. संचार व्यय	4,97,007	4,38,769
v. अन्य व्यय	92,61,368	93,21,944
vi. बीमा 	19,67,666	17,68,732
vii. यात्रा व्यय	71,17,597	68,80,867
viii. फर्निचर एवं कार्यालय उपस्कर	1 00 05 704	13,93,833
ix. विविध व्यय	1,29,65,724	1,52,47,227
х. विज्ञापन एवं प्रचार	1,66,35,459 30,000	2,31,49,051 1,56,000
xi. न्यासियों के शुल्क xii. मनोरंजन		21,33,126
xiii. पुस्तक एवं पीरियाडिकल्स	23,58,158 2,74,733	91,659
xiii. पुरतक एव पारियांडकल्स xiv. विधि एवं व्यवसायिक प्रभार	1,77,33,636	90,72,955
xv. विद्यार्थ व्यवसायिक प्रभार xv. मुद्रण एवं प्रकाशन	29,20,523	11,98,081
xvi. पुत्रण एप प्रकाशन xvi. प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्ति	19,51,084	15,46,821
xvi. प्रारावाण कावक्रमा के लिए प्रातानयुक्त xvii. लाइसेंस शुल्क	30,37,773	33,21,735
xviii. टेलीफोन	66,12,645	85,98,838
xix अनुसंधान एवं विकास	7,03,97,935	5,09,79,045
xx. चंदा	71,249	15,204
xxi. अंशदान	1,15,18,959	90,08,916
कुल (ग)	24,03,26,944	23,21,11,341



लाभ और हानि की अतिरिक्त अनुसूची कुल व्यय (वित्त एवं विविध व्यय शामिल है)

	अवधि के र	अवधि के अंत तक	
	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	
	रू.	₹.	
घ. वित्त व्यय :			
1. ब्याज व्यय :			
i. बैंक प्रभार	2,26,800	66,403	
ii. सरकारी ऋणों पर ब्याज	4,64,13,960	4,22,20,818	
iii. अन्य ऋणों पर ब्याज	4,08,298	2,60,844	
	4,70,49,058	4,25,48,065	
2. संपत्ति कर	35,29,86,290	34,77,20,571	
कुल (घ)	40,00,35,348	39,02,68,636	
 च. सामान्यतः पोर्ट द्वारा नहीं किये जाने वाले वस्तु के ट्रान्सेक्शन्स या अपवादी पिरिस्थितियों में या वापस नहीं होने वाली स्थिति में किये गये कार्यकलापों से संबंधित लाभ या हानि - अगर सामग्री रकम में है तो : i. बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋण ii. अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान iii. पूँजी पिरसंपत्तियों की निपटाने पर हानि iv. भंडार समायोजन v. पिछलनी अवधि के व्यय vi. टैक्स अपील पर व्यय vii. कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए अंशदान निधि सिक्का समायोजन 	0 0 3,30,95,869 2,45,144 5,69,36,269 2,000 1,50,19,181 -20,916	0 0 46,894 23,84,828 86,96,880 2,000 2,74,99,827 -468	
कुल (च)	10,52,77,547	3,86,29,961	
मूल व्यय	9,94,89,57,708	12,23,76,18,900	

ह/-

उपाध्यक्ष

2016-17 के वार्षिक लेखा महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ एवं लेखा पर टिप्पणी

(क). लेखा नीतियाँ :

1. लेखाकरण के मर्केंटाईल सिस्टम के अंतर्गत पुस्तकों का अनुरक्षण की गई । वास्तविक के आधार पर राजस्व को निर्धारित किया गया शुद्ध सेवा कर एवं छूट/ प्रोत्साहनआदि प्रस्तुत किया गया ।

2. नियत पूँजी परिसंपत्तियाँ एवं मूल्यहास

सभी परिसंपत्तियाँ मूल लागत पर पूँजीकृत किए गए हैं।

सरकार के वर्तमान निर्देशों के अनुसार 5 वर्ष से कम की अनुमानित अवधि एवं रू.1,00,000/- लागत से कम की परिसंपत्तियाँ राजस्व परिसंपत्ति समझी गई और राजस्व व्यय में प्रभारित की गयी ।

मूल्यहास को सीधी लाईन प्रणाली के तहत उपलब्ध कराया गया ।

सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार 3 माह से कम के लिए प्रयुक्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के लिए कोई प्रावधान नही किया गया और छः माह की अविध से कम प्रयुक्त परिसंपत्ति के लिए आधा मूल्यह्रास उपलब्ध कराया गया और 6 माह से अधिक के लिए प्रयुक्त परिसंपत्ति के लिए पूरा मूल्यह्रास का प्रावधान किया

निपआने के कारण वित्तीय सारणी में नियत परिसंपत्तियाँ शामिल नहीं किए गए हैं । महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 96 के प्रावधानों के अनुसार परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डाल दिया गया ।

निर्माणाधीन नियत परिसंपत्तियों को प्रगति पर रहे पूँजी कार्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

पूँजी परिसंपत्तियों के निपटारे पर लाभ एवं हानि को वित्त एवं विविध आय के अंतर्गत दिखाया गया । बिक्री पर मिलने वाले पूँजी लाभ मूल रूप से अधिग्रहीत लागत से ज्यादा होने के कारण, उसे पूँजी आरक्षण लेखा में स्थानांतरित किया गया ।

3, निवेश

एक वर्ष से अधिक सम के निवेशों को दीर्घकालीन विशों के रूप में तथा एक वर्ष या उससे कम अविध के निवेशों को चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया ।

निवेशों को लागत मूल्य की लेखा पुस्तकों में ले जाया गया । मंडल के यह रॉय को ध्यान में रखते हुए कि ह्रास स्थाई प्रकार का है, दीर्घ कालीन निवेश के मार्केट मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान किया गया ।

माल सूची का मूल्यांकन

स्टॉक मदों की सूची का मूल्यांकन औसत भार प्रणाली पर किया गया ।

5. आय

कार्य समाप्ति की प्रतीक्षा किये बिना, की गई सेवा से प्राप्त राजस्व को सेवा की समाप्ति की अवस्था के अनुपात में स्वीकार किया गया । गोदी में प्रविष्ट माल पर, लदाई न करने पर भी, अधिसूचित दरमानों के अनुसार वार्फेज प्रभार लगाये जाएंगे । तदनुसार वार्फेज़ आय का गणन किया गया ।



घाट/ सुविधाओं के पट्टे पर वसूल किया गया अपफ्रंट शुल्क और जमीनों की पट्टे वसूल किया गया प्रीमियम को पर्वू भुगतान आय के रूप में गणन किया गया और बिलमोरिया रिपोर्ट के अनुसार पट्टा अवधि के दौरान चुकाया गया ।

6. उधार लागत

अधिग्रहण, परिसंपत्तियों का निर्माण के लिए सीधा आरोप्य उधार लागत को परिसंपत्ति प्रारंभ करनेकी तिथि तक पूँजीकृत किया गया । पूँजीकरणकेबाद ऋण पर ब्याज को वास्त के आधार पर राजस्व में प्रभार्य किया गया ।

7. विदेशी मुद्रा कार्य संपादन

पुर्जे तथा प्रधान उपस्कर का आयात के लिए विदेशी मुद्रा कार्य संपादन सौदा करने की तिथि को रहे एक्सचैंज दर पर रिकार्ड की गई । अब तक पीं को पुर्जें तथा प्रधान उपस्कर का आयात से संबंधित न कोई विदेशी मुद्रा का ऋण है न ही कोई आगे के ठेके में हस्ताक्षर किया । जब कभी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है, तब संबंधित लेखा मानकों को दृष्टि में रखते हुए नीति का निर्माण किया जाएगा ।

पोर्ट को जलयान से संबंधित प्रभार जैसे कुछ आय है, जो यू एस डालरों में डिनामिनेट किया जाता है लेकिन भारतीय रूपयों में वसूल किया जाता है । यह वसूली जलयान पोर्ट में प्रवेश करने की तिथि को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या इस के सब्सिडरीज़ या अन्य कोई सार्वजनिक बैंक द्वारा अधिसूचित क्रय दर का उपयोग करते हुए किया जाता है ।

8. आय पर कर

आय कर अधिनियम 1961 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए, चालू कर का प्रावधान बनाया गया ।

ए एस 22 के अनुसार मुख्यतः मूल्यहास एवं आयकर अधिनियम 1961 की धारा 43 बी के अंतर्गत आनेवाले मदों के कारण टाईमिंग में भिन्नता के परिणाम रूप में आस्थिगित कर परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व हुआ जो लाभ और हानि लेखा में प्रभार्य करते हुए लेखा में पाया गया है । आस्थिगित कर परिसंपत्तियों को निर्धारित करते हुए आगे ले जाया गया, क्यों कि पिछले मामलोंके रिकार्ड एवं भविष्य के लाभ का प्राक्कलन के आधार पर उन्हें वसूल किया जा सकता है ।

9. मंडल की संकल्प संख्या 268/2015-16 के अनुसार पेंशन, उपदान एवं छुट्टी नकदीकरण का वास्तविक मूल्यांकन प्रति वर्ष किया जाएगा ।

(ख). लेखा पर टिप्पणी :

- 1. पूँजी राजस्व में वर्ष 1933 से 1964 तक प्रारंभ पूँजी के रूप में भारत सरकर द्वारा व्यवस्थित निधियाँ भी शामिल है ।
- 2. भारत सरकार के निदेशों का अनुसरण करते हुए पूँजी आरक्षण को शुद्ध पूँजी ब्लाक से पूँजी ऋण निकालकर शेष राशि के बराबर अनुरक्षित किया गया । दिनांक 31-03-2017 के अंत तक पूँजी ऋण को घटाने के बाद परिसंपत्तियों का शुद्ध ब्लाक रू. 1234.97 रहा (रू. 1305.50 करोड़ रू. 70.53 करोड़)। दिनांक 31-03-2016 के अंत तक पूँजी आरक्षण रू. 909.08 करोड़ रहा और वर्ष के दौरान, अधिशेष की उपलब्धता के आधार पर रू. 52.04 करोड़ पूँजी आरक्षण में स्थानांतरित किया गया अत: दिनांक 31-03-2017 के अंत तक पूँज आरक्षण रू. 1234.97 करोड़ के खिलाफ केवल रू. 961.11 करोड़ रहा । भविष्य में उपलब्ध अधिशेष के आधार पर रू. 273.86 करोड़ भिन्नता को ठीक किया जाएगा ।
- 3. सरकार के निर्देशानुसार बाह्य बंदरगाह के लिए सरकारी ऋणों पर नहीं चुकाए गए मूलधन और ब्याज पर पोर्ट के परिशोधित प्रस्ताव के अनुसार वि पो ट्र ने 2004-05 के अंत तक शेष संपूर्ण मूलधन और ब्याज चुका दिया । दिनांक 31-03-2004 के अंत तक पीनल ब्याज रू. 213.05 करोड़ तथा 31-03-2017 तक विद्ध रू. 141.18 करोड़ को अनिश्चित दायित्व के रूप में माना जाता है क्यों कि विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट ने इसे माफ करने के लिए सरकार से अनुरोध किया । इस संदर्भ में,

पोत परिवहन मंत्रालय ने पहले ही वित्तीय मंत्रालय को केबिनेट नोट प्रस्तुत किया और इस मामले पर मंत्रालय से पत्राचार की जा रही है ।

- 4. इस संबंध में दिया गया नीति और पद्धित के अनुसार संपत्तियों की भौतिक जाँच हर पाँच वर्ष में की जाती है । 31-03-2013 के अंत तक भौतिक सत्यापन किया गया और परिसंपत्ति रिजस्टर के साथ परिसंपित्तयों का समाधान वर्ष 2014-15 में किया गया । संबंधित विभागों को अर्थात अभियंता, यांत्रिक तथा समुद्री विभागों को पुष्ठीकरण हेतु पत्र भेजे गए और संबंधित विभागों से पुष्ठीकरण प्राप्त किए गए हैं और अंतिम रूप देने की कार्रवाई की जा रही है ।
- 5. मालसूची का भौतिक सत्यापन वार्षिक रूप से किया जाता है। वर्ष 2016-17 के लिए मालसूची का सत्यापन पूरा किया गया और पाये गए भिन्नताएँ नगण्य है।
- 6. मंत्रालय की पत्र सं.15/76, दिनांक 22-09-1976 के अनुसार नकद की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए पूँजी परिसंपत्तियों की प्रतिस्थापना के लिए 3% आरक्षण, पूँजी नियोजन पर विकास, ऋणों की अदायगी एवं आकस्मिकताओं के लिए 3% आरक्षण हर वर्ष किया जाना है । पर्याप्त अधिशेष उपलब्ध नहं होने के कारण, वर्ष 2014-15 के लिए पूँजी परिसंपत्तियों की प्रतिस्थापना, पुनर्वास एवं आधुनिकीकरण के लिए निधियाँ देना बाकी है और वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के लिए भी वैधानिक आरक्षण हेतु कोई विनियोजन नहीं किया जा सका। वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

(रूपये करोड़ों में)

वर्ष	पूँजी परिसंपत्तियों की प्रतिस्थापना के लिए आरक्षण	पूँजी परिसंपत्तियों की प्रतिस्थापना, पुनर्वास एवं आधुनिकीकरण के लिए
2014-15	2015-16 में उपलब्ध कराई गई	38.54
2015-16	37.55	37.55
2016-17	37.91	37.91

- 7. ग्रीन चैनल घाट का निर्माण हेतु पोत परिवहन मंत्रालय से ग्रांट के रूप में रू. 30 करोड़ प्राप्त हुआ । वीपीटी ने ग्रीन चैनल घाट के अंतर्गत दो परियोजनाओं को प्रारंभ किया, अर्थात रू. 18.46 करोड़ की लागत पर वर्तमान डब्ल्यू क्यू रिर्टन इंड को मज़बूत करना, जो संपूण्र से अनुदान के खिलाफ समायोजित किया गया । शेष रू. 11.54 करोड़ का रकम इ आर सी सी ले बाई जेट्टी को प्रतिस्थापित करते हुए वेस्ट क्वे रिटर्न इंड का विस्तार कार्य के खिलाफ समायोजित किया गया ।
- 8. प्रदूषण रेस्पान्स उपस्कर की अधिप्राप्ति के लिए सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त रू. 27,72,750/- को अनुसची 1.3 के अंतर्गत दिखाया गया ।
- 9. विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट को आई टी अधिनियम 1961 के 10 (20) के तहत स्थानीय प्राधिकार के रूप में निर्धारण वर्ष 2002-03 तक छूट दिया गया है (वित्तीय वर्ष 2001-02) । वित्तीय अधिनियम 2002 में संशोधन के साथ निर्धारण वर्ष 2003-04 (वित्तीय वर्ष 2002-03) के बाद पोर्टों को च स्थानीय प्राधिकार च के रूप में मिलने वाला छूट हटायागया । अतः वीपटी, निर्धारण वर्ष 2003-04 के बाद से आय कर चुकाना होगा । खैर, आय कर निर्धारण से छूट का दावा करने हेतु वि पो ट्र ने आय कर अधिनियम की धारा 12 ए के अंतर्गत दानशील संगठन के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन किया । निर्धारण वर्ष 2003-04 के बाद से पूर्वव्यापी प्रभाव से धारा 12 ए ए के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया, देखें आदेशरू दि. 20-03-2008, परिणाम रूप में टीडीएस प्रमाणपत्रों से संबंधित रकम को छोड़कर, निर्धारण वर्ष 2003-04 से 2008-09 तक चुकाए गए कर वापस किया गया । आय कर विभाग से देय वापस का शेष निर्णारण वर्षवार निम्नानुसार है :

निर्धारण वर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
देय पुनर्भुगतान	0.19	0.07	0.08	0.04	0.00	5.61

उक्त रकम वीपीटी को वापस देने के लिए आय कर विभाग से पत्राचार किया जा रहा है । निर्धारण वर्ष 2008-09के लिए आय कर विभाग ने रू.16.85 करोड़ ब्याज सिहत रू. 43.99 (1.4.2013) वापस किया और ब्याज, 2012-13 के पी एंड एल लेखा में जमा किया । आय कर विभाग द्वारा, निर्धारण वर्ष 2008-09 से संबंधित निर्धारण के लिए, आय कर अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सुधारण पिटीशन फाईन किया गया और शेष भुगतान रू. 5.61 करोड़ सिहत यह पिटशन, पालन के अंतर्गत है ।

वित्तीय अधिनियम 2008 की धारा 2 (15) में संशोधन करने के कारण निर्धारण वर्ष 2009-10 के बाद पोर्ट्स, आय कर अधिनियम धारा 11 के अंतर्गत छूट के लिए अनहर्क है आर 1 अप्रैल 2008 से वि पो ट्र को आय कर चुकाने वाले संगठनों में शामिल किया । निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2015-16 तक की गई कर भुगतान / दावा किए गए टीडीएस / वीपीटी लेखों में किए गए प्रावधान / कर दायित्व / फाईल किए गए रिटर्नों के अनुसार दावा किया गया शुद्ध रिफंड और निर्धारण की वर्तमान स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

(रूपये करोड़ों में)

क्र.सं	विवरण			समय समय पर निर्धारण की स्थिति
1.	वित्तीय वर्ष निर्धारण वर्ष	2008-09	क.	मार्छा 2010 में संशोधित रिटर्न फाईल करते समय वीपीटी ने रू 23.27 करोड़ कर वापस करने का दावा किया।
	चुकाया गया अग्रिम कर एवं टीडीएस क्रेडिट	77.72	ख.	संवीक्षा एवं विभिन्न प्रकार के पूछताछ के बाद, निर्धारण अधिकारी, नका प्राथमिक निर्धारण में, (दिसंबर 2011) कर दायित्व रू.
	वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान	67.24		70.32 करोड़ के साथ कर लगाने योग्य आय रू 176.21 करोड़ के रूप में गणन किया, और चुकाया गया कर / टीडीएस/
	वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिर्टन के अनुसार कर दायित्व	54.45		ब्याज/रिफंड्स पर विछार करते हुए आदेश दिया कि वीपीटी को वापस देनेवाले शुद्ध रकम रू.6.78 करोड़ है ।
	आयकर रिर्टन के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	23.27	ग.	इस से असंतुष्ट होकर, यह आदेश पर कमीशनर, आई टी (सीआईटी) एपील्स, विशाखपट्टणम के पास विरोध (30 जनवरी 2012) किया गया और अपील पर अंतिम निर्णय लंबित है। सी आई टी (एपील्स) ने फरवरी 2017 को सुनवाई प्रारंभ की और सुनवाई प्रगति पर है।
		घ.	वीपीटी ने आय कर अधिनियम (30-12-2016) की धारा 154 के तहत रू. 0.72 करोड़ के टी डी एस का शार्ट क्रेडिट देने के लिए पिटीशन फाईल किया।	

क्र.सं	विवरण		समय समय पर निर्धारण की स्थिति		
京. ゼ	वित्तीय वर्ष निर्धारण वर्ष चुकाया गया अग्रिम कर एवं टीडीएस क्रेडिट वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिर्टन के अनुसार कर दायित्व आयकर रिर्टन के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	2009-10 2010-11 76.41 37.50 25.09 51.32	छ.	मार्चा 2012 में संशोधित रिर्टन फाईल करते समय वीपीटी ने रू. 51.32 करोड़ कर वापस करने का दावा किया । संवीक्षा एवं विभिन्न प्रकार के पूछताछ के बाद, निर्धारण अधिकारी, उनका प्राथमिक निर्धारण में, (नवंबर 2012) कर दायित्व रू. 58.90 करोड़ के साथ कर लगाने योग्य आय रू.190.60 करोड़ के रूप में गणन किया, और चुकाया गया कर/टीडीएस/ब्याज रिफंड्स पर विचार करते हुए आदेश दिया कि वीपीटी को वापस देने वाले शुद्ध रकम 37.02 करोड़ है। वीपीटी ने सीआईटी-एपील्स, विशाखपट्टणम के पास विरोध किया और उन्होंने (जनवरी 2013) कर योग्य आयको पुर्न गणन करने के लिए निर्धारण अधिकारी को आदेश दिया । पुनः निर्धारण करते समय (27-5-14) कर निर्धारण अधिकारी ने आय को रू. 130.15 करोड़ के रूप में तथा कर दायित्व को रू. 40.22 करोड़ के रूप में संशोधित किया। चुकाया गया कर / टीडीएस / ब्याज / रिफंड्स पर विचार करते हुए वीपीटी को 26.42 करोड़ शुद्ध रकम वापस देने का आदेश दिया । तत्पश्चात आय कर के सहायक आयुक्त (एसीआईटी), सर्कल-1,विशाखपट्टणम ने आय को रू. 135.25 करोड़ के रूप में और कर दायित्व को रू. 41.79 करोड़ के रूप में संशोधित (14 मई 2015) किया और वीपीटी को 22.48 करोड़ शुद्ध रकम वापस देने का आदेश दिया । आय कर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए अतिरिक्त मांग (रू.14.93 करोड़) समायोजित करने के बाद शेष रकम रू. 7.54 करोड़ वास (6 अप्रैल 2016) किया । वीपीटी ने अपफ्रंट चुकाने के कारण कुल आय में रू.0.89 करोड़ घटाने के लिए आय कर अधिनियम (25-4-2016) की धारा 154 के तहत फिट शाय कर अधिनियम (25-4-2016) की धारा 154 के तहत रू. 9.53 करोड़ के टीडीएस का शार्ट क्रेडिट देने के लिए पिटिशन फाईल किया । सी आई टी (एपील्स) ने आदेश सीआईटी (ए), वीएसपी, नं.0266/12-13/एडिशनल सीआईटी/आर-1/वीएसपी/2013-14, दि. 28-03-2014 द्वारा आय कर अधिनियम की धारा 143 (3) के तहत एपील को कुछ भाग तक सवीकार किया और वीपीटी ने आईटीएटी, विशाखपट्टणम बेंछा	
	वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिर्टन के अनुसार कर दायित्व आयकर रिर्टन के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया	37.50 25.09	ग. घ. घ.	करोड़ के साथ कर लगाने योग्य आय रू.190.60 करोड़ के रूप में गणन किया, और चुकाया गया कर/टीडीएस/ब्याज रिफंड्स पर विचार करते हुए आदेश दिया कि वीपीटी को वापस देने वाले शुद्ध रकम 37.02 करोड़ है। वीपीटी ने सीआईटी-एपील्स, विशाखपट्टणम के पास विरोध किया और उन्होंने (जनवरी 2013) कर योग्य आयको पुर्न गणन करने के लिए निर्धारण अधिकारी को आदेश दिया । पुन: निर्धारण करते समय (27-5-14) कर निर्धारण अधिकारी ने आय को रू. 130.15 करोड़ के रूप में तथा कर दायित्व को रू. 40.22 करोड़ के रूप में संशोधित किया। चुकाया गया कर / टीडीएस / ब्याज / रिफंड्स पर विचार करते हुए वीपीटी को 26.42 करोड़ शुद्ध रकम वापस देने का आदेश दिया । तत्पश्चात आय कर के सहायक आयुक्त (एसीआईटी), सर्कल-1,विशाखपट्टणम ने आय को रू. 135.25 करोड़ के रूप में संशोधित (14 मई 2015) किया और वीपीटी को 22.48 करोड़ शुद्ध रकम वापस देने का आदेश दिया । आय कर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए अतिरिक्त मांग (रू.14.93 करोड़) समायोजित करने के बाद शेष रकम रू. 7.54 करोड़ वास (6 अप्रैल 2016) किया । वीपीटी ने अपफ्रंट चुकाने के कारण कुल आय में रू.0.89 करोड़ घटाने के लिए आय कर अधिनियम (25-4-2016) की धारा 154 के तहत पिटीशन फाईल किया ।	
			ਝ਼.	तहत रू. 9.53 करोड़ के टीडीएस का शार्ट क्रेडिट देने के लिए पिटिशन फाईल किया । सी आई टी (एपील्स) ने आदेश सीआईटी (ए), वीएसपी, नं.0266/12- 13/एडिशनल सीआईटी/आर-1/वीएसपी/2013-14, दि. 28-03-2014 द्वारा आय कर अधिनियम की धारा 143 (3) के तहत एपील को कुछ	

क्र.सं	विवरण			समय समय पर निर्धारण की स्थिति		
3.	वित्तीय वर्ष	2010-11	क.	सितंबर 2011 में रिर्टन फाईल करते समय वीपीटी ने रू. 20.52 करोड़		
0.	निर्धारण वर्ष	2011-12		कर वापस करने का दावा किया।		
	चुकाया गया अग्रिम कर एवं टीडीएस क्रेडिट	85.66	ख.	संवीक्षा एवं विभिन्न प्रकार के पूछताछ के बाद, निर्धारण अधिकारी, उनका प्राथमिक निर्धारण में, (जनवरी 2013) कर दायित्व रू. 101.95 करोड़ के साथ कर लगाने योग्य आय रू. 329.93 करोड़ के रूप में गणन किया,		
	वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान	70.00		और चुकाया गया कर /टीडीएस/ब्याज रिफंड्स पर विचार करते हुए आदेश दिया कि वीपीटी को वापस देने वाले शुद्ध रकम 42.40 करोड़ है।		
	वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिर्टन के	GE 14		वीपीटी ने सीआईटी-एपील्स, विशाखपट्टणम के पास (25-2-13) विरोध किया ।		
	अनुसार कर दायित्व	65.14	ग.	तत्पश्चात, कर लगाने योग्य आय को (28-2-14) रू. 338.44 करोड़ के रूप में तथा कर दायित्व को रू.104.58 करोड़ के रूप में संशोधित किया		
	आयकर रिर्टन के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया			गया। चुकाया गया कर / टीडीएस / ब्याज / रिफंड्स पर विचार करने पर		
	गया पुनर्भुगतान	20.52		शेष कर रू. 5.09 करोड़ चुकाने के लिए वीपीटी को आदेश दिया। इस से असंतुष्ट होकर वीपीटी ने दि. 05-03-14 को सीआईटी(ए) के पास अपील		
				फाईल किया ।		
			ਬ.	एसीआईटी, सर्कल-1, विशाखपट्टणम ने धारा 154 के अंतर्गत - देखें आदेश दि. 14-5-2015 रू. 86.48 करोड़ कर दायित्व सिहत कर लगाने योग्य आय को रू.279.86 करोड़ के रूप में निर्धारित किया तथा चुकाया गया कर / टीडीएस / रिफंड्स / ब्याज पर विचार करने पर निर्धारण किया कि वीपटी को पुनर भुगतान करने वाले शुद्ध रकम रू. 21.14 करोड़ है अंत में पुनर भुगतान करने वाले रकम को रू. 21.42 करोड़ के रूप में संशोधित किया।		
			ਧ.	आय कर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए अतिरिक्त माग (रू. 13.99 करोड़) समायोजित करने के बाद शेष रकम रू. 7.43 करोड़ वापस (6 अप्रैल 2016) किया ।		
			छ.	वीपीटी ने अपफ्रंट चुकाने के कारण कुल आय में से रू.1.35 करोड घटाने के लिए आय कर अधिनियम (25.4.2016) की धारा 154 के तहत पिटीशन फाईल किया ।		
			ज.	वीपीटी ने आय कर अधिनियम (20.1.2017) की धारा 154 के तहत रू.1.06 करोड़ टीडीएस का शार्ट क्रेडिट देने के लिए पिटीशन फाईल किया ।		
			झ .	सी आई टी (एपील्स) ने आदेश सीआईटी (ए), वीएसपी नं.0362/12-13/ एसीआईटी/सी-1/वीएसपी/2013-14, दिनांक 28.3.2014 द्वारा, आय कर अधिनियम की धारा 143(3) के तहत एपील को कुछ भाग तक स्वीकार किया और वीपीटी न आईटीएटी, विशाखपट्टणम बेंच (22.12.2014) के सामने पिटीशन फाईल किया और सुनवाई प्रगति पर है।		
			ਟ.	सी आई टी-1, विशाखपट्टणम ने आय कर अधिनियम की धारा 14ए के तहत रू. 8.51 करोड़ को अस्वीकार करने के लिए लेखा अधिकारी को निदेश देते हुए, आय कर अधिनियम की धारा 263 के तहत (21.11.2013) निर्धारण का पुनरीक्षण प्रारंभ किया और वीपीटी ने आईटीएटी, विशाखपट्टणम बेंछा के सामने पिटीशन फाईल किया और सुनवाई प्रगति पर है।		



क्र.सं	मं विवरण			समय समय पर निर्धारण की स्थिति
4.	वित्तीय वर्ष निर्धारण वर्ष	2011-12 2012-13	क.	सितंबर 2012 में रिर्टन फाईल करते समय वीपीटी ने रू.67.25 करोड़ कर वापस करने का दावा किया ।
	चुकाया गया अग्रिम कर एवं टीडीएस क्रेडिट	81.37	ख.	संवीक्षा एवं विभिन्न प्रकार के पूछताछ के बाद, कर निर्धारण अधिकारी, उनका प्राथमिक निर्धारण में दिनांक 23.3.15 कर दायित्व
	वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान	53.00	करोड़ के व ब्याज / रिप शेष शुद्ध व	रू. 41.50 करोड़ के साथ कर लगाने योग्य आय रू. 134.30 करोड़ के रूप में गणन किया । चुकाया गया कर / टीडीएस /
	वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिर्टन के अनुसार कर दायित्व	14.12		ब्याज / रिफंड्स पर विचार करने पर वीपीटी द्वारा चुकाए जानेवाले शेष शुद्ध कर रू.0.75 करोड़ के लिए मांग नोटिस जारी किया । इस से असंतुष्ट होकर वीपीटी ने (दि. 15.4.15) सीआईटी (एपील्स)
	आयकर रिर्टन के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	67.25	के पास अपील फाईल किया । 5 घ. एसीआईटी, सर्किल-1, विशाखपट्टणम ने उपदान के लि	
				गया रू.30.17 करोड़ प्रावधान को इनकार करते हुए, कर लगाने योग्य आय को रू. 164.47 करोड़ के रूप में और कर दायित्व को रू. 50.82 करोड़ सहित ब्याज मांग रू.3.92 करोड़ के रूप में संशोधित (25.6.15) किया। चुकाया गया अग्रिम कर / टीडीएस/ब्याज / रिफंड्स पर विचार करने पर वीपीटी को आदेश दिया कि शेष कर रू. 13.99 करोड़ चुकाएँ। वीपीटी ने (दि. 16.7.15) सीआईटी (एपील्स), विशाखपट्टणम के पास अपील किया। अपील अंतिम निर्णय के लिए लंबित है।
			च.	इस बीच में, आय कर विभाग ने रू. 13.99 करोड़ शेष कर मांग को समायोजित (6.4.2016) किया और निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए करने वाले रू. 21.42 करोड़ पुनर भुगतान आदेश में से रू.7.43 करोड़, वीपीटी को रिलीज़ किया ।
			छ.	उपर्युक्त (ग) के लिए, सीआईटी (एपील्स), अपीलीयेट आर्डर में और निर्णय के ग्राऊंड्स (30.3.2017) ने कुछ हद तक अपील को स्वीकार किया और वीपीटी द्वारा आईटीएटी में एक पिटीशन फाईल करने की कार्रवाई की जा रही है ।
			ज.	उपर्युक्त (ग) के लिए, सीआईटी (एपील्स), अपीलीयेट आर्डर में और निर्णय के ग्राऊंड्स (13.3.2017) ने कुछ हद तक अपील को स्वीकार किया और वीपीटी द्वारा आईटीएटी में एक पिटीशन फाईल करने की कार्रवाई की जा रही है।



क्र.सं	विवरण		समय समय पर निर्धारण की स्थिति		
5.	वित्तीय वर्ष निर्धारण वर्ष	2012-13 2013-14	क.	सितंबर 2013 में रिर्टन फाईल करते समय वीपीटी ने रू. 53.65 करोड़ तक व्यापार में हानि को निर्धारण किया और	
	चुकाया गया अग्रिम कर एवं टीडीएस क्रेडिट	82.69	रू. 69.48 करोड़वापस देने का दावा किया। मार्च	रू. 82.69 करोड़ वापस देने के लिए संशोधित रिर्टन फाईल	
	वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान	15.00	ख.	संवीक्षा एवं विभिन्न प्रकार के पूछताछ के बाद, एसीआईटी, सकम्रल-1, विशाखपट्टणम ने उनका प्राथमिक निर्धारण आदेश	
	वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिर्टन के अनुसार कर दायित्व	0.00		दिनांक 31-03-2016 में रू. 356.64 करोड़ को इनकार करने के बाद निर्धारण किया कि वीपीटी द्वारा फाईल किया गया रिर्टन के अनुसार, रू.53.65 करोड़ हानि को कम कने के बाद	
	आयकर रिर्टन के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	82.69		कर लगाने योग्य आय रू. 302.98 करोड़ रहा और कुल कर दायित्व को रू.97.57 करोड़ के रूप में निर्धारण किया ।	
			ग. कर निर्धारण के लिए वर्ष 2010-11 के का पुनर भुगतान आदेश पर कार्रवाई 2016), प्राप्त किया गया अग्रिम कर, दा लिए रू.82.64 करोड़ समायोजित कर	कर निर्धारण के लिए वर्ष 2010-11 के लिए रू. 22.48 करोड़ का पुनर भुगतान आदेश पर कार्रवाई करते समय (6 अप्रैल 2016), प्राप्त किया गया अग्रिम कर, दावा किए गए टीडीएस के लिए रू.82.64 करोड़ समायोजित करने के बाद, शेष कर रू. 14.93 करोड़ वसूल किया गया और शेष रू. 7.54 करोड़ वापस किया गया ।	
			घ. इस से असंतुष्ट होकर, वीपीटी ने (18 अप्रैल, 2016) र (एपील्स), विशाखपट्टणम के पास अपील किया । अपील र (एपील्स) के साथ लंबित है और सीआईटी (एपील्स) सुनवाई प्रारंभ नहीं किया गया ।		
			च.	वीपीटी ने अपफ्रंट चुकाने के कारण कुल आय में रू.3.53 करोड़ घटाने के लिए आय कर अधिनियम (25-4-2016) की धारा 154 के तहत पिटीशन फाईल किया और रू. 0.05 करोड़ के लिए टीडीएस का शार्ट क्रेडिट देने के लिए पिटिशन फाईल किया।	

				समय समय पर निर्धारण की स्थिति		
क्र.सं	विवरण			समय समय पर निधारण की स्थिति		
6.	वित्तीय वर्ष	2013-14	क.	मार्च 2016 में संशोधित रिटर्न फाईल करते समय वीपीटी ने		
	निर्धारण वर्ष	2014-15		रू.35.40 करोड़ तक व्यापार में हानि को निर्धारण किया और		
	चुकाया गया अग्रिम कर एवं			रू.56.33 करोड़ कर वापस देने का दावा किया ।		
	टीडीएस क्रेडिट	56.33	ख.	संवीक्षा करने एवं कई प्रश्न पूछे जाने के बाद एसीआईटी, सर्कल-		
	वीपीटी लेखों में किया			1 (1), विशाखपट्टणम ने दिनांक 31.12.2016 को उनके प्रारंभिक निर्धारण आदेश में, रू. 169.49 करोड़ अस्वीकार करने के		
	गया कर प्रावधान	7.29		बाद, वीपीटी द्वारा फाईल किया गया रिर्टन के अनुसार रू.		
	वीपीटी द्वारा फाईल किया			35.40 करोड़ हानि घटाते हुए कर योग्य आय को रू. 134.09		
	गया आयकर रिर्टन के			करोड़ के रूप में निर्धारण किया और निर्धारित कर योग्य कुल		
	अनुसार कर दायित्व	0.00		दायित्व रू.41.43 करोड़ रहा ।		
	आयकर रिर्टन के अनुसार		ग.	प्राप्त किया गया अग्रिम कर एवं दावा किया गया टीडीएस रू.		
	वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	56.33		56.08 करोड़ समायोजन करने के बाद, धारा 224ए के अंतर्गत		
	्राचा पुरानुगतारा	30.33		ब्याज सहित रू. 14.64 करोड़ को स्वीकार किया और आय		
				कर विभाग द्वारा वापस किये जाने वाले कुल रकम रू.17.06 करोड रहा ।		
			घ. आय कर अधिनियम की धारा 244ए के अंतर्गत आय ने (4.2.2017) रू.17.06 करोड़ रकम वापस वि			
				क्त. 2.42 करोड ब्याज भी शामिल है ।		
				उपर्युक्त (ख) में रू.169.49 करोड अस्वीकार करने पर असंतुष्ट		
			च.	होकर वीपीटी ने सीआईटी (एपील्स), विशाखपट्टणम के साथ		
				(8.2.2017) एक ई-पिटीशन फाईल किया। सीआईटी (एपील्स)		
				के साथ अपील लंबित है और सुनवाई प्रारंभ नहीं हुआ ।		
			छ.	आय कर अधिनियम की धारा 154 के तहत (8.2.2017)		
				वीपीटी ने रू. 0.25 करोड़ के लिए टीडीएस के शार्ट क्रेडिट देने		
				हेतु पिटीशन फाईल किया ।		
			ज.	आय कर अधिनियम की धारा 154 के तहत (2.3.2017) रू.		
				0.25 करोड़ के लिए टीडीएस के शार्ट क्रेडिट देने हेतु तथा		
				धारा 244ए के तहत ब्याज देने हेतु वीपीटी ने पिटीशन फाईल		
				किया, रिफंड प्राप्त करने की तिथि फरवरी, 2017 तक ब्याज		
				चुकाने के बावजूद केवल रू. 2.42 करोड़ के लिए दिनांक 31.12.2016 तक स्वीकार किया गया ।		
			誀.	दिनांक 31.12.2016 को धारा 143 (3) को पास किया गया आदेश पर 10% की दर पर सरचार्ज लगाने के लिए आय कर		
				विभाग ने आय कर अधिनियम धारा 154 /155 टी के तहत		
				नोटिस जारी किया ।		

क्र.सं	विवरण			समय समय पर निर्धारण की स्थिति		
7.	वित्तीय वर्ष	2014-15	क.	मार्च 2017 में रिटर्न फाईल करते समय वीपीटी ने रू.48.11		
	निर्धारण वर्ष	2015-16		करोड़ कर वापस देने का दावा किया ।		
	चुकाया गया अग्रिम कर एवं टीडीएस क्रेडिट	48.11	ख.	प्रारंभिक निर्धारण शुरू किया ।		
	वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान	25.18				
	वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिर्टन के अनुसार कर दायित्व	0.00				
	आयकर रिर्टन के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	48.11				

क्र.सं	विवरण			समय समय पर निर्धारण की स्थिति		
8.	वित्तीय वर्ष	2015-16	क.	मार्च 2016 में संशोधित रिटर्न फाईल करते समय वीपीटी ने		
	निर्धारण वर्ष	2016-17		रू.11.41 करोड़ तक व्यापार में हानि को निर्धारण किया और		
	चुकाया गया अग्रिम कर एवं टीडीएस क्रेडिट	46.78	ख.	रू.46.78 करोड़ कर वापस देने का दावा किया । प्रारंभिक निर्धारण अभी भी लंबित है ।		
	वीपीटी लेखों में किया गया कर प्रावधान	0.00	g.	ALCHART HAIL FOR ALCHART & TAILER AND THE STREET		
	वीपीटी द्वारा फाईल किया गया आयकर रिर्टन के अनुसार कर दायित्व	0.00				
	आयकर रिर्टन के अनुसार वीपीटी द्वारा दावा किया गया पुनर्भुगतान	46.78				

9. वित्तीय वर्ष (कर निर्धारण वर्ष 2017-18), 2016-17 के लिए चुकाया गया अग्रिम कर शून्य रहा और फार्म 26 एएस के अनुसार टीडीएस क्रेडिट मूल्य रू. 37.09 करोड़ रहा । आय कर के लिए रू.13.09 करोड़ की प्रावधान किया गया । दिनांक 30.09.2017 तक रिटर्न फाईल करना होगा ।

कर निर्धारण वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के लिए धारा 154 के अंतर्गत कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (मई 2015) आय कर विभाग ने, कर का पुनर भुगतान पर क्रमशः 4.71 करोड़ एवं रू.0.29 करोड़ ब्याज सहित कर पुनर भुगतान करने का आदेश दिया और इसे वर्ष 2015-16 का ब्याज आय के रूप में स्वीकार किया ।

निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारण को दिनांक 31.12.2016 के आदेश के साथ अंतिम रूप दिया गया तथा वीपीटी द्वारा दिनांक 10.1.2017 को प्राप्त किया गया । निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए रू.17.06 करोड़ का रकम दिनांक 4.2.2017 को चेक द्वारा प्राप्त किया गया जिसमें रू.2.42 करोड़ कर वापसी पर शद्ध ब्याज शामिल है और इसे वर्ष 2016-17 के लिए ब्याज आय के रूप में माना गया ।

9. निम्न मदों में आकस्मिक दायित्व शामिल है :

		(रूपये करोडों में)
क)	पोर्ट ट्रस्ट के खिलाफ क्लेईम के लिए अदालतों में लंबित कानूनी मुकदमें	27.80
ख)	वर्ष 86-87 से 98-99 तक विवादास्पद संपत्ति कर दावें	27.98
ग)	डिफाल्टेड प्रिंसिपल पर पीनल ब्याज और बाह्य बंदरगाह के लिए प्राप्त किया गया	354.23
	ऋण पर सरकार द्वारा हटाए जाने वाले ब्याज	
	कुल :	410.01

- 10. दिनांक 1.1.2004 को या उसके बाद भर्ती किए गए कर्मचािरयों को नए पेंशन योजना (टाईर-।) के अंतर्गत योजना शमिल किया गया (एनपीएस), जिस में कर्मचारी का मािसक अंशदान के रूप में मूल वेतन का 10% + दैनिक भत्ता के साथ नियोक्ता का मैिछांग अंशदान रहेगा । पेंशन निधि नियंत्रण प्राधिकार (पीएफआरडीए) का भेजी हुई रकम लंबित होते हुए भी कर्मचारी एवं वीपीटी के अंशदान पेंशन निधि में स्थानांतरित किया गया ।
- 11. पेंशन निधि आवश्यक स्तर तक पहूँचाने तक, वास्तिवक मासिक पेंशन भुगतान, वित्त एवं विविध व्यय को प्रभार्य करते हुए, पेंशन निधि से पूरा िकया जाता है । भारतीय जीवन बीमा िनगम द्वारा निर्धारण करने के अनुसार, दिनांक 31-03-2016 को पेंशन दायित्व की बीमांकिक मूल्यांकन कार्यरत कर्मचारियों के लिए रू. 1311.32 करोड़ तथा पेंशनों के लिए रू. 2098.16 करोड़ रहा । अतः दि. 31-03-2017 का पेंशन दायित्व का कुल बीमांकिक मूल्यांकन रू. 3409.48 करोड़ रहा । वर्ष केदौरान पेंशन के लिए अंशदान, वेतन भुगतान के @ 27% की दर िकया गया (मूल एवं दैनिक भत्ता), जो रू. 48.53 करोड़ रहा और रू. 122.92 करोड़ अतिरिक्त अंशदान भी किया गया। वर्ष के दौरान अर्जित रू. 188.86 करोड़ ब्याज पर विचार करने पर भी आज तक रू. 169.30 करोड़ तक कम प्रावधान है ।

पहले, पेंशन ट्रस्ट फंड का कुछ भाग, तीन इंन्स्यूरेन्स यान्युटीन खरीदने के लिए उपयोग किया जाता था, जिस से येन्युटी स्कीम के अंतर्गत आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियत मासिक पेंशन चुकाया जाता था, यदि इस से अधिक रकम का निर्धारण होता, तो पोर्ट वहन करता था । येन्युटी स्कीम के अंतर्गत आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मृत्यु होने पर इन्सूरर द्वारा भुगतान बंद होगा। उसके बाद वीपीटी के निध्यों से नामित व्यक्तियों को मासिक परिवार पेंशन का भुगतान किया जाता है ।

- 12. भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निर्धारित बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार दिनांक 31.3.2017 को उपदान निधि के लिए दायित्व रू. **164.86** करोड़ । अधिक प्रावधान रहने के कारण वर्ष के दौरान **8.33%** के लिए कोई प्रावधान नहीं की गई।
- 13. मेसर्स एल आई सी ऑफ इंडिया के अनुसार 31/03/2017 को कर्मचारी छुट्टी नकदीकरण दायित्व का बीमांकिक मूल्यांकन क्र.85.61 करोड रहा । वर्ष के दौरान वर्तमान प्रावधान से अधिक कोई प्रावधान नहीं किया गया ।



- 14. पेंशन निधि, उपदान निधि एवं भविष्य निधि के लिए प्रत्येक ट्रस्ट लेखों का अनुरक्षण किया जाता है । वीपीटी द्वारा ग्रूप छुट्टी नकदीकरण निधि का अनुरक्षण किया जाता है ।
- 15. बीमांकिक दायित्व, सृजित / अभी सृजन करने वाले प्रावधान और निधियों की स्थिति नीचे दिया गया है :

दि.31-3-2016 को बीमांकिक दायित्व की स्थिति		रूपये करोडों में	
	विवरण 31-12-2003 से पहले भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए पेंशन दायित्व	उपदान दायित्व	ग्रूप छुट्टी नकदीकरण
दि. 31.3.2017 को कुल अनुमानित बीमांकिक दायित्व	3409.48	164.86	85.61
दि. 31.3.2016 के अंत तक व्यवस्थित दायित्व	2879.86	186.15	85.54
वर्ष 2016-17 के दौरान सृजित प्रावधान	171.46	-21.00	0
वर्ष 2016-17के दौरान अर्जित ब्याज	188.86	13.18	7.98
वर्ष 2016-17 के अंत तक सृजित कुल	3240.18	178.33	93.52
अभी भी व्यवस्था करने वाले/ अधिक व्यवस्थित प्रावधान	169.30	-13.47	-7.91

दि.31-3-2017 को पेंशन, उपदान एवं जीएलईएस निधियों की स्थिति					
	पेंशन निधि ट्रस्ट	उपदान निधि ट्रस्ट	जी एल ई एस		
बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार व्यवस्था करने वाले निधियाँ	3409.48	164.86	85.61		
दि.31-3-2016 के अंत तक उपलब्ध निधि	2604.99	171.78	91.47		
वर्ष 2016-17 के दौरान की गई निवेश	160.00	0	0		
वर्ष 2016-17 के दौरान अर्जित ब्याज	188.86	13.18	7.98		
वर्ष 2016-17 के दौरान निधियों से की गई भुगतान	शुन्य	35.42	शून्य		
दि.31-3-2017 के अंत तक की गई कुल निवेश	2953.85	149.54	99.45		
निधियों में कमी	455.63	15.32	+13.84		

- 16. पेंशन निधि ट्रस्ट में कम प्रावधान एवं कमी को भविष्य में उपलब्ध अधिशेष निधियों के साथ ठीक किया जाएगा ।
- 17. उपदान निधि से रू. 21 करोड़ तक अधिक प्रावधान निकाला गया और अभी भी रू. 13.47 करोड़ अधिक प्रावधान रहा । वेतन पुनरीक्षण का अंतिम रूप देना बाकी है इसे ध्यान में रखते हुए ग्रूप लीव एनकेशमेंट भविष्य के वर्षों में सेटअप किया जाएगा । उपदान एवं जीएलईएस में यदि कुछ कम / अधिक निधियाँ हैं तो भविष्य में उपलब्ध अधिशेष निधियों के साथ ठीक / सेटअप किया जाएगा ।

- 18. बैंक शेषों में कटौती के कारण चालू शुद्ध चालू परिसंपत्तियों में ऋण शेष दिखाया गया।
- 19. रू. 1059.85 करोड़ के आरक्षण के खिलाफ (सामान्य आरक्षण और सांविध आरक्षण) फिलहाल रू. 911.90 करोड़ निवेश रहा (शेड्यूल 2.2 ए+बी एवं शेड्यूल 2.3 iv सी+डी)
- 20. अनुसूचियों के साथ लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलन पत्र टीसीएस के अधीन होने के कारण सेप द्वारा ट्राईल बेलेन्स निकाला गया और वित्तीय सारणियाँ एक्सएल में तैयार किये गये हैं।
- 21. अक्तूबर 2014 के दौरान विशाखपट्टणम तट को ध्वंस किया हुदहुद तूफान के कारण ओएसटीटी, दक्षिण तरंग रोध आदि वीपीटी के कुछ नियत परिसंपत्तियों का नुकसान हुआ । लगभग रू. 205.00 करोड़ का पुनर्वास लागत ो प्राक्कलन करते हुए तथा सरकार से बजटरी सपोर्ट के रूप में व्यवस्थित करने के लिए वास्तविक नोट मंत्रालय को भेजा गया । अभी तक कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ ।
- 22. विविध देनदार के अंतर्गत विवादास्पद दावे को गणन नहीं किया ।
- 23. वसूल नहीं किए जाने वाले देनदार / दावे को बुरा ऋण के रूप में मानकर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर बट्टे खाते में डाल दिया गया ।
- 24. दावे को आय के रूप में गणन किया गया, लेकिन बाद में प्राप्ति के लिए अर्नहक समझा गया, उन्हें सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर लेखा पुस्तकों में व्यय के रूप में दिखाया गया ।
- 25. एक या अधिक पूर्व अविधयों के वित्तीय सारिणयाँ तैयार करने में गलितयाँ या चेड़ देने के कारण पूर्व अविध का आय या व्यय जो चालू अविध में उत्पन्न होता है, उन्हें वित्त एवं विविध आया या व्यय में शामिल किया गया है ।
- 26. मंत्रालय के मार्ग निर्देश देखें पत्र सं. 25021/1/2011-पीडी-II, दि. 02/12/2011, के अनुसार वर्ष के दौरान रू. 1.50 करोड कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी निधि सृजित किया गया है ।
- 27. बिन कार्ड्स के साथ स्टोर्स प्राइज़ड लेड्जरों की मात्रा शेष का समाधान किया गया और आवश्यकतानुसार अपेक्षित समायोजन किए गए ।
- 28. वर्ष के दौरान, निर्दिष्ट पट्टा करार द्वारा नियंत्रण कुछ पट्टेदार को छोड़कर अन्यों को शेष की पृष्टि प्राप्त करने के लिए पत्र जारी किये गये ।
- 29. चालू वर्ष का वर्गीकरण को पृष्टि करने के लिए आवश्यक है वहाँ पिछले वर्ष के आंकडों को री ग्रूप किया गया है ।
- 30. वर्ष के दौरान नीति परिवर्तन के कारण अर्थात घाट / सुविधाएँ पट्टे पर देने से वसूल किया गया अपफ्रंट शुल्क और पट्टे पर दिये गये जमीन पर प्रीमियम को पूर्व भुगतान आय के रूप गणन करने तथा पट्टा अविध के दौरान चुकाने के कारण लाभ में रू. 79.84 करोड़ तक कमी हुई ।
- 31. बिलमोरिया रिपोर्ट के अनुसार सामान्य स्पष्टीकरण ।

क्र.सं.	विवरण	2016-17	2015-16	टिप्पणी
1.	निपटाने के लिए रहे सक्रिय उपयोग से अलग किये गये नियत पूँजी परिसंपत्तियों को अलग से दिखाना होगा ।	शून्य	शून्य	परिसंपत्तियाँ जब कभी अनुपयोग माना जाते हैं तब बेच दिये जाते हैं और बिक्री से आय इससे संबंधित वर्षों में राजस्व में प्रभार्य किया जाएगा ।
2.	31.03.2017 को समाप्त होने के लिए पूंजी खाते पर निष्पादित होने वाले ठेके की अनुमानित राशि और प्रवधान नहीं की गई	शून्य	शून्य	मार्च के अंत तक प्राक्कलित पूँजी व्यय जो अगले वर्ष के तत्पश्चात के महीनों में चुकाया जाना है, इसे संभूति के अधार के अंतर्गत पुस्तकों में लाया जायेगा । इसे शून्य माना जाए ।
3.	विवादों के कारण आकस्मिक दायित्व की व्यवस्था नहीं की गयी ।	शून्य	शून्य	वीपीटी में, सभी विवाद अदालत के मामलों के लिए आकस्मिक दायिताओं की प्रावधान नहीं किया गया । अतः इसे शून्य माना जाए ।
4.	वर्ष के दौरान आयात की सीआईएफ मूल्य ; भंडारण एवं पूर्जें, पूँजी वस्तु / पुर्जें	शून्य	शून्य	वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में कोई विदेशी मुद्रा कार्यकलाप नहीं है।
5.	विदेशी मुद्रा में व्यय	शून्य	शून्य	वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में कोई विदेशी मुद्रा कार्यकलाप नहीं है।
6.	विदेशी मुद्रा में आमदनी	शून्य	शून्य	
7.	वित्तीय वर्ष के दौरान आयातित एवं देशीय भंडार एवं उपयोग किये गये पुर्जों का % सहित मूल्य	शून्य	शून्य	
8.	अनुसंधान, योजना और विकास कार्यकलापों पर खर्चा किया गया व्यय	7.04	4.82	
9.	वर्ष के दौरान पूँजीकृत उधार लिये गये लागत	शून्य	वर्ष 2015-16 के दौरान पूँजीत उधार लिये गये लागत (जिका लोन)	
10.	वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा का लाभ / हानि	शून्य	शून्य	
11.	कार्गो जहाजों की संभलाई के लिए टन्नेज में वीपीटी की कुल क्षमता ।	98.49	107.75	
12.	वर्तमान वर्ष में संभलाई गयी जलयानों की वास्तविक संख्या	1944	2018	
13.	वर्ष के दौरान संभलाई गयी वास्तविक टन्नेज	61.02 ਸੇ.ਟਜ	57.03 ਸੇ.ਟਜ	
14.	वास्तव में मंजूर किया गया श्रेणीवार कर्मछारियों का विवरण निम्नानुसार है: श्रेणी - । श्रेणी - ॥ श्रेणी - ॥ श्रेणी - ।।	प्रछालन श्रेणी - I 142 श्रेणी - II 90 श्रेणी - III 1810 श्रेणी - IV 854 कुल 2896	संख्या प्रछालित श्रेणी - I 230 160 श्रेणी - II 120 101 श्रेणी - III 2783 2154 श्रेणी - IV 1391 1132 कुल 4524 3547	2016 - 17 से संबंधित कर्मछारियों की संख्या के बारे में, इससे संबंधित विवरण विभागों से प्राप्त करना है तथा वहीं लेखापरीक्षा को सूछिात किया जाएगा ।

ह/-एम.टी.कृष्ण बाबू अध्यक्ष विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट ह/-पी.एल.हरनाध उपाध्यक्ष विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट

लेखा टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई

क. आरक्षण एवं अधिशेष रू. 21.82 करोड़

लेखापरीक्षा टिप्पणी	वि पो ट्र का समाधान
वर्ष के अंत तक विनियोजन के लिए रू. 21.82 करोड़ उपलब्ध	लेखा पर टिप्पणी में इससे संबंधित विवरण पहले ही दिया गया
था, जो उक्त सांविधक आरक्षणों में विनियोजन करने के बजाय	है । सांविधक आरक्षण में विनियोजन के लिए उपलब्ध अधिशेष
सामान्य आरक्षण में स्थानांतरित किया गया, जो पोर्टों के लिए	का स्थानांतरण करने के लिए प्रयास किये जायेंगे ।
लागू वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु रहे कामन फ्रेम वर्क में निहित पद्धति	
के अनुसार अधिशेषों का आबंटन से संबंधित प्रावधानों के खिलाफ	
है ।	

ख. नियत पूँजी परिसंपत्ति (शुद्ध ब्लॉक) रू. 28.45 करोड़

लेखापरीक्षा टिप्पणी

जुलाई 2005 को निर्मित एवं प्रारंभ किया गया डब्ल्यू क्यू 7 घाट को सितंबर 2005 के दौरान भारी वर्षा के कारण द्ववंस हुआ तथा बंद किया गया और फरवरी 2007 तक बिगाड गया। यह संरचना का कुछ भाग विखंडित किया गया और कुछ भाग अन्य परिसंपत्तियों में जोड़ दिया गया। घाट का हास मूल्य रू. 28.45 करोड़ है। खैर वीपीटी ने डब्ल्यू क्यू 7 का बुक वेल्यू समायोजित किया या न ही शुद्ध बुक वेल्यू के नीचे और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य के रूप में नहीं दिखाय, जो एएस 10 के प्रावधानों के खिलाफ है।

वि पो ट्र का समाधान

डब्ल्यू क्यू 7 घाट द्ववंस होने के कारण वाणिज्य परिचालन के लिए लागू नहीं होने पर भी घाट के साथ साथ अन्य सुविधाओं का विकास किया गया जैसे कि घाट तक जानेवाले सड़क, फेंडर्स, बोल्लड्स, स्लो प्रोटेक्शन आदि का निर्माण डब्ल्यू क्यू 7 घाट के एक भाग के रूप में किया गया और जिसका एक भाग को 16.10 मी. निकर्षित गहराई तक ठहराने हेतु मज़बूत करने के बाद डब्ल्यू क्यू 6 घाट के ग्राही को हस्तांतरित किया गया । आगे सूचित किया जाता है कि निर्माण के अंतर्गत वाले डब्ल्यू क्यू 7 और डब्ल्यू क्यू 8 घाटों को 14.5 मी. जलयानों को ठहराने के लिए डिज़ाईन किया गया जब कि वर्तमान डब्ल्यू क्यू 7 घाट केवल 11 मी. ड्राफ्टवाले जलयानों के लिए ही डिज़ाईन किया गया ।

लेखापरीक्षा द्वारा आपित उठाने के अनुसार डब्ल्यू क्यू 7 घाट का वर्तमान सूपर स्ट्रक्चर को विखंडित करने की आवश्यकता है और तदनुसार वर्तमान सूपर स्ट्रक्चर को विखंडित करने की कार्रवाई प्रारंभ की गयी है । खैर उप संरचना को विखंडित नहीं किया गया और निर्माण के अंतर्गत वाले संरचना में एक भाग बन गया ।

मध्यस्थता कार्यवाही प्रगति के अंतर्गत रहने के कारण, परामर्शदाता मेसर्स होवी (आई) प्रा. लि., नई दिल्ली के साथ मध्यस्थता के निकासी के आधार पर यदि कुछ कार्रवाई करना है तो, की जाएगी।



सामान्य आरक्षण निधि का निवेश रू. 58.80 करोड़

लेखापरीक्षा टिप्पणी	वि पो ट्र का समाधान
पोर्ट ट्रस्ट ने मेसर्स सेतु समुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड में किया	मंत्रालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार मेसर्स सेतु समुद्रम
गया रू. 30.00 करोड़ निवेश मूल्य का हास को निर्धारण और	कार्पीरेशन लिमिटेड में रू. 30.00 करोड रकम का निवेश
व्यवस्था नहीं किया , वास्तव है कि एसएससीएल परियोजना	किया गया । मेसर्स एसएससीएल कारोबार संस्था है । एएस-
का प्रचालन वर्ष 2009 में ही निलंबित किया गया यह एएस	13 के अनुसार तुलनपत्र में, लागत का न्यूनतम मूल्य या फेयर
13 के विरूद्ध है ।	बाजार मूल्य दिखाना है । मेसर्स एसएससीएल के शेयर्स का
	व्यापार स्टॉक एक्सचैंज में नहीं होने के कारण, बाजार मूल्य
	का कोई सबूत नहीं है । इसलिए पहले वर्षां में किये गये
	अनुसार, निवेश को लागत पर माना गया । अतः कोई कार्रवाई
	का प्रस्ताव नहीं किया गया ।

रेल्वे कार्याचालन रू. 26.53 करोड़ घ.

लेखापरीक्षा टिप्पणी	वि पो ट्र का समाधान
इसमें, रेल्वे एवं वीपीटी के बीच पारस्परिक करारनामा 1998 के लाईन में अप्रैल 2003 से मार्च 2017 तक अयस्क एक्वेंजिंग यार्ड के लिए रेल्वे लेन, साईडिंग्स आदि का अनुरक्षण और नवीकरण हेतु रेल्वे को चुकाये जानेवाले वार्षिक अनुरक्षण प्रभारों में भिन्नता रू. 26.53 करोड़ शामिल नहीं है । रेल्वे को चुकाये जानेवाले वार्षिक अनुरक्षण प्रभारों का प्रावधान नहीं करने के परिणाम रूप में परिचालन व्यय एवं चालू दायिताओं में रू. 26.53 करोड़ कमी दिखाई दिया तत्पश्चात यही रकम कर से पूर्व लाभ में ज्यादा दिखाई दिया	यह कहा जाता है कि रेल्वे द्वारा जमीन लागत को मूल लागत के रूप में शामिल करते हुए ओईसी प्रभारों को डिमांड करने पर भी, वीपीटी ने यह मामले को पूर्वी तटीय रेल्वे के महा प्रबंधक की स्तर तक ले जाने सिहत विभिन्न फोरम्स के पास विरोध किया । यह मामले का अंतिम रूप नहीं मिला। वीपीटी द्वारा पूर्वी तटीय रेल्वे के महा प्रबंधक को एक पत्र लिखा गया । यह मामले पर अंतिम रूप नहीं मिलने के कारण, दायिताओं का क्रिस्टलाईजेशन उत्पन्न नहीं होता । यह मामले पर सर्वसम्मत निर्णय मिलने पर, तदनुसार कार्रवाई की जाएगी । आगे, वीपीटी द्वारा उठाये गये सभी तथ्यों पर ध्यान देते हुए इस मामले को अंतिम रूप देने हेतु वीपीटी के प्रयासों के साथ पूर्वी तट रेल्वे ने एक संयुक्त कार्रवाई समिति की गठन किया ।

वसूल नहीं करने वाले एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान

लेखापरीक्षा टिप्पणी	वि पो ट्र का समाधान
31 मार्च 2017 को रू. 533.11 करोड़ फुटकर देनदारों में से रू. 78.69 करोड़ (14.76 %) और रू. 36.03 करोड़ (6.76%) क्रमशः तीन और पाँच वर्षों के ज्यादा समय से बकाया है। वर्ष 2011-12 से प्रति वर्ष आश्वासन देने पर भी वीपीटी इन ऋणों की समीक्षा करते हुए उपयुक्त प्रावधान तैयार करने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की।	फुटकर देनदारों की समीक्षा आवधिक रूप में की जाती है, फिर भी विस्तृत समीक्षा की जाएगी और भविष्य में उपयुक्त प्रावधान तैयार किया जाएगा ।

संसद में रखी जाने वाली महा पत्तनों के वार्षिक लेखा और लेखा परीक्षा रिपोर्ट और उस पर की जाने वाली कार्रवाई के नोट सहित अनुसूची

क्र सं.	संक्षिप्त विवरण	मंत्रालय द्वारा निर्धारित समय सारणी (पीडी-विविध/26/2016- पीडी-VI(कोआर्ड) दि. 29-08-2016	वि पो ट्र द्वारा की गयी कार्रवाई की तिथि
1.	लेखापरीक्षा को प्रारूप वार्षिक लेखा प्रस्तुत करने की तिथि ।	31 मई	31-05-2017
2.	प्रारूप लेखापरीक्षा रिपोर्ट भेजने की तिथि ।	31 जुलाई	31-07-2017
3.	पोर्ट ट्रस्ट द्वारा प्रारूप लेखापरीक्षा रिपोर्ट के उत्तर भेजने की तिथि ।	10 अगस्त	22-08-2017
4.	लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अंग्रेजी रूपांतर भेजने की तिथि ।	20 सितंबर	18-10-2017
5.	पोर्ट को कर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि ।	25 सितंबर	03-10-2017
6.	पोर्ट द्वारा आय कर विभाग को वार्षिक कर विवरण फाईल करने की तिथि ।	30 सितंबर	फाईल करने की तिथि दि.31-10-2017 तक विस्तार किया गया।
7.	पोर्ट ट्रस्ट द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट की अंग्रेजी और हिदी मुद्रित प्रतियाँ मंत्रालय को प्रस्तुत करने की तिथि ।	09 अक्तूबर	
8.	मंत्रालय द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करना ।	शीतकाल सत्र में	





VISAKHAPATNAM PORT TRUST

Annual Accounts and Audit Report

for the year 2016-17

INDEX

1.	Audit Report on the Visakhapatnam Port Trust for the year 2016 - 17	1
2.	Annual Accounts 2016 - 17	8
3.	Note on Accounts	28
4.	Action Taken Note on Comments on Accounts	39
4.	Statements showing the various stages involved finalisation of Annual Accounts and Audit Report thereon of VPT for 2016 - 17	<i>Δ</i> 1

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam for the year ended 31 March 2017

- 1. We have audited the attached Balance Sheet of Visakhapatnam Port Trust (VPT) as at 31 March 2017 and the Profit and Loss Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 102 of the Major Port Trusts Act, 1963. These financial statements are the responsibility of the Port's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
- 2. This Draft Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards, disclosure norms etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations(Propriety and Regularity), efficiency-cum-performance aspects etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.
- 3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
- 4. Based on our audit, we report that:
- i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- ii) The Balance sheet and Profit and Loss account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry.
- iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the VPT, Visakhapatnam as required in so far as it appears from our examination of such books.
- iv) We further report that

A. Revision of accounts

The Port Trust revised its accounts based on audit observations. As a result, the Profit Before Tax was increased by 14.95 crore viz., from a profit of 30.37 crore to a profit of 45.32 crore and Profit After Tax increased by 10.99 crore viz., from a profit of 12.05 crore to 23.04 crore.

B. Balance Sheet

Sources of Funds

Reserves and Surplus (Schedule 1.1)

Capital Asset Replacement Reserve-444.05 crore

Reserve for Development, Repayment of loans and Contingencies-523 crore

A reference is invited to Note No.6 wherein it has been brought out that since sufficient surplus was not available, appropriation to statutory reserves viz. Fund for replacement, rehabilitation and modernization of capital assets

and Fund for development, repayment of loan and contingencies to the tune of 3 per cent of the capital employed, amounting to 114 crore (2014-15 to 2016-17) and 75.46 crore (2015-16 to 2016-17), respectively, was not made. Audit noted that an amount of 21.82 crore was available for appropriation as at the end of the year which was transferred to General Reserve instead of appropriating the same to the above statutory reserves which was contrary to the provisions regarding allocation of surplus as contained in Common Framework for Financial Reporting applicable to the Ports.

2. Application of Funds

a. Fixed capital assets (Net block)

Docks, Seawalls, Piers and Navigational aids 286.44 crore

Above includes 28.45 crore being the depreciated value of WQ-7 berth which was constructed and commissioned in July 2005 at a capital cost of 38.38 crore with estimated useful life of75years. This berth was subjected to distress during rains in September 2005 which had aggravated by February 2007 ands since the efforts to bring the berth into operation failed, the berth was decommissioned. Part of the structure was dismantled later while some part of it got integrated in other Assets. However, VPT neither adjusted the book value of the WQ 7 despite dismantling/integration of part of asset with other assets nor carried out valuation of the remaining part of asset to reflect the same at lower of net book value and net realizable value which is contrary to provisions of Accounting Standard 10-Accounting of Fixed Assets.

b. Investment

Investment of General Reserve Fund-Rs.58.80 crore.

Despite being pointed out in the Separate Audit Report for the years 2014-15 and 2015-16, the Port did not ascertain and provide for the diminution in the value of investment of Rs 30.00 crores made in M/S Sethusamudram Corporation Limited (SSCL), Chennai despite the fact that the project operation of SSCL were suspended in the year 2009. This is contrary to the provisions of Accounting Standard 13 – Accounting of Investments.

C. Profit and Loss Account

a. Operating Expenditure

Railway working

Operation, Maintenance & Administration expenses

Of stations, yards and sidings – Rs. 0.13 Crore

This does not include the differential Annual Maintenance Charges (AMC) amounting to Rs. 26.53 crore payable to Railways for the maintenance and renewal of the railway lines, sidings etc. in respect of the Ore Exchange Yard for the period April 2003 to March 2017 in line with the mutual agreement (1998) between Railways and VPT. Non-provision of AMC payable to Railways resulted in understatement of Operating Expenditure as well as Current Liabilities by Rs 26.53 crore. Consequently, the Profit Before Tax was overstated by the same amount.

b. Finance and Miscellaneous Expenditure

Provision for Bad and Doubtful Debts

Out of the sundry debtors of Rs 533.11 Crore as on 31 March 2017, an amount of Rs. 78.69 crore (14.76 percent) and Rs 36.03 crore (6.76 per cent) was outstanding for more than three years and five years, respectively. Despite giving assurance every year since 2011-12, VPT has not initiated any action to make a suitable provision after duly conducting a review of these debtors.

D. Management Letter

Deficienceies which have not been included in the Audit Report have been brought to notice of the Chairman, VPT, Visakhapatnam through a management letter issued separately for corrective action.

- v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Profit & Loss Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to use, the said financial statements read together with Accounting Policies and Note on Accounts, and subject to the significant maters stated above and other matters mentioned in Annexure -1 to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:
 - a. In so far as it relates to the Balance Sheet of the sate of affairs of the VPT, Visakhapatnam as on 31 March 2017, and
 - b. In so far as it relates to Profit & Loss Account for the year ended on that date.
- 5. A Review of accounts showing the summarized financial results of the Port for the last three years is given in Annexure II.

For and on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India

(L.Tochhawng)

Director General of Commercial Audit & Ex-Officio Member, Audit Board, Hyderabad.

Place : Hyderabad Date: 18 October 2017

Annexure - 1

1. Adequacy of Internal Audit System

The internal audit of VPT was entrusted to M/S G.R.Kumar & Co., from June 2014 and renewed up to 30.09.2017. During the current year the Internal Audit teams had submitted monthly audit reports for the periods April 2016 to March 2017 to VPT. Though the internal audit mandate provides for various checks including verification of draft Profit & Loss account, Balance sheet, schedules, Notes forming part of accounts, various deficiencies were pointed out during current year audit which have been substantially rectified by the Management. This indicates that the effectiveness of the Internal Audit system needs to be improved.

2. Adequacy of Internal Control System

Internal controls of the VPT are not adequate. Specific areas relating to debtors' management which need to be strengthened/improved have been brought to notice of VPT through a management letter issued separately for compliance. **Some major items are as follows:**

- Age-wise analysis reveals that trade dues are outstanding from Government Parties since 1974-75 and from Private Parties since 1990-91 and the same is indicative of absence of concerted efforts for timely realization.
- VPT has shown Rs. 412.09 crore under sundry debtors instead of Rs. 86.61 crore (Rs 412.09 Crore Rs 325.47 Crore) in respect of 335 parties due to non-reconciliation of customer deposit accounts with sundry debtors. This highlights necessity of periodical reconciliation.
- Similarly, negative balances of Rs. 9.95 crore in Customer Deposit Balances (Sundry Creditors) which were transferred to Sundry Debtors in the year 2012-13 were not adjusted due to non-reconciliation of the same.
- All port users shall maintain a minimum balance of Rs. 25,000 in their revolving deposit accounts. Out of total 1957 deposit accounts, 1239 deposit account holders are not maintaining the requisite minimum balances. Further, deposit accounts of 153 customers show negative balances worth Rs 39.15 crore. This indicates inadequacy of monitoring mechanism.
- Even though provision for doubtful debts made since 2002-03 still existed in the books, there was no follow-up to settle these provision.
- The amounts collected from the debtors (mostly from 2004-05) were not adjusted against the bill-wise dues and as a result both the bill-wise dues along with amount collected from the party as negative balances were continued to be exhibited. In the process, it is difficult to identify the bills against which the dues are outstanding.

3. System of Physical verification of fixed assets

The quiquennial Physical verification of the fixed assets due in the year 2011-12 was done up to 31.03.2013 and the Physical verification committee submitted its report in March 2014. In order to verify the findings of the said committee on the excess and shortage of assets, a new committee was appointed, which also submitted its final report in March 2015. The committee finally concluded that out of shortage of 369 assets, 265 were fully depreciated and the net value of the remaining 104 assets was Rs 1.13 Crore(Rs 5.48 Crore – Rs 4.35 Crore), as at the end of 31.03.2015. However, management had neither taken necessary adjustments, nor made a suitable disclosure with proper quantification of excess/shortage.

4. System of Physical verification of inventory

The Physical verification of inventory is carried out by the Management at regular intervals.

5. Regularity in payment of statutory dues

VPT has remitted the statutory payments to the respective organizations within the due dates.

(L.Tochhawng)
Director General

Annexure-II

This review of accounts has been prepared with out taking into account the audit observations/comments included in the audit report of the Comptroller and Auditor General of India.

1. Introduction

The audit of the accounts of the Visakhapatnam Port Trust (VPT) has been conducted under Section19(2) of Comptroller &Auditor General (Duties, Power and Conditions of Service) Act 1971 read with Section 102 of Major Port Trust Act 1963.

2. Financial Position.

The Financial Position of VPT under broad heading as at the end of each of the last three years was as follows.

(₹ in crore)

	Description	2014-15	2015-16	2016-17
1.A	Liabilities			
	(i) Capital reserve	902.51	909.08	961.12
	(ii) Other reserves	1052.07	1095.21	1066.26
	(iii) Borrowings			
	Capital debts	100	93.51	70.53
	(iv) Grants Received	0	10.60	0.28
	(v) Current Liabilities &Provisions &Other Liabilities (Pf/Pension/Gratuity Fund)	1668.91	2211.05	2117.03
	(vi) Differed Tax Liability	0	0	0
	Total	3723.49	4319.45	4215.22
В	(i) Fixed Assets(Gross Block)	1543.58	1642.63	1970.83
	(ii) Less: Depreciation	601.00	639.27	665.33
	(iii) Net Fixed Assets	942.58	1003.36	1305.50
	(IV) Work -in -Progress	447.41	493.86	471.96
	(v) Investments	174.12	190.21	198.68
	(vi) Current Assets Loans And Advances	2011.11	2459.37	2075.63
	(vii) Miscellaneous Expenditure(DRE)	0	0	0
	(viil) Deferred Tax Asset	148.27	172.65	163.45
	Total	3723.49	4319.45	4215.22
С	Working Capital ¹	342.20	248.32	-41.40
D	Net worth ²	1954.58	2004.30	2027.38
Е	Capital Employed ³	1284.78	1251.68	1264.10
F	Percentage of Return on capital Employed ⁴	7.13	4.00	1.82
G	Capital Employed (Including Work-in Progress)	1732.19	1745.55	1736.06
Н	Percentage of Return on Capital Employed (Including Work -in- progress)	5.29	2.87	1.33

Working capital represents current assets minus current Liabilities.

² Net worth represents capital reserves and other reserves plus accumulated surplus less accumulated deficit

³ Capital Employed represents net fixed assets plus working capital

⁴ Rate of return represents percentage of net surplus (before appropriations) to capital employed

3. Summary of working results

The working results of VPT for the year ended 31 March 2017 as compared to the last two years ended 31 March 2015 and 2016 were as follows.

(₹in crore)

		2014-15	2015-16	2016-17
II	Revenue			
а	Income			
	Operating Income	809.85	907.53	917.58
	Non-Operating Income	152.37	341.91	122.63
	Total	962.22	1249.44	1040.21
b	Expenditure			
	Operating Expenditure	493.84	551.69	531.64
	Non-Operating Expenditure	365.01	672.07	463.25
	Total	858.85	1223.76	994.89
С	Net Surplus/deficit Before Appropriation/Profit before tax	103.37	25.68	45.32
	Less: Provision for Taxation			
	Previous year	0.00	0.00	0.00
	Current Year	25.18	0.00	13.09
	Fringe benefit Tax	0.00	0.00	0.00
	Deferred Tax	-13.47	-24.38	9.19
	Profit After Tax	91.67	50.06	23.04
d	Less: Mandatory Appropriation/Transfer to Reserve Fund(Net Profit)	77.27	38.66	1.22
е	Surplus Transferred to General Reserve Fund (Net Profit)	14.40	11.40	21.82
f	Percentage of Net Surplus to			
	Operate Income	1.78	5.52	2.51
	Net Fixed Assets	1.53	4.99	1.76
	Net worth	0.74	2.50	1.14

4. Ratio Analysis (Liquidity& Solvency)

- (a) Percentage of current assets to current liabilities decreased from 111.23 in 2015-16 to 98.04 in 2016-17.
- (b) Percentage of quick assets to current liabilities decreased from 77.04 in 2015-16 to 63.88 in 2016-17
- (c) Percentage of sundry debtors to operating income increases to 58.10 in 2016-17 as against 38.62 in 2015-16
- (d) Debt/Capital Reserves & Other Reserves ratio decreased from 4.67 in 2015-16 to 3.48 in 2016-17
- (e) Percentage of current assets to total assets decreased from 56.94 in 2015-16 to 49.24 in 2016-17
- (f) Percentage of operating expenditure to operating income decreased from 60.79 in 2015-16 to 57.94 in 2016-17.

(L.Tochhawng)
Director General

ANNUAL ACCOUNTS

Sched	dules to Balance Sheet as at 31st March 2017		ules to Revenue Account for ear ended 31st March 2017
Schedule 1.1	Reserves and Surplus	Schedule R.1	Cargo Handling & Storage Charges
Schedule 1.2	Loan Funds	Schedule R.2	Port & Dock Charges
Schedule 1.3	Grants Received	Schedule R.3	Railway Earnings
Schedule 1.4	Deferred Tax	Schedule R.4	Estate Rentals
Schedule 2.1	Fixed Capital Assets	Schedule R.5	Cargo Handling & Storage
Schedule 2.2	Investments	Schedule R.6	Port & Dock Facilities
Schedule 2.3	Current Assets, Loans & Advances	Schedule R.7	Railway Working
Schedule 2.4	Current Liabilities & Provisions	Schedule R.8	Rentable Lands and Buildings
Schedule 2.5	Miscellaneous Expenditure	Schedule R.9	Management & General Administration
		Schedule R.10	Finance & Misc. Income
		Schedule R.11	Finance & Misc. Expenditure

(Amount in ₹)

BALANCE SHEET

	SCH	As	As at 31st MARCH 2017	7		As at 31st MARCH 2016	2016
SOURCES OF FUNDS:							
RESERVES & SURPLUSES:	1.1						
A. CAPITAL RESERVE			9,61,12,02,976			9,09,08,39,442	
B. REVENUE RESERVES							
a) General Reserve Fund		92,80,00,000			1,22,04,57,588		
b) Employees' Welfare Fund		0			0		
c) Employees Family Security Scheme		6,41,33,162			6,11,91,608		
d) Protective Equipemnt Fund		0		•	0		
e) Liability Reserve Fund		0		•	0		
			99,21,33,162			1,28,16,49,196	
C. STATUTORY RESERVES							
 a) Reserve for Replacement, Rehabilitation and Modernisation of Capital Assets 		4,44,04,95,097			4,44,04,95,097		
b) Reserve for Development, Repayment of Loans and Contingencies		5,22,99,89,153			5,22,99,89,153		
			9,67,04,84,250	•		9,67,04,84,250	
				20,27,38,20,388			20,04,29,72,888
Grants Received	6.7			27,72,750			10,60,06,055
LOAN FUNDS:	1.2						
A. SECURED LOANS			0			0	
B. GOVERNMENT LOANS			70,53,14,700			93,50,91,000	
C. UNSECURED LOANS			0			0	
				70,53,14,700			93,50,91,000
DEFERRED TAX LIABILITY:				0			0
TOTAL SOURCES OF FUNDS				20,98,19,07,838			21,08,40,69,943

(Amount in ₹)

BALANCE SHEET

1,90,20,99,315 14,97,22,95,826 24,59,37,06,511 As at 31st MARCH 2016 88,68,69,419 22,35,24,503 6,44,92,83,830 10,03,36,42,644 33,97,03,444 3,50,51,97,926 4,93,86,53,182 58,80,00,000 13,52,88,30,833 97,43,95,871 18,14,44,22,681 1,21,97,44,224 1,06,12,66,274 1,13,49,13,269 2,81,78,14,910 28,97,44,760 26,30,46,465 21,62,39,224 22,55,330 13,52,65,75,503 5,58,75,78,413 9,01,76,375 13,40,00,000 63,75,29,042 3,97,03,444 30,00,00,000 39,12,18,245 58,80,00,000 2,80,44,97,926 2,22,72,60,236 41,23,21,156 70,07,00,000 97,43,95,871 73.881 17,77,46,12,413 1,98,67,88,898 20,75,62,88,230 As at 31st MARCH 2017 13,05,49,97,816 4,71,96,14,597 50,13,52,086 20,22,80,790 1,05,90,85,454 6,52,93,02,844 14,22,69,85,386 33,97,03,444 5,33,11,05,028 58,80,00,000 8,19,22,47,482 5,61,00,07,596 9,09,10,825 1,45,53,24,742 96,67,51,921 13,40,00,000 69,43,84,423 3,97,03,444 30,00,00,00,000 12,41,900 8,19,10,05,582 39,12,18,245 5,08,19,51,085 1,17,64,66,712 24,24,57,618 17,76,42,465 58,80,00,000 1,05,90,85,454 1,33,82,73,854 73,881 48,92,88,474 20,93,77,502 99,28,31,174 2,86,44,45,171 SCH 2.2 2.3 2.1 Installations for Water, Electricity, Telecom. & Fire fighting Advances & Loans to subsidiaries/ Ports / Trusts Balances with Customs, Excise, Income Tax etc. Railway and Rolling Stock Docks, Sea-Walls, Piers, & Navigational: Aids INVESTMENTS OF GENERAL RESERVE FUND Advances recoverable in cash or in kind INVESTMENTS OF STATUTORY RESERVES INVESTMENTS OF CASH SURPLUS FUNDS Bank Balances with Scheduled Banks Building Sheds and Other Structures CURRENTS ASSETS, LOANS & ADVANCES: FIXED CAPITAL ASSETS: (Net Block) Bank Balances with other Banks Accrued interest on Investments Government or Trust Securities Shares, Debentures or Bonds Wharves, Roads, Boundaries CAPITAL WORKS IN PROGRESS or the value to be received Von Government Dues Cash & Bank Balances Cash Balance on hand Cranes and Vehicles Other Investments Plant & Machinery Other Investments **Sovernment Dues** Sapital Dredging **LOANS & ADVANCES** ease hold Land Sundry Debtors Inter Port Dues APPLICATION OF FUNDS: **CURRENT ASSETS** Floating Craft Inventories Deposits INVESTMENTS: ര്മ്മ്≤്മ് p a (C) (G) (e (g) Αœ ن œ. œ.



(Amount in ₹)

BALANCE SHEET

22,11,04,92,515 2,48,32,13,996 1,72,64,60,806 21,08,40,69,943 As at 31st MARCH 2016 2,76,83,15,930 4,70,71,62,936 5,32,70,590 7,08,02,39,148 3,11,53,86,660 4,02,63,55,350 35,97,61,901 19,34,21,76,585 13,02,91,972 0 3,22,92,23,432 1,91,67,436 4,55,77,03,528 2,76,83,15,930 5,32,70,590 42,92,37,793 2,12,72,455 2,77,86,681 3,37,27,18,787 -41,40,35,723 21,17,03,23,955 1,63,45,42,250 20,98,19,07,838 As at 31st MARCH 2017 2,89,91,91,754 5,12,94,416 3,17,38,55,408 4,62,92,22,759 1,42,59,55,375 5,62,90,02,283 36,18,01,960 18,27,11,32,201 -9,22,14,395 0 5,06,35,299 4,67,08,01,855 5,12,94,416 1,71,23,416 2,12,72,455 48,43,37,642 1,67,01,78,248 2,89,91,91,754 43,60,90,522 SCH 2.4 2.5 4. MISCELLANEOUS CREDITORS & CREDIT BALANCES Demurrage/Wagon Hire charges payable to Railways Deposits from Merchants, Contractors & Others Unadjusted Sale proceeds of surplus materials ADVANCE PAYMENTS & UN EXPIRED DISCOUNTS Unadjusted Sale proceeds of unclaimed goods INTEREST ACCRUED BUT NOT DUE ON LOANS or the portion for which value has still to be given PROVIDENT, PENSION & GRATUITY FUNDS LESS: CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS: Liability towards Capital Expenses (To the extent not written off or adjusted) Provision for contingencies MISCELLANEOUS EXPENDITURE: TOTAL APPLICATION OF FUNDS Provision for Taxation Statutory Payments Creditors for Stores **CURRENT LIABILITIES:** SUNDRY CREDITORS Other provisions Provident Fund OTHER LIABILITIES Pension Fund **Gratuity Fund NET CURRENT ASSETS DEFERRED TAX ASSET:** PROVISIONS: Others ≡ ≥ >: ≥ Ä മ്

Dy. Chairman

विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट

VISAKHAPATNAM PORT TRUST

Schedules to Balance Sheet

RESERVES AND SURPLUSES

				Revenue Reserves		Statutory	Statutory Reserves
		Capital Reserve	General Reserve Fund	Employees' Family Security Scheme	Employees' Welfare Fund	Capital Assets Replacement Reserve	Reserve for Development, Repayment of Loans & Contingencies
	-	₩	th⁄	h∕	h⁄.	h∕	₩
Openi ADD:	Opening Balance as on 01.04.2016 ADD:	9,09,08,39,442	1,22,04,57,588	6,11,91,608	0	4,44,04,95,097	5,22,99,89,153
<u>←</u>	(a) Contribution from Revenue A/c	0	0	53,63,871	25,00,000	0	0
	(b) Additional Depreciation	0	0	0	0	0	0
2.	Transfer from Revenue A/c	52,03,63,534	21,82,46,116	0	0	0	0
<i>ي</i>	(a) Transfer from Other Reserves	0	0	0	0	0	0
	(b) General Reserve Fund	0	0	0	0	0	0
4.C	4.Other Transfers	0	0	0	0	0	0
		9,61,12,02,976	1,43,87,03,704	6,65,55,479	25,00,000	4,44,04,95,097	5,22,99,89,153
Ű	LESS:						
-	Transfer from Reserves						
	a) Net Deficit	0	0	0	0	0	0
	b) Transfer to Capital Reserve	0		0	0	0	0
	c) Repayment of Loans	0	50,82,03,704	0	0	0	0
	d) Transfer to Statutory Reserves	0	0	0	0	0	0
2	Other Transfers						
	a) Transfer to Revenue Account	0	25,00,000	0		0	0
_.	Expenditure during the year	0	0	24,22,317	25,00,000	0	0
	Closing Balance as on 31.03.2017	9,61,12,02,976	92,80,00,000	6,41,33,162	0	4,44,04,95,097	5,22,99,89,153
						-/bS	

Schedules to Balance Sheet SCHEDULE - 1.2

LOAN FUNDS

	Secured Loans
	Funds provided by Govt. of India
	₹
Balance as on 1-04-2016	93,50,91,000
Received during the year	0
Payments during the year	22,97,76,300
Balance as on 31-03-2017	70,53,14,700

Schedules to Balance Sheet SCHEDULE - 1.3

GRANTS RECEIVED

	₹
Balance as on 1-04-2016	10,60,06,055
Received during the year	1,21,55,790
Payments during the year	11,53,89,095
Balance as on 31-03-2017	27,72,750

SCHEDULE - 1.4

DEFERRED TAX

	AS AT 31st MARCH 2017	AS AT 31st MARCH 2016
	₹	₹
Defferred Tax Liability/(Asset) - Opening Balance:		
Timing difference on account of Depreciation - DTL	16,69,50,121	13,87,79,264
Add: Upfront amortissation DTL	65,24,53,210	0
Less: Timing difference on account of sums payable as employer u/s 43(B) of IT Act, 1961-DTA	2,54,58,64,137	1,62,14,35,963
Deffered Tax Liability/(Asset)	-1,72,64,60,806	-1,48,26,56,699
Timing difference on account of Depreciation DTL	19,91,34,495	16,69,50,121
Less: Upfront amortissation DTA	2,73,59,473	65,24,53,210
Less: Timing difference on account of sums payable as employer u/s 43(B) of IT Act, 1961 DTA	1,80,63,17,271	2,54,58,64,137
Deffered Tax Liability/(Asset) - Closing Balance	-1,63,45,42,250	-1,72,64,60,806
Net Deffered Tax charged to P&L Account	9,19,18,556	-24,38,04,107

Sd/-Dy. Chairman विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट

VISAKHAPATNAM PORT TRUST

FIXED CAPITAL ASSETS

39,12,18,245 48,92,88,474 1,45,53,24,742 1,17,64,66,712 20,93,77,502 24,24,57,618 17,76,42,465 13,05,49,97,816 17,77,46,12,413 73,881 5,08,19,51,085 2,86,44,45,171 4,71,96,14,597 96,67,51,921 Net Block as on 31/3/2017 Block 2,81,78,14,910 2,22,72,60,236 41,23,21,157 1,21,97,44,220 1,28,70,12,969 1,06,12,66,274 1,13,49,13,268 26,30,46,465 21,62,39,225 10,03,36,42,643 14,75,32,57,240 39,12,18,245 73,881 28,97,44,761 4,71,96,14,597 As at 1st April 2016 45,08,93,053 79,31,37,013 87,77,00,474 6,65,32,83,508 48,34,51,951 35,51,14,436 79,60,47,218 6,65,32,83,508 Depreciation as 66,93,48,409 94,05,77,986 on 31/3/2017 74,24,279 25,54,28,708 60,385 Depreciation 4,558 4,947 1,003 7,67,634 20,13,510 25,54,28,708 24,51,52,391 adjustment **Depreciation** during the year 3,96,08,090 5,13,95,427 2,00,58,611 Depreciation 5,38,44,755 4,63,81,206 10,16,97,514 12,19,44,836 4,65,24,717 51,59,82,887 3,45,27,730 51,59,82,887 1,19,27,39,734 89,60,66,779 42,96,07,195 33,51,16,211 40,45,16,405 75,35,33,870 79,25,55,963 76,22,87,122 6,39,27,29,330 6,39,27,29,330 82,63,06,051 As on 1st April 2016 2,25,37,64,890 84,44,02,910 1,90,62,17,795 1,96,96,03,724 3,74,21,45,645 1,03,85,04,836 1,11,82,20,451 19,70,82,81,324 24,42,78,95,921 39,12,18,245 73,881 5,56,54,03,036 87,87,25,911 4,71,96,14,597 As on 31st March 2017 2,41,118 39,08,541 85,71,679 4,46,620 23,39,436 8,49,46,762 40,66,47,751 1,13,208 4,14,81,85,723 3,74,15,37,972 30,60,80,387 Deletions **Gross Block** 82,53,882 1,36,17,868 2,99,34,82,367 9,70,78,750 29,05,28,849 10,19,33,226 3,68,85,57,102 3,52,24,99,388 7,21,10,56,490 8,11,56,586 10,25,05,574 Additions 2,65,68,67,432 39,12,18,245 74,74,37,368 ,88,84,47,138 6,42,63,71,973 21,36,50,25,154 st April 2016 73,881 ,62,42,60,625 2,25,40,06,008 3,64,41,20,961 ,08,23,00,724 ,02,53,33,587 1,11,23,06,004 4,93,86,53,181 Railway and Rolling Stock Capital Works in progress Docks, Sea-Walls, Piers, and Navigational: Aids Installations for Water, Electricity, Telecom. & **Buildings Sheds and** Cranes and Vehicles Plant & Machinery TOTAL FIXED CAPITAL ASSETS Wharves, Roads, Capital Dredging Other Structures Lease hold Land Floating Craft Boundaries Asset Class TOTAL Land 10

Dy. Chairman

SCHEDULE - 2.2

INVESTMENTS

	COST VALUE			MARCH 2016	
	COST VALUE	FACE VALUE	COST VALUE	FACE VALUE	
	₹	₹	₹	₹	
A. GENERAL RESERVE					
CURRENT INVESTMENTS					
LONG TERM INVESTMENTS:					
Government or Trust Securities					
2. Shares, Debentures or Bonds	58,80,00,000	58,80,00,000	58,80,00,000	58,80,00,000	
	58,80,00,000	58,80,00,000	58,80,00,000	58,80,00,000	
O Other house to contra	30,00,00,000	30,00,00,000	30,00,00,000	30,00,00,000	
3. Other Investments				•	
	0	0	0	0	
TOTAL(A)	58,80,00,000	58,80,00,000	58,80,00,000	58,80,00,000	
B. STATUTORY RESERVES					
CURRENT INVESTMENTS	_	_	-	_	
LONG TERM INVESTMENTS:					
1. Government or Trust Securities					
CG 2034 @ 7.50%	2,01,70,333	2,00,00,000	2,01,70,333	2,00,00,000	
CG 2035 @ 7.40%	1,95,33,111	2,00,00,000	1,95,33,111	2,00,00,000	
	3,97,03,444	4,00,00,000	3,97,03,444	4,00,00,000	
2. Shares, Debentures or Bonds					
APPFC Limited Power Bonds					
Bank of Maharastra Bonds	10,00,00,000	10,00,00,000	10,00,00,000	10,00,00,000	
Canara Bank Bonds	3,00,00,000	3,00,00,000	3,00,00,000	3,00,00,000	
Canara Bank Bonds	5,00,00,000	5,00,00,000	5,00,00,000	5,00,00,000	
Tamilnadu Electricity Board Bonds	2,00,00,000	2,00,00,000	2,00,00,000	2,00,00,000	
UBI Bonds Issue	0	0	0	0	
DCI Tax Free Bonds-2013	10,00,00,000	10,00,00,000	10,00,00,000	10,00,00,000	
	30,00,00,000	30,00,00,000	30,00,00,000	30,00,00,000	

6-17

Schedules to Balance Sheet

SCHEDULE - 2.2 INVESTMENTS

	As at 31st MARCH 2017		As at 31st MA	ARCH 2016
	COST VALUE FACE VALUE		COST VALUE	FACE VALUE
	₹	₹	₹	₹
3. Other Investments				
TDRs with State Bank of Mysore @ 10.70%				
TDRs with I.DI.B.I. Bank @ 9.41%				
TDRs with Andhra Bank @ 9.00%				
TDRs with Andhra Bank @ 9.20%				
TDRs with Andhra Bank @ 9.10%				
TDRs with Corporation Bank @ 9.68%				
TDRs with Union Bank of India @ 9.00%				
TDRs with Andhra Bank @ 9.80%				
TDRs with Indian Overseas Bank @ 9.82%				
TDRs with Vijaya Bank @ 9.23%				
	0	0		
TOTAL(B)	33,97,03,444	34,00,00,000	33,97,03,444	34,00,00,000
C. CASH SURPLUS FUNDS				
LIC of India under Group Leave Encashment Scheme	92,28,39,434	92,28,39,434	84,85,99,383	84,85,99,383
Bajaj Allianj under Group Leave Encashment Scheme	3,77,13,412	3,77,13,412	3,46,64,271	3,46,64,271
Bajaj Allianj under Family Security Scheme	6,45,37,404	6,45,37,404	5,97,56,856	5,97,56,856
State Bank of India (Life) under Group Leave Encashment Scheme	3,39,95,204	3,39,95,204	3,13,75,361	3,13,75,361
TOTAL (C)	1,05,90,85,454	1,05,90,85,454	97,43,95,871	97,43,95,871
TOTAL INVESTMENTS: (A+B+C)	1,98,67,88,898	1,98,70,85,454	1,90,20,99,315	1,90,23,95,871

Sd/-

Dy. Chairman

SCHEDULE - 2.3

CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES

	As at 31st N	MARCH 2017	As at 31st M	ARCH 2016
	₹	₹	₹	₹
CURRENT ASSETS i. Accrued Interest on Investments ii. Inventories		50,13,52,086		88,68,69,419
Service Stock & Spares Inventories held for less than 2 years Inventories held for more than 2 years but less than 3 years Inventories held for more than 3 years but less than 10 years Inventories held for more than 10 years but less than 15 years Inventories held for more than 15 years	19,99,44,404 7,64,418 17,18,411 3,11,015 0 20,27,38,248		22,13,78,112 5,08,370 19,25,589 1,815 0 22,38,13,886	
less: Depreciation on Non-moving Inventories iii. Sundry Debtors a) Debts Considered good but not secured:	4,57,458 14,96,86,135 23,81,543 4,61,85,81,611 14,53,49,732 30,64,70,162 10,86,35,845	20,22,80,790	2,89,383 21,83,51,657 23,81,543 2,82,41,96,630 17,36,17,846 17,35,98,227 11,30,52,023	22,35,24,503
 b) Debts Considered doubtful or Bad: a. Cargo related dues b. Vessel related dues c. Estate dues d. Railway dues e. Fishing Harbour dues 	2,29,27,786 2,377 42,59,566 4,08,79,049 50,26,643	5,33,11,05,028 7,30,95,421	2,29,27,786 2,377 42,59,566 4,08,79,049 50,26,643	3,50,51,97,926 7,30,95,421
less: Provision for Doubtful Debts iv. Cash & Bank Balances	00,20,040	5,40,42,00,449 7,30,95,421 5,33,11,05,028	00,20,040	3,57,82,93,347 7,30,95,421 3,50,51,97,926
a. Cash on handb. Balance at Banks:c. In Current/Savings Bank Accounts:		12,41,900		22,55,330
Andhra Bank - Port Branch Axis Bank Bank of Baroda Bank of India Canara Bank Central Bank of India	4,38,98,869 1,315 7,58,648 0 20,82,982 0		9,05,55,656 1,315 7,58,648 0 20,82,982	
ICICI Bank Indian Overseas Bank Industrial Development Bank of India (IDBI) Oriental Bank of Commerce State Bank of Hyderabad State Bank of Hyderabad - Surya Bagh Branch State Bank of India - Main Branch	0 33,29,559 15,16,183 11,08,696 0 76,98,017 6,55,337		0 33,29,559 15,16,183 11,08,696 0 45,47,120 6,55,337	
State Bank of India - Main Branch (Escrow A/c) State Bank of India - Port Branch Union Bank of India - RTGS SB A/c 133641 Vijaya Bank	14,13,958 4,31,50,393 49,91,625 0	11,06,05,582	14,13,958 4,63,97,525 42,08,524 0	15,65,75,503



SCHEDULE - 2.3

CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES

	As at 31st N	MARCH 2017	As at 31st M	ARCH 2016
d In Denosite Accounts (TDR 4/c & CLTD 4/c)	₹	₹	₹	₹
d. In Deposits Accounts (TDR A/c & CLTD A/c): Andhra Bank State Bank of Patiala Canara Bank Bank of India IDBI State Bank of Hyderabad State Bank of India - Port Branch Vijaya Bank State Bank of Mysore Indian Overseas Bank Syndicate Bank TDRs with Union Bank of India @ 9.00% TDRs with Indian Overseas Bank @ 9.25%	1,38,07,00,000 0 2,20,00,00,000 0 22,97,00,000 3,57,00,00,000 0 70,00,00,000		3,66,00,00,000 2,32,00,00,000 54,00,00,000 2,39,00,00,000 2,00,00,000 2,86,00,00,000 50,00,00,000 1,08,00,00,000	
TDRs with Vijaya Bank @ 8.90% TDRs with State Bank of Patiala @ 8.70% TDRs with Canara Bank @ 9.25%		8,08,04,00,000 8,19,22,47,482	13,37,00,00,000	13,37,00,00,000
TOTAL CURRENT ASSETS		14,22,69,85,386		18,14,44,22,681
LOANS & ADVANCES * 1. Advances & Loans to subsidiaries/ Ports / Trusts Stores drawn by Cargo Handling Division Intercorporate Loan Advance to Pension Fund Trust Advance to Gratuity Fund Trust Sub-ordinate Loan to Visakhapatnam Port Road Co. Ltd. 2. Advances recoverable in cash or in kind or the value to be received Advances for Contract Works Advances for Purchases - Stores Computer Advances House Building Advances Motor Car/Cycle Advances Travel/LTC Advances Others less: Provision for Doubtful Advances	0 1,00,00,000 12,40,00,000 40,54,51,959 6,54,03,240 51,65,598 58,70,675 32,43,257 55,72,297 20,42,81,796	69,49,88,822 6,04,399	0 1,00,00,000 12,40,00,000 32,13,57,727 6,45,84,688 71,30,556 77,52,559 41,74,805 53,10,685 22,78,22,421	13,40,00,000 63,81,33,441 6,04,399
3. Balances with Customs, Excise, Income Tax etc. Voluntary deposit with Telecommunication Dept. Income Tax - TDS, Advance Tax & Service Tax 4. Deposits	30,550 5,60,99,77,046	69,43,84,423 5,61,00,07,596	30,550 5,58,75,47,863	63,75,29,042 5,58,75,78,413
Deposits with APTRANSCO. Deposits with GVMC. * Loans and Advances considered as good and unsecured. TOTAL LOANS & ADVANCES	5,41,63,343 3,67,47,482	9,09,10,825 6,52,93,02,844	5,34,28,893 3,67,47,482	9,01,76,375
TOTAL LOANS & ADVANCES	-	0,32,33,02,044		6,44,92,83,831

Sd/-

Dy. Chairman

SCHEDULE - 2.4

CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

		As at 31st M	IARCH 2017	As at 31st Ma	ARCH 2016
		₹	₹	₹	₹
Α.	CURRENT LIABILITIES				
I.	PROVIDENT, PENSION & GRATUITY FUNDS				
a)	Provident Fund	5,06,35,299		1,91,67,436	
b)	Pension Fund	4,67,08,01,855		4,55,77,03,528	
c)	Gratuity Fund	-9,22,14,395		13,02,91,972	
			4,62,92,22,759		4,70,71,62,936
II.	SUNDRY CREDITORS				
a)	Creditors for Stores	5,12,94,416		5,32,70,590	
b)	Unadjusted Sale proceeds of unclaimed goods	0		0	
c)	Unadjusted Sale proceeds of surplus materials	0		0	
			5,12,94,416		5,32,70,590
III.	MISCELLANEOUS CREDITORS & CREDIT BALANCES				
a)	Demurrage/Wagon Hire charges payable to Railways	1,71,23,416		2,77,86,681	
b)	Statutory Payments	43,60,90,522		42,92,37,793	
c)	Liability towards Capital Expenses	2,12,72,455		2,12,72,455	
d)	Others	48,43,37,642		3,37,27,18,787	
e)	Deposits from Merchants, Contractors & Others	4,67,01,78,248		3,22,92,23,432	
			5,62,90,02,283		7,08,02,39,148
IV.	ADVANCE PAYMENTS & UN EXPIRED DISCOUNTS				
	for the portion for which value has still to be given				
a)	Prepaid Income	12,38,34,934		21,30,84,235	
b)	Up-front Premium to be amortised	4,30,21,20,441		3,81,32,71,115	
c)	Volume Discount to be given to Trade	0		0	
			4,42,59,55,375		4,02,63,55,350
٧.	OTHER LIABILITIES		3,17,38,55,408		3,11,53,86,660
VI.			36,18,01,960	1	35,97,61,901
	TAL CURRENT LIABILITIES		18,27,11,32,201		19,34,21,76,585
В.	PROVISIONS:				
I)	Provision for Taxation	2,89,91,91,754		2,76,83,15,930	
II)	Provision for contingencies	0		0	
III)	•	0		0	
TC	TAL PROVISIONS		2,89,91,91,754		2,76,83,15,930
TC	TAL CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS		21,17,03,23,955		22,11,04,92,515

Sd/-Dy. Chairman

PROFIT AND LOSS ACCOUNT

	FOR THE PERIOD ENDING	
	31st MARCH 2017	31st MARCH 2016
INCOME:		
Cargo Handling & Storage Charges	3,02,57,17,671	3,84,47,22,100
Port & Dock Charges	3,36,67,17,614	2,70,81,27,536
Railway Earnings	1,24,71,41,007	1,53,78,78,515
Estate Rentals	1,53,62,35,596	98,46,11,054
TOTAL OPERATING INCOME	9,17,58,11,888	9,07,53,39,20
EXPENDITURE:		
Cargo Handling & Storage	94,89,70,411	1,12,13,29,709
Port & Dock Facilities	1,17,54,83,025	1,26,97,95,58
Railway Working	84,79,57,962	84,15,72,89
Rentable lands & Buildings	46,17,12,605	44,74,87,08
Management & General Administrative Expenses	1,88,22,81,261	1,83,66,91,93
TOTAL OPERATING EXPENDITURE	5,31,64,05,264	5,51,68,77,19
OPERATING SURPLUS:	3,85,94,06,624	3,55,84,62,010
Add: Finance & Miscellaneous Income	1,22,63,46,146	3,41,91,14,94
Less: Finance & Miscellaneous Expenditure	4,63,25,52,444	6,72,07,41,70
PROFIT BEFORE TAX	45,32,00,326	25,68,35,24
Less: Provision for Taxation:		
Previous Years	0	(
Current Year	13,08,75,824	(
Deferred Tax	9,19,18,556	-24,38,04,107
PROFIT AFTER TAX	23,04,05,946	50,06,39,350
Less: Profit on Disposal of Capital Assets transferred to Capital Reserve	1,21,59,830	11,73,089
Amount Available for Appropriations	21,82,46,116	49,94,66,26
Less: Appropriations		
Fund for Development, Repayment of Loans and Contingencies		38,54,34,000
Fund for Replacement, Rehabilitation and Modernisation of Capital Assets	0	(
TOTAL APPROPRIATIONS	0	38,54,34,00
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	21,82,46,116	11,40,32,266

Sd/-**CHAIRMAN**

Sd/-DY. CHAIRMAN

Schedules to Profit and Loss Account

	FOR THE PERIOD ENDING	
	31st MARCH 2017	31st MARCH 2016
	₹	₹
SCHEDULE - R.1		
CARGO HANDLING & STORAGE CHARGES:		
Handling & Storage charges on General Cargo	1,22,95,03,662	1,74,87,41,246
Storage of goods in Ware Houses	2,54,48,213	1,46,46,188
Cranage	18,14,843	36,09,921
Lighterage	0	0
Handling of POL Oils & Lubricants	66,12,77,596	53,80,79,125
Demurrage fees on General Cargo	9,58,12,327	46,96,93,976
Royalties from BOT Contracts	97,76,09,140	1,05,74,98,651
Miscellaneous Charges	3,42,51,890	1,24,52,993
TOTAL	3,02,57,17,671	3,84,47,22,100
SCHEDULE - R.2		
PORT & DOCK CHARGES:		
Towing and Mooring Fees	5,56,02,087	8,44,22,350
Dock Dues	69,82,56,412	38,76,67,724
Port Dues	88,97,35,625	73,73,35,737
Pilotage Fees	1,68,58,53,021	1,46,69,96,743
Dry - Docking charges	1,34,30,730	57,28,707
Water supply to shipping	36,25,849	43,06,856
Salvage and Under Water Repairs	12,56,610	56,28,381
Miscellaneous Charges	1,89,57,280	1,60,41,038
TOTAL	3,36,67,17,614	2,70,81,27,536
SCHEDULE - R.3		
RAILWAY EARNINGS:		
Wagon Hire & Haulage Charges	18,32,20,379	18,64,01,573
Siding Charges	39,92,23,098	47,42,89,310
Terminal Charges	49,97,69,292	64,91,28,657
Miscellaneous Charges	16,49,28,238	22,80,58,975
TOTAL	1,24,71,41,007	1,53,78,78,515

Schedules to Profit and Loss Account

	FOR THE PERI	OD ENDING
	31st MARCH 2017	31st MARCH 2016
	₹	₹
SCHEDULE - R.4		
ESTATE RENTALS:		
Rent from Lands	1,37,64,68,746	74,34,19,437
Rent on Storage Sheds	94,586	76,933
Rent from accommodation provided for outside offices	15,36,025	24,72,349
Kalavani Auditorium	1,05,24,982	1,17,47,500
Rent from Port Trust quarters	47,02,508	48,16,134
Recoverable Charges	11,78,18,663	20,32,10,138
Miscellaneous Income	2,50,90,086	1,88,68,563
TOTAL	1,53,62,35,596	98,46,11,054
SCHEDULE - R.5		
CARGO HANDLING & STORAGE :		
Handling and Storage of General Cargo at Sheds and Wharves	55,38,53,549	52,73,02,637
Warehousing	48,30,721	0
Operation and Maintenance of Ore Handling Plant	4,84,35,200	22,69,84,893
Operation and Maintenance of Lighters and Barges	3,95,486	1,45,214
Operation and Maintenance of Wharf Cranes & Crane Vessels	3,68,67,642	4,26,91,533
Expenditure on General facilities at Docks	2,27,37,460	2,28,31,364
Administration & General Expenses	17,76,78,074	18,80,07,356
New Minor Works	0	0
Depreciation	10,41,72,279	11,33,66,712
TOTAL	94,89,70,411	1,12,13,29,709

Schedules to Profit and Loss Account

	FOR THE PERIOD ENDING	
	31st MARCH 2017	31st MARCH 2016
	₹	₹
SCHEDULE - R.6		
PORT & DOCK FACILITIES:		
Towing, Berthing and Mooring	40,85,55,676	42,46,87,023
Pilotage	23,90,51,126	27,72,30,586
Dry Docking Expenses	4,47,53,526	3,70,65,104
Water Supply to Shipping	1,11,16,614	1,17,80,798
Fire Fighting	4,54,43,987	4,55,62,471
Dredging and Marine Survey	16,88,09,750	23,10,65,389
Operation & Maint. of Navigational aids	1,20,90,493	1,19,00,193
Salvage & Under-water repairs	7,21,241	7,38,190
Maintenance of Docks & Harbour Walls, Marine Structures etc.	1,49,29,019	1,49,31,959
Administration & General Expenses	2,29,18,497	2,23,35,909
New Minor Works	0	C
Depreciation	20,70,93,096	19,24,97,961
TOTAL	1,17,54,83,025	1,26,97,95,581
SCHEDULE - R.7		
RAILWAY WORKING:		
Operation & Maintenance of Locomotives, Wagons etc.	32,69,35,982	28,68,72,862
Maintenance of Permanent Way Signals & Inter-locking	13,59,03,774	11,21,39,60
Operation, Maint. & Admn. expenses of Stations, Yards and Sidings	13,36,518	2,33,34,789
Administration & General Expenses	34,12,89,338	37,03,81,143
New Minor Works	0	(
Depreciation	4,24,92,350	4,88,44,490
TOTAL	84,79,57,962	84,15,72,890

Schedules to Profit and Loss Account

	FOR THE PERIOD ENDING	
	31st MARCH 2017	31st MARCH 2016
	₹	₹
SCHEDULE - R.8		
RENTABLE LANDS & BUILDINGS:		
Estate Maintenance	39,97,06,227	40,31,57,967
Land repairs and reclamation	32,91,585	17,46,279
Administration & General Expenses	39,96,230	13,81,898
New Minor Works	0	0
Depreciation	5,47,18,563	4,12,00,941
TOTAL	46,17,12,605	44,74,87,084
SCHEDULE - R.9		
MANAGEMENT & GENERAL ADMINISTRATION:		
Management & Secretarial Expenses	10,02,77,615	11,26,33,206
Port Security (C.I.S.F)	37,79,52,365	33,99,95,766
Legal Expenses	28,35,157	33,72,879
Labour and Welfare Expenses	7,61,77,375	7,53,21,827
Research and Planning Cell	5,79,11,241	5,70,41,447
Medical Expenses	32,74,04,299	32,42,96,304
Store Keeping	4,99,05,253	5,16,55,141
Accounting and Auditing	3,89,97,777	8,44,97,477
Expenditure on Head Office Building	0	0
Telephones	1,02,82,250	1,19,38,870
Engineering & Workshop Administration Overheads	66,31,29,785	68,99,47,217
Sundry Expenses	15,87,32,668	6,69,84,330
New Minor Works	0	0
Depreciation	1,86,75,476	1,90,07,468
TOTAL	1,88,22,81,261	1,83,66,91,931

Schedules to Profit and Loss Account

	FOR THE PERIOD ENDING	
	31st MARCH 2017	31st MARCH 2016
SCHEDULE - R.10	₹	₹
FINANCE & MISCELLANEOUS INCOME:		
Interest on Govt. Securities	0	0
Interest on Long Term F D Rs	0	0
Interest on Fixed Deposits & Cash Balances	69,39,42,010	1,36,24,73,732
Interest on Revenue Account	1,75,06,674	1,24,82,566
Interest on Deposit Account	35,97,953	41,65,583
Interest on Income Tax Refunds	2,41,63,095	5,00,01,461
Miscellaneous Income	32,27,09,722	13,92,92,845
Sundry Receipts	3,55,78,042	1,85,83,13,240
Profit on Disposal of Capital Assets	1,32,54,052	22,58,443
Centage Charges	63,135	32,292
Sale of Tender documents	8,81,650	7,75,750
Stores Adjustments (Excesses)	8,35,946	9,60,967
Items relating to previous year	11,38,13,867	-1,16,41,936
TOTAL	1,22,63,46,146	3,41,91,14,943
FINANCE & MISCELLANEOUS EXPENDITURE: Bank Charges INTEREST PAYABLE ON:	2,26,800	66,403
	4 0 4 4 0 0 0 0	4 00 00 040
i) Loans from Government	4,64,13,960	4,22,20,818
ii) Loans from Other agencies iii) Interest on Others	4,08,298	2,60,844
Coin adjustment	-20,916	-468
Bad Debts written off	-20,910	-400
Provision for Bad and Doubtful debts	0	(
Property Tax	35,29,86,290	34,77,20,571
Expenses on IT appeals etc	2,000	2,000
Loss on Disposal of Capital Assets	3,30,95,869	46,894
Stores Adjustments	2,45,144	23,84,828
Lumpsum payment to ML Candidates	0	4,55,000
Retirement Benefits:	ľ	1,00,000
i) Retirement Gratuities	-20,97,35,437	17,70,26,000
ii) V.R.Scheme Ex-gratia payment	44,84,67,309	3,93,66,101
iii) a) Pension Payments	1,85,68,15,917	1,81,31,12,228
b) Contribution to New Pension (Tier-I) Scheme	1,77,16,610	1,61,59,337
c) Contribution to pension fund	1,71,45,46,000	4,04,57,00,000
d) Commutation of Pension	29,93,30,696	19,99,36,119
Contribution to Corporate Social Responsibility Fund	1,50,19,181	2,74,99,827
Trustees' Contribution to P.F.	98,454	88,322
Prior period expenses	5,69,36,269	86,96,880
TOTAL	1	

Sd/-Dy. Chairman

ADDITIONAL SCHEDULE TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT TOTAL EXPENDITURE (INCLUDING FINANCE AND MISC. EXPENSES)

	FOR THE PER	RIOD ENDING
	31st MARCH 2017	31st MARCH 2016
	₹	₹
A. PAYMENTS TO AND PROVISIONS FOR EMPLOYEES: 1. SALARIES, WAGES & BONUS ETC.	2 72 60 44 447	2 72 46 22 202
i. Salaries and wages ii. Bonus	2,72,69,14,147 10,04,44,012	2,73,46,32,383 2,45,78,648
	2,82,73,58,159	2,75,92,11,031
2. CONTRIBUTION TO PROVIDENT AND OTHER FUNDS	_,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	_,: 0,0_,: 1,00 :
i. Trustees' contribution to Provident fund	98,454	88,322
ii. Contribution to Pension fund	1,71,45,46,000	4,04,57,00,000
iii. Pension payments including commutation of pension	2,17,38,63,223	2,02,92,07,684
	3,88,85,07,677	6,07,49,96,006
3. GRATUITY	-20,97,35,437	17,70,26,000
4. WORKMEN AND STAFF WELFARE EXPENSES		
i. Leave Travel Expenses	15,21,853	15,63,755
ii. Medical Reimbursement Expenses	13,40,59,220	10,03,59,604
iii. Nutrition to inpatients	3,64,614	4,15,415
iv. Stores (Medicines)	5,07,69,643	7,15,03,713
v. Stores (Surgical)	14,99,045	15,60,992
vi. Payments under workmen compensation Act.	0	0
vii. Passes and PTO's	0	0
viii. Scholarships, Prizes and awards	62,000	77,200
ix. VR scheme Ex-gratia Payments	44,84,67,309	3,98,21,101
	63,67,43,684	21,53,01,781
TOTAL (A)	7,14,28,74,083	9,22,65,34,817
B. OPERATING EXPENSES: 1. CONSUMPTION OF STORES ON SPARE PARTS ETC.	14 22 40 052	7 10 24 000
	11,32,19,952	7,10,24,088
2. REPAIRS TO PLANT AND MACHINERY (MECH)	22,81,92,860	19,58,72,862
3. REPAIRS TO BUILDINGS AND CIVIL STRUCTURES	17,82,69,951	25,68,33,486
4. OTHER REPAIRS		
i. Special Repairs	0	0
ii. Special Repairs Covered by Estimates	3,85,14,173	4,29,14,711
iii. Office machine Hire & service charges	3,42,56,261	3,35,14,519
F STORES CONSUMED	7,27,70,434	7,64,29,230
5. STORES CONSUMEDi. Stores General	3,38,92,247	3,99,34,915
	3,38,92,247	3,99,34,915

ADDITIONAL SCHEDULE TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT TOTAL EXPENDITURE (INCLUDING FINANCE AND MISC. EXPENSES)

			FOR THE PER	RIOD ENDING
			31st MARCH 2017	31st MARCH 2016
			₹	₹
6.	POV	VER, FUEL, LUBRICANTS ETC.		
	i.	Stores (Operational)	26,51,76,342	31,64,91,976
	ii.	Electric Power	6,17,94,162	21,54,37,187
			32,69,70,504	53,19,29,163
7.	NEV	V MINOR WORKS	0	0
8.	OTH	IER OPERATIONAL EXPENSES		
	i.	Damages & Deficiencies payable to Railways	1,12,37,478	3,74,54,653
	ii.	Wagon hire charges	0	1,52,40,379
	iii.	Hire charges for floating crafts	1,02,04,755	1,34,10,363
	iv.	Hire charges for vehicles	4,12,73,764	3,93,77,989
	٧.	Hire charges for Pvt. Tugs	9,79,18,360	12,61,81,849
	vi.	Fire charges	0	0
	vii.	Sundry expenses Operational	2,95,29,761	1,39,16,463
	viii.	Freight and handling charges	44,192	8,31,718
	ix.	Safety	0	0
	Х.	Security Charges	37,34,79,012	34,54,94,884
	χi.	Dredging Charges	11,62,88,751	17,12,24,531
	xii.	Depreciation	42,71,51,764	41,49,17,572
			1,10,71,27,837	1,17,80,50,400
		TOTAL (B)	2,06,04,43,786	2,35,00,74,144
C.	GEN	IERAL EXPENSES:		
	i.	Rent, Rates and Taxes	9,76,707	1,12,482
	ii.	Audit Fees	-2,51,64,915	1,56,29,759
	iii.	Water Charges	9,91,63,636	7,45,93,566
	iv.	Communication Expenses	4,97,007	4,38,769
	٧.	Other Expenses	92,61,368	93,21,944
	vi.	Insurance	19,67,666	17,68,732
	vii.	Traveling Expenses	71,17,597	68,80,867
	viii.	Furniture and Office Equipment	0	13,93,833
	ix.	Miscellaneous Expenses	1,29,65,724	1,52,47,227
	xii.	Advertisement and Publicity	1,66,35,459	2,31,49,051
	xiii.	Trustees' Fees	30,000	1,56,000
	xiv.	Entertainment	23,58,158	21,33,126
	XV.	Books and Periodicals	2,74,733	91,659
	xvi.	Legal and Professional Charges	1,77,33,636	90,72,955
	xvii.	Printing and Publishing	29,20,523	11,98,081



ADDITIONAL SCHEDULE TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT TOTAL EXPENDITURE (INCLUDING FINANCE AND MISC. EXPENSES)

	FOR THE PER	RIOD ENDING
	31st MARCH 2017	31st MARCH 2016
	₹	₹
xviii. Deputation to Training Courses	19,51,084	15,46,821
xix. License Fees	30,37,773	33,21,735
xx. Telephones	66,12,645	85,98,838
xxi. Research and Development	7,03,97,935	5,09,79,045
xxii. Subscriptions	71,249	15,204
xxiii. Contributions	1,15,18,959	90,08,916
TOTAL (C)	24,03,26,944	23,21,11,341
D. FINANCE EXPENSES: 1. INTEREST EXPENSES		
i. Bank Charges	2,26,800	66,403
ii. Interest on Government Loans	4,64,13,960	4,22,20,818
iii. Interest on Other Loans	4,08,298	2,60,844
	4,70,49,058	4,25,48,065
2. PROPERTY TAX	35,29,86,290	34,77,20,571
TOTAL (D)	40,00,35,348	39,02,68,636
E. PROFIT OR LOSS IN RESPECT OF TRANSACTIONS OF KIND NOT USUALLY UNDERTAKEN BY PORT OR UNDER IN CIRCUMSTANCES OF AN EXCEPTIONAL OR NON - RETURNS, IF MATERIAL IN AMOUNT		
i. Bad Debts written off	0	0
ii. Provision for Bad and Doubtful debts	0	0
iii. Loss on Disposal of Capital Assets	3,30,95,869	46,894
iv. Stores Adjustments	2,45,144	23,84,828
v. Prior Period expenses	5,69,36,269	86,96,880
vi. Expenses on Tax Appeals	2,000	2,000
vii. Contribution to Corporate Social Responsibility Fund	1,50,19,181	2,74,99,827
Coin Adjustment	-20,916	-468
TOTAL (E)	10,52,77,547	3,86,29,961
TOTAL EXPENDITURE	9,94,89,57,708	12,23,76,18,900

Sd/-Dy. Chairman

ANNUAL ACCOUNTS 2016-17 Significant Accounting Policies and Note on Accounts.

(A). ACCOUNTING POLICIES:

1. The Books are maintained under Mercantile System of accounting. Revenue is recognized on accrual basis and presented net of service tax and rebates/incentives if any.

2. Fixed Capital Assets and Depreciation

All assets are capitalised at original cost

Assets with an expected life of less than 5 years and costing less than Rs.1,00,000/- were treated as revenue assets and charged to revenue expenditure as per the existing directives of the Government.

Depreciation is provided under straight line method.

Depreciation on assets put to use for less than 3 months were provided with no depreciation and assets put to use for less than 6 months were provided with half the depreciation and assets in use for more than 6 months were provided full depreciation as per the Government's guidelines.

Fixed assets are excluded from the financial statements on disposal. The write off of assets are made, as per the provisions of Section 96 of the Major Port Trusts' Act 1963.

Fixed assets under construction are categorized as Capital works in progress.

Profit or loss on disposal of capital assets is being accounted for under Finance & Miscellaneous Income & Finance & Miscellaneous expenditure respectively. Capital Profit arising on disposal, over the original acquisition cost is, however, being transferred to Capital Reserve account.

3. Investments

The Investments for more than a year are classified as Long Term Investments and Investments for a year or less are treated as Current Investments.

The Investments are carried in the books of accounts at cost. Provision for diminution in the market value of long term investments is made, if in the opinion of the Board such diminution is permanent in nature.

4. Valuation of Inventory

Inventory of stock items are valued at weighted average method.

5. Income

Revenue arising out of rendering of a service is recognised in proportion to the stage of Completion of the service without waiting for its completion. Wharfage charges are liveable on goods entering docks even if they are not shipped as per notified scale of rates. Accordingly the wharfage income is accounted for.

Upfront fee collected on lease of Berths/Facilities and premium on lease of lands are accounted for as pre-paid income and are being amortized during the lease period as per Billimoria report.

6. Borrowing Costs

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, constructions of assets and are capitalised till the date on which the asset is commissioned. Interest on loans after capitalisation is charged to Revenue on accrual basis.

7. Foreign Currency Transactions

Foreign currency transactions for import of spares and capital equipment are recorded at the exchange rate prevailing on the date of the transaction. Till date the Port does not have any loans in foreign currency for import of spares/capital equipment, nor has it entered into any forward contracts. As and when such a situation arises, the policy will be framed keeping in view the relevant accounting standards.

Port has certain income like vessel related charges etc., which are denominated in US\$, but collected in Indian Rupees using the buying rate notified by the State Bank of India or its subsidiaries or any other Public Sector Bank as on the date of entry of vessel into Port.

ANNUAL ACCOUNTS & AUDIT REPORT 2016-17 वार्षिक लेखा एवं लेखापरीक्षा रिपोर्ट

8. Taxes on Income

Provision for current tax is made in accordance with the provisions of Income tax act 1961.

Pursuant to AS 22, timing differences mainly on account of depreciation and items covered under Sec. 43B of the Income Tax Act, 1961 resulting in Deferred Tax Assets and Liabilities have been recognised in the Accounts duly charging to Profit & Loss Account. Deferred Tax Assets are recognized and carried forward since there is a reasonable certainty of their realisation considering the past record and estimates of future profits.

9. As per Board resolution no.268/2015-16, Actuarial Valuation on annual basis is made for Pension, Gratuity and Leave Encashment.

В. **NOTE ON ACCOUNTS**

- 1. Capital Reserve includes Funds provided by the Government of India during 1933 to 1964 as initial Capital.
- 2. In compliance with Government of India directions, Capital Reserve is to be maintained at an amount equivalent to the Net Capital Block less Capital Debts. Net block of assets less capital debt to the end of 31.3.2017 is Rs.1234.97 (ie Rs.1305.50 crores - Rs.70.53 crores). Capital reserve to the end of 31.3.2016 is Rs. 909.08 crores and during the year basing on the availability of surplus an amount of Rs. 52.04 crores transferred to capital reserve and hence capital reserve to the end of 31.3.2017 is Rs. 961.11 crores only as against Rs.1234.97 crores. The difference of Rs. 273.86 crores will be made good in future basing on the surplus available.
- 3. As per the directions of the Government on the Port Trust's revised proposal on repayment of defaulted principal and interest on the Government Loans obtained for Outer Harbour, VPT had paid the entire defaulted principal and interest by end of 2004-05. The penal interest of Rs 213.05 crores to the end of 31/03/2004 and further accruals of Rs 141.18 crores till 31/03/2017 has been considered as contingent liability since VPT has requested the Government for waiver of the same. In this regard, the Ministry of Shipping already submitted a cabinet note to Finance Ministry
- 4. Physical Verification of Fixed Assets is being done quinquennially as per the policy and procedure laid down in this regard. The physical verification was done to the end of 31.3.2013 and reconciliation of assets with that of asset register completed during 14-15. Letters to the concerned departments i.e CE, CME and DC were sent for confirmation and the confirmations were received from respective departments and finalization is in process.
- Physical verification of inventories is carried out annually. Physical verification of inventories for the year 2016-5. 17 has been completed and discrepancies noticed are insignificant.
- 6. As per Ministry LR.NO. pgf-15/76 DT 22.9.1976, 3% reserve for Capital Assets replacement and 3% reserve for Development, Repayment of Loans & contingencies on capital employed is to be funded every year to extent of availability of cash. As sufficient surplus is not available, Fund for replacement, Rehabilitation and Modernisation of capital asset for the year 2014-15 is still to be made and no appropriation could be made for statutory reserves for 2015-16 and 2016-17 also and the status is as below.

(Rs.inCrores)

Year	Reserve for Capital Assets replacement	Reserve for replacement, Rehabilitation and Modernisation of capital asset
2014-15	Provided in 2015-16	38.54
2015-16	37.55	37.55
2016-17	37.91	37.91

7. An amount of Rs.30 crores received from Ministry of Shipping as grant for construction of Green channel berth. VPT has taken up two projects under Green channel berth, i.e Strengthening of existing WQ return End at a cost of Rs. 18.46 crores, which was fully adjusted against Grant. The balance amount of Rs. 11.54 crores adjusted against the other work of Extension of West Quay return end in replacement of RCC lay by jetty. Hence the Govt Grant is fully adjusted.

- 8. An amount of Rs. 27,72,750/- received during the year as grant from government for procurement of pollution response equipment shown under schedule 1.3.
- 9. VPT as Local Authority U/S 10 (20) of the Income Tax Act 1961 was exempted from income tax liability up to Assessment Year 2002-03 (Financial year 2001-02). With the amendments in Finance Act 2002, exemption as "Local Authority" to Ports was withdrawn from Assessment year 2003-04 (Financial year 2002-03) onwards. Therefore, VPT is liable to pay income tax from the Assessment Year onwards 2003-04. VPT however applied for registration U/S 12 A of IT Act as charitable institution for claiming exemption from IT assessment. Registration certificate U/S 12AA was obtained vide order dated 20.3.2008 retrospectively from Assessment Year 2003-04 onwards. Consequently tax payments made for the assessment years 2003-04 to 2008-09 were refunded except a portion relating to TDS certificates. The details of Assessment Year-wise balance refunds due from IT Department are as below:

Assessment Year	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
Refund due (Rs. in crore)	0.19	0.07	0.08	0.04	0.00	5.61

Above amounts are under persuasion with the IT Department for refund. For the Assessment Year 2008-09, IT Department refunded (1.4.2013) Rs.43.99 crore including interest Rs.16.85 crore and interest was credited to P&L Account of 2012-13. Rectification Petition U/S 154 of IT Act was filed for the assessment by IT Dept. for Assessment Year 2008-09 and is under pursuance including balance refund of Rs.5.61 crore.

Due to amendment to Section 2 (15) in the Finance Act, 2008, Ports were not eligible for exemption under section 11 of the IT Act from Assessment Year 2009-10 onwards and VPT was brought into income tax payee with effect from financial year 1 April 2008. The details of tax payments made/TDS claimed, provision made in VPT accounts, tax liability/net refunds claimed as per returns filed and present status of assessments for the Assessment Years 2009-10 to 2015-16 are as below:

(Rs. in Crores)


SI No	Particulars			Status of Assessments from time to time
1	Financial Year Assessment Year	2008-09	a.	VPT while filing revised return in March 2010, claimed refund of tax of Rs.23.27 crore.
	Advance Tax paid & TDS credit	77.72	b.	After scrutiny and calling several queries, Assessing Officer in its initial assessment computed (December
	Tax provision made in VPT accounts	67.24	of Rs.70.32 crore and considering, taxes	2011) taxable income as Rs.176.21 crore with tax liability of Rs.70.32 crore and considering, taxes paid/TDS/interests/refunds, ordered net refund of Rs.6.68 crore to
	Tax liability as per IT return filed by VPT	54.45	c.	VPT. Aggrieved by this, Order was contested (30 Jan. 2012)
	Refund claimed by VPT as per IT return	23.27		before The Commissioner, IT (CIT)-Appeals, Visakhapatnam. The CIT(Appeals) commenced the hearing in February 2017 and the hearings are in progress.
			d.	VPT filed petition U/s 154 of the IT Act(30.12.2016) for grant of short credit of TDS of Rs.0.72 Crs.



SI No	Particulars			Status of Assessments from time to time
2	Financial Year	2009-10	a.	VPT while filing revised return in March 2012, claimed
	Assessment Year	2010-11		refund of tax of Rs.51.32 crore
	Advance Tax paid & TDS credit	76.41	b.	After scrutiny and calling several queries, Assessing Officer computed (Nov. 2012) taxable income as Rs.190.60 crore and arrived tax liability of Rs.58.90 crore.
	Tax provision made in VPT accounts	37.50		Considering taxes paid/TDS/interests/refunds, ordered VPT to pay balance net tax of Rs.37.02 crore. VPT
	Tax liability as per IT return filed by VPT	25.09		contested before CIT-Appeals, Visakhapatnam who directed (Jan. 2013) the Assessing Officer to re-compute the taxable income.
	Refund claimed by VPT as per IT return	51.32	C.	Assessing Officer while re-assessing (27.5.14), revised the income as Rs.130.15 crore with tax liability of Rs.40.22 crore. Considering tax paid/TDS/interests/refunds, ordered for net refund Rs.26.42 crore to VPT.
			d.	Subsequently, Asst. Commissioner of Income Tax (ACIT), Circle-1 Visakhapatnam revised (14 May 2015) the income as Rs.135.25 crore with tax liability of Rs.41.79 crore and ordered net refund of Rs.22.48 crore to VPT.
				IT Dept. refunded (6 April 2016) balance amount Rs.7.54 crore after adjusting additional demand (Rs.14.93 crore) for Assessment year 2013-14.
			f.	VPT filed petition U/s 154 of the IT Act(25.4.2016) to deduct an amount of Rs.0.89 Crs. from total income on account of Upfront amortization.
			g.	VPT filed petition U/s 154 of the IT Act(3.1.2017) for grant of short credit of TDS of Rs.9.53 Crs.
			h.	The CIT(Appeals) vide Order CIT(A), VSP No.0266/12-13/Addl.CIT/R-1/VSP/2013-14 dt.28.3.2014 has partly allowed the appeal for the order U/s 143(3) of the IT Act and VPT filed(13.6.2014) petition before ITAT, Visakhapatnam Bench and hearings are in progress.
			i.	The CIT-1, Visakhapatnam has initiated revision of assessment U/s 263 of the IT Act(21.11.2013) directing the A.O. to consider for disallowance U/s 14A a sum of Rs.5.09 Crs and VPT has appealed the same before ITAT, Visakhapatnam Bench(27.1.2014) and hearings are in progress.

SI No	Particulars			Status of Assessments from time to time	
3	Financial Year	2010-11	a.	VPT while filing return in Sept. 2011, claimed refund of	
	Assessment Year	2011-12		tax of Rs.20.52 crore.	
	Advance Tax paid & TDS credit 85.66	85.66	b.	After scrutiny and calling several queries, Assessing Officer in the initial assessment computed (Jan. 2013) taxable income as Rs.329.93 crore and arrived tax liability	
	Tax provision made in VPT accounts	70.00	of Rs.101.95 crore. Considering interests/refunds, ordered VPT to	of Rs.101.95 crore. Considering, ta interests/refunds, ordered VPT to pay be	of Rs.101.95 crore. Considering, taxes paid/TDS/interests/refunds, ordered VPT to pay balance net tax of
	IT return filed by VPT 65.14 Refund claimed by VPT as per IT return 20.52 Commissioner, IT (CIT) -April C. Subsequently, taxable incommon Rs.338.44 crore with tax linguistry to pay balance tax of Rs.5.0	Rs.42.40 crore. VPT contested (25.2.13) before the Commissioner, IT (CIT) -Appeals, Visakhapatnam.			
		C.	Subsequently, taxable income was revised (28.2.14) to Rs.338.44 crore with tax liability of Rs.104.58 crore. Considering tax paid/TDS/interests/refunds, ordered VPT to pay balance tax of Rs.5.09 crore. Aggrieved by this,		
			 d. ACIT, Circle-1, Visakhapatnam v under section 154, assessed Rs.279.86 crore with tax liability o considering tax paid/TDS/refunds/due to VPT was arrived at Rs.21.1 finally revised to Rs.21.42 crore. e. IT Dept. refunded (6 April 2016) balacrore after adjusting additional dem 	VPT filed appeal before CIT (A) on 5.3.14. ACIT, Circle-1, Visakhapatnam vide order dt.14.5.15 under section 154, assessed taxable income as Rs.279.86 crore with tax liability of Rs.86.48 crore and considering tax paid/TDS/refunds/interests, net refund due to VPT was arrived at Rs.21.14 crore. Refund was finally revised to Rs.21.42 crore.	
				IT Dept. refunded (6 April 2016) balance amount Rs.7.43 crore after adjusting additional demand (Rs.13.99 crore) for Assessment year 2012-13.	
			f.	VPT filed petition U/s 154 of the IT Act(25.4.2016) to deduct an amount of Rs.1.35 Crs. from total income on account of Upfront amortization.	
			g.	VPT filed petition U/s 154 of the IT Act(20.1.2017) for grant of short credit of TDS of Rs.1.06 Crs.	
			h.	The CIT(Appeals) vide Order CIT(A), VSP No.0362/12-13/ACIT/C-1/VSP/2013-14 dt.28.3.2014 has partly allowed the appeal for the order U/s 143(3) of the IT Act and VPT filed(22.12.2014) petition before ITAT, Visakhapatnam Bench and hearings are in progress.	
			i.	The CIT-1, Visakhapatnam has initiated revision of assessment U/s 263 of the IT Act(21.11.2013) directing the A.O. to consider for disallowance U/s 14A a sum of Rs.8.51 Crs and VPT has appealed the same before ITAT, Visakhapatnam Bench and hearings are in progress.	







SI No	Particulars	Status of Assessments from time to time	
		d.	Aggrieved by this, VPT filed (18 April, 2016) before CIT(Appeals), Visakhapatnam. Appeal is pending with CIT(Appeals) and hearings have not commenced with CIT (Appeals).
		e.	VPT filed petition U/s 154 of the IT Act(25.4.2016) to deduct an amount of Rs.3.53 Crs. from total income on account of Upfront amortization and also for granting the short credit of TDS for Rs.0.05 Crs.

				account of Upfront amortization and also for granting the short credit of TDS for Rs.0.05 Crs.
SI No	Particulars			Status of Assessments from time to time
6	Financial Year	2013-14	a.	VPT assessed business loss of Rs.35.40 crore while filing
	Assessment Year	2014-15		revised return in March 2016 and claimed refund of tax of Rs.56.33 crore.
	Advance Tax paid & TDS credit	56.33	b.	After scrutiny and calling several queries, ACIT, Circle-1(1), Visakhapatnam in his initial assessment order on
	Tax provision made in VPT accounts	7.29		31.12.2016, after disallowing Rs.169.49 crore, arrived business taxable income as Rs.134.09 crore duly
	Tax liability as per IT return filed by VPT	0.00		deducting loss of Rs.35.40 crore as per return filed by VPT and assessed total tax liability of Rs.41.43 crore.
	Refund claimed by VPT as per IT return	56.33	C.	After adjusting Rs.56.08 crore towards advance tax received and TDS claimed, Rs.14.64 crore along with interest U/s244A allowed and total refundable by the IT Department is Rs.17.06 Crores.
			d.	The IT Department refunded(4.2.2017) an amount of Rs.17.06 Crs which included the interest of Rs.2.42 Crs U/s 244A of the IT Act.
			e.	Aggrieved of the disallowances of Rs.169.49 Crore at (b) VPT e-filed petition(8.2.2017) petition before CIT (Appeals), Visakhapatnam. Appeal is still pending with CIT(Appeals). Hearings have not commenced on the CIT appeal.
			f.	VPT filed petition U/s 154 of the IT Act(8.2.2017) for granting the short credit of TDS for Rs.0.25 Crores.
			g.	VPT filed petition U/s 154 of the IT Act(2.3.2017) for granting the short credit of TDS for Rs.0.25 Crores and also for grant of interest U/s244A which was allowed upto 31.12.2016 only amounting to Rs.2.42 Crs. instead of payment of interest up to February 2017 being the date of receipt of refund.
			h.	IT Department issued a notice U/s 154/155 of the IT Act for levy of Surcharge @10% on the order U/s 143(3) passed on 31.12.2016.

SI No	Particulars		Status of Assessments from time to time		
7	Financial Year 2014-15 Assessment Year 2015-16 Advance Tax paid & TDS credit 48.11 Tax provision made in		a. b.	VPT while filing return in March 2017,, claimed refund of tax of Rs.48.11 crore. Initial assessment has commenced.	
	VPT accounts Tax liability as per IT return filed by VPT	lity as per			
	Refund claimed by VPT as per IT return	48.11			

SI No	Particulars		Status of Assessments from time to time	
8	Financial Year 2015-16 a.			
	Assessment Year	2016-17	revised return in March 2017 and claimed refund of tax	
	Advance Tax paid & TDS credit	46.78	of Rs.46.78 crore. b. Initial assessment is still pending.	
	Tax provision made in VPT accounts	0.00		
	Tax liability as per IT return filed by VPT	0.00		
	Refund claimed by VPT as per IT return	46.78		
9	For the financial year 2016-17 (Assessment year 2017-18), advance tax paid nil and value of TDS credit as per Form 26 AS is of Rs.37.09 crores. Provision towards income tax is Rs.13.09 crores. Return is to be filed by 30.9.2017.			

While finalising (May 2015) assessments under section 154 for the Assessment Years 2010-11 and 2011-12, IT Dept. ordered tax refunds including net interest on tax refunds Rs.4.71 crore and Rs.0.29 crore respectively and same has been recognised as interest income of 2015-16.

The assessment for Assessment Year 2014-15 was finalized with order dt.31.12.2016 and received by VPT on 10.1.2017. The refund for AY 2014-15 was received by cheque dt.4.2.2017 for Rs.17.06 Crs including net interest on tax refunds of Rs.2.42 Crs and the same recognised as interest income of 2016-17.

9. The following items constitute contingent liabilities.

27.80
27.98
354.23
410.01

10 Employees recruited on or after 1.1.2004 are covered under New Pension (Tier-I) Scheme (NPS) with 10% of Basic +DA as monthly employee contribution with employer's matching contribution. Employee and VPT contributions are also transferred to Pension Fund pending remittance to Pension Fund Regulatory Authority (PFRDA)

The actual monthly Pension Payments are being met from Port Funds duly charging to Finance & Miscellaneous Expenditure till the size of the Pension Fund attains the requisite level. The actuarial valuation of pension liability as on 31.3.2016 as assessed by LIC of India in respect of the Employees on roles is **Rs 1311.32 crores** that of pensioners is **Rs 2098.16** crores. Thus the total actuarial valuation of Pension liability is **Rs 3409.48** crores as on 31.3.2017. During the year contribution to the pension fund is made @ 27% of Salary (basic and DA) payment which amounts to **Rs 48.53** crores and additional contribution of **Rs. 122.92** crores was also made. After considering the interest earned during the year of Rs. 188.86 crores there is a short provision of Rs. 169.30 crores as on date.

Earlier, Portion of Pension Trust Fund was used for purchase of annuities form three insurers, which disburse fixed monthly pension to the retirees covered under annuity scheme and enhancement of pension if any over the above fixed sum is borne by VPT. On demise of retirees covered under Annuity scheme, payment by insurers is ceased. Thereafter, monthly family pensions are paid to nominees through VPT funds.

- As per Actuarial valuation as assessed by LIC of India, as on 31.3.2017 the liability towards gratuity fund is **Rs 164.86** crores. During the year no provision for 8.33% made as excess provision existing.
- The actuarial valuation of Employees Leave Encashment Liability as on 31/03/2017 as per M/s. LIC of India is **Rs 85.61** crores. During the year no provision made as excess provision existing.
- Separate Trust accounts are maintained for Pension Fund, Gratuity Fund and Provident Fund. Group Leave encashment fund is maintained internally by VPT.
- Detailed statement of Actuarial liability, Provisions created / still to create and funds position there on is furnished herewith.

POSITION OF ACTUARIAL LIABILITY AS AT 31.3.2017.	Rupees in crores		
DETAILS	Pension liability for employees recruited before 31.12.2003.	Gratuity liability	Group leave encashment
Total estimated actuarial liability as on 31.3.2017.	3409.48	164.86	85.61
Liability provided to the end of 31.3.2016	2879.86	186.15	85.54
Provision created /withdrawn during the year 2016-17	171.46	(21.00)	0
Interest earned during the year 2016-17	188.86	13.18	7.98
Total provision created to the end of 2016-17	3240.18	178.33	93.52
Provision still to be provided / excess provided	169.30	-13.47	-7.91

PENSION, GRATUITY AND GLES FUNDS POSITION as on 31.3.2017					
DETAILS	Pension fund trust	Gratuity fund trust	GLES		
Funds to be provided as per Actuarial valuation	3409.48	164.86	85.61		
Fund available to the end of 31.3.2016	2604.99	171.78	91.47		
Investment made during the year 2016-17	160.00	0	0		
Interest earned during the year 2016-17	188.86	13.18	7.98		
Payments made from funds during 2016-17 *	nil	35.42	nil		
Total investment made to the end of 31.3.2017	2953.85	149.54	99.45		
Shortfall in fund / Excess fund	455.63	15.32	+13.84		

- 16. Short provision and deficit in Pension Fund trust will be made good in future basing on the availability of surplus funds.
- 17. Excess Provision in Gratuity fund with drawn amounting to Rs.21 crores and still left with excess provision of Rs.13.47 crores and Group Leave encashment will make set off in future years keeping in view of the wage revision yet to finalize.
 - Short/ Excess funding in case of Gratuity and GLES will be made good/ setoff in future basing on the availability of surplus funds.
- 18. Net current assets is resulting in negative balance due to reduction in bank balances.
- As against reserves of Rs. 1059.85 crores (General Reserve and Statutory Reserves) an amount of Rs.911.90 crores investments existing.(Sch.2.2 A+B and Sch.2.3 iv c+d)
- 20. Trial balance is generated from SAP and financial statements were prepared in excel, as P&L account and Balance sheet together with schedules is under customization by TCS.
- 21. Due to severe cyclone HUD HUD hit at Visakhapatnam coast during October 2014, damages caused to some of the fixed capital assets of VPT i.e OSTT, South Break waters etc. A factual note was processed to the Ministry duly estimating the restoration cost around Rs.205.00 crores and to provide the same as budgetary support from Government. No approval was received till date.
- 22. Disputed claims are not accounted under Sundry Debtors.
- 23. Irrecoverable debtors / claims are treated as Bad Debts and written off on approval of the competent authority.
- 24. Claims accounted as income, but subsequently considered to be ineligible for receipt are treated in the books of accounts as expenditure on approval of the competent authority.
- 25. Prior period income or expenses which arise in the current periods as a result of errors or omission in preparation of Financial statements of one or more prior periods are included under Finance and Miscellaneous Income or Expenditure.
- 26. As per the Ministry's guidelines vide Lr. No. 25021/1/2011-PD-II dt.02/12/2011, Corporate Social Responsibility fund of **Rs 1.50** crores has been created during the year
- 27. Reconciliation of quantity balances of Stores Priced Ledgers with Bin Cards has been done and necessary adjustments were carried out wherever necessary.
- 28. During the year, letters seeking confirmation of balances have been issued except certain lessee since the same are governed by specific lease agreements.
- 29. Previous year's figures have been regrouped wherever necessary to confirm to the current year's classification.
- 30. Due to change in policy during the year i.e Upfront fee collected on lease of Berths/Facilities and premium on lease of lands are accounted for as pre-paid income and are being amortized during the lease period, there is reduction in profit of Rs. 79.84 croes.
- 31. General disclosures as per Billimoria report.

SI.No	Particulars	2016-17			2015-1	6	Remarks
1.	Fixed capital Assets retired from active use and awaiting disposal should be disclosed separately.	Nil		1			The assets were disposed as and when the same were deemed unfit and the sale proceedings are charged to revenue in the respective years.
2.	Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for as at the end of 31.03.2017	Nil					The estimated capital expenditure for the end of March every year payable in the subsequent months of the next year will be brought into books under accrual basis. The same may be treated as Nil.
3.	Contingent liability not provided for due to disputes	Nil			Nil		In VPT, the contingent liability is provided for all the dispute/court cases. Hence, the same may be treated as Nil
4.	CIF value of Imports during the year : Stores and Spares Capital goods /spares	Nil					There are no foreign exchange transactions for the year 2015-16 and 2016-17.
5.	Expenditure in foreign currency	Nil		Nil			There are no foreign exchange transactions for the year 2015-16 and 2016-17.
6.	Earnings in foreign exchange	Nil			Nil		
7.	Value of imported and indigenous stores and spare parts consumed during the financial year with %	Nil		Nil			
8.	Expenditure incurred on research, planning and developmental activities	7.04		4.82			
9.	Borrowing costs capitalized during the year	Nil			g costs I during 15	(Jica Ioan) -16	
10.	Foreign exchange gain/losses during the year	Nil			Nil		
11.	Total capacity of VPT to handle cargo ships in tonnage	98.49			107.75	5	
12.	Actual number of vessels handled during the year	1944			2018		
13.	Actual tonnage handled during the year	61.02 MT			57.03 M	IT	
14.	Details of class-wise staff strength sanctioned actual as below: Class i Class II Class III Class IV	Operation Class I 14 Class II 59 Class III 181 Class IV 85 Total 285	90 10 54	Class II Class III Class IV Total	Strength 230 120 2783 1391 4524	Operating 160 101 2154 1132 3547	Regarding strength for the 2016 – 17 the same has to be obtained from the respective departments and the same will be intimated to the Audit

Sd/-

M. T. Krishna Babu

Chairman Visakhapatnam Port Trust Sd/-**P.L. Haranadh**Dy. Chairman
Visakhapatnam Port Trust

ACTION TAKEN NOTE ON COMMENTS ON ACCOUNTS

A. Reserves and Surpluses Rs.21.82 crores

Audit Comments	Reply of VPT
An amount of Rs.21.82 crores was available for appropriation as at the end of the year which was transferred to General Reserve instead of appropriating the same to the Statutory Reserves which was contrary to the provisions regarding allocation of surplus as contained in common frame work for financial reporting applicable to the Ports.	Disclosure has already been made in the note on accounts. Efforts will be made to transfer to the extent of surplus available for Appropriations to Statutory Reserves

B. Fixed Capital Assets (Net Block) Rs.28.45 crores

Audit Comments Reply of VPT WQ7 Berth which was constructed and commissioned Though the WQ-7 berth is not in use for commercial in July 2005 was decommissioned due to distress on operations in view of the distress caused to the berth account of rains during Sept2005 which has aggravated the other facilities developed along with the berth such by Feb2007. Part of the structure was dismantled later as road leading to the berth, fenders, bollards, slope while some part of it integrated with other assets. The protection built as a part of WQ-7 berth and a part of depreciated value of the berth is Rs.28.45 crores. which was handed over to concessionaire of WQ-6 However VPT neither adjusted the book value of the berth which is in use by them after strengthening it to WQ7 or reflected the lower of net book value and net cater to 16.10m dredged depth. It is further to inform realizable value which is contrary to provisions of AS10. that the WQ7 and WQ -8 berth which are under construction are designed to cater the 14.5 m vessels whereas the existing WQ-7 berth was designed for 11m draft vessels only. As pointed out by the Audit, there is a requirement of dismantling of the existing superstructure of WQ-7 berth and dismantling of the existing superstructure was taken up accordingly. However, sub-structure is not dismantled and became part of the structure under construction. Since arbitration proceedings are under progress, necessary action if any will be taken up based on the outcome of Arbitration with Consultant M/S Howe(I) Pvt Ltd , New Delhi.

C. Investment of General Reserve Fund Rs.58.80 crores

Audit Comments	Reply of VPT
Port did not ascertain and provide for the diminution in the value of investment of Rs.30.00 crores made in M/s Sethu Samudram Corporation Ltd., despite the fact that the project operations of SSCL were suspended in the year 2009 which is contrary to AS13.	An amount of Rs.30.00 crores invested in M/s Sethu Samudram Corporation Ltd., as directed by the Ministry. M/s. SSSCL is going concern as per AS13 lower value of cost or fair market value to be stated in the balance sheet. Since shares of M/s. SSSCL are not traded in stock exchange, there is no evidence regarding the market value. Therefore the investment is considered at cost as was done in the earlier years. Hence no action was proposed.

D. Railway working - Rs26.53 crores

Audit Comments

AMC charges amounting to Rs.26.53 crores payable to Railways for the maintenance and renewal of Railway lines, Sidings etc. in respect of Ore Exchange Yard for the period April 2003 to March 2017 in line with mutual agreement (1998) between Railways and VPT not provided resulted in under statement of Operating Expenditure as well as current liabilities by Rs.26.53 crores. Consequently the profit before tax was overstated.

Reply of VPT


It is state that though the Railways are demanding OEC charges duly including the land cost as capital cost, the same has been contested by VPT in various forums including taking up the issue at GM East Coast Railways. The issue not yet settled. A letter was addressed by VPT to GM East Coast Railways. As the issue is not settled, crystallization of liability does not arise. Once the issue is settled duly arriving a consensus decision, action will be taken. Further, with VPT efforts a joint action committee is being constituted by East Coast Railway to settle the issue taking all the factors raised by VPT into consideration.

E. Provision for Bad and Doubtful debts

Audit Comments	Reply of VPT
Out of the Sundry Debtors of Rs.533.11 crores as on 31.3.2017 an amount of Rs.78.69 crores (14.76%) and Rs.36.03 crores (6.76%) was outstanding for more than years and 5 years respectively. Despite giving assurance every year since 2011-12, VPT has not initiated any action to make a suitable provision after duly conducting review of the Debtors.	Sundry Debtors are reviewed periodically. However, a thorough review will be carried out and suitable provision will be made in future



SI.No	Description	Time Schedule prescribed by the Ministry (PD-Misc/26/2016-PD-VI(Coord)) Dt.29.08.2016	Date on which action taken
1	Date of submission of Draft Annual Accounts to the Audit	31st May	31-05-2017
2	Date of release of draft Audit Reports	31st July	31-07-2017
3	Date of submission of reply by the Ports Trusts to the draft Audit Report	10th August	22-08-2017
4	Date of release of English version of Audit Report by the Audit	20th September	18-10-2017
5	Date of submission of Tax Auditor's Report to the Port Trust	25th September	03-10-2017
6	Date of filing of Annual Tax Return by the Port to Income Tax Department	30th September	Filing date extended upto 31-10-2017
7	Date of submission of printed copies of English and Hindi versions of the Report to the Ministry by the Port Trust	9th October	
8	Laying of Reports in Parliament by the Ministry	Winter Session	







VISAKHAPATNAM PORT TRUST

Visakhapatnam - 530 035, Andhra Pradesh, India. Tel : 91-891-2876000 | Fax : 91-891-2565023 Web : www.vizagport.com | E-mail : info@vizagport.com